राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
2009–2010

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	अध्याय	विषय	पृष्ठांक
1–	अध्याय–1	विभाग की स्थापना, उद्धेश्य, कार्यक्षेत्र एवं विभागीय प्रशासन	01 – 03
2–	अध्याय–2	विभागीय योजनाओं का विवरण	04 – 31
3–	अध्याय–3	विभाग से सम्बद्ध संस्थाओं / परियोजनाओं का प्रशासनिक प्रतिवेदन	32 – 47
4–	अध्याय–4	अन्य कार्यक्रमों की प्रगति	48 – 56

परिशिष्ठ–1 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची	57
परिशिष्ठ–2 अनुसूचित क्षेत्र की तहसीलवार एवं जिलेवार जनसंख्या का विवरण	58
परिशिष्ठ–3 माड़ा खण्डों की जनसंख्या का विवरण	59 – 60
परिशिष्ठ–4 माड़ा कलस्टर क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण	61
परिशिष्ठ–5 बिखरी जनजाति क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण	62
परिशिष्ठ–6 सहरिया क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण	63
परिशिष्ठ–7 अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण से संबंधित अधिसूचनायें	64
परिशिष्ठ–8 सहरिया क्षेत्र में आरक्षण संबंधित आदेश	65
परिशिष्ठ–9 सहरिया क्षेत्र में आरक्षण संबंधी आदेश	66
परिशिष्ठ–10 सहरिया क्षेत्र में आरक्षण संबंधी आदेश	67
परिशिष्ठ–11 सहरिया क्षेत्र में आरक्षण संबंधी आदेश	68
परिशिष्ठ–12 विभाग में सृजित एवं पदस्थापित अधिकारियों / कर्मचारियों का विवरण	69 – 70
परिशिष्ठ–13 विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावासों की सूची	71 – 75
परिशिष्ठ–14 विभाग द्वारा माडा क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावासों की सूची	76
परिशिष्ठ–15 विभाग द्वारा बिखरी एवं सहरिया क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावासों की सूची	77
परिशिष्ठ–16 आवासीय विद्यालयों की सूची	78
परिशिष्ठ–17 विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों में पदों का विवरण	79
परिशिष्ठ–18 विभाग द्वारा संचालित आवासीय विधालयों में पदों का विवरण	80

अध्याय : 1
विभाग की स्थापना, उद्धेश्य, कार्यक्षेत्र एवं विभागीय प्रशासन

विभाग की स्थापनाः
जनजाति विकास के लिये भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान हैं। इसी संदर्भ में पांचवी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में जनजाति विकास विभाग की स्थापना की गयी।

विभाग के उद्धेश्य :
1. अनुसूचित क्षेत्र का सर्वागीण विकास
2. जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास
3. जनजाति विकास की विभिन्न योजनाओं का निर्माण, समन्वय, नियंत्रण एवं निर्देशन
4. जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को अन्य क्षेत्रों के समकक्ष लाना एवं जनजाति वर्ग के जीवन स्तर का उन्नयन।

कार्यक्षेत्र :— जनजाति विकास के लिये निम्नानुसार कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया गया।

अ. अनुसूचित क्षेत्र :

राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित 5 जिलों की 27 पंचायत समितियों को मिलाकर अनुसूचित क्षेत्र निर्मित किया गया है जिसमें जनजातियों का सघन आवास है। 2001 की जनगणनानुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 45.14 लाख है जिसमें जनजाति जनसंख्या 30.93 लाख है, जो इस क्षेत्र की जनसंख्या का 68.52 प्रतिशत

हैं। अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित 5 जिलों में बांसवाडा व डूंगरपुर सम्पूर्ण जिले, उदयपुर जिले की 7 पूर्ण तहसीलें, गिर्वा तहसील के 81 गांव एवं कोटडा तहसील से गोगुन्दा तहसील में स्थानान्तरित 52 ग्राम, प्रतापगढ जिले की अरनोद, प्रतापगढ, धरियावद एवं पीपलखूंट तहसीलें तथा सिरोही जिले की आबूरोड पंचायत समिति सम्मिलित है। इस क्षेत्र में आवासित जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया व डामोर प्रमुख है। इस क्षेत्र में आवासित जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया व डामोर प्रमुख है। इनका ब्यौरा **परिशिष्ठ–1** पर उपलब्ध हैं। तहसीलवार व जिलेवार जनसंख्या तथा क्षेत्र का विवरण **परिशिष्ठ–2** पर उपलब्ध हैं ।

अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण सम्बन्धित प्रावधान :–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अधीन पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, राजस्थान ने निर्देश दिये है कि किसी भी अन्य प्रवृत्त आदेश या नियम या विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–एफ 19 (2) 80–एल–1 दिनांक–12.2.81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियो से भरी जायेगी । इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य वर्ग से भरी जायेगी । इस क्रम में जारी की गई अधिसूचना दिनांक 12.9.07 की प्रति **परिशिष्ठ–7** पर उपलब्ध है।

ब. परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा) :

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त जनजाति व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु जिले को एक इकाई मानते हुए प्रत्येक लघु खण्ड की कुल जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक तथा उसमें निवास करने वाली जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत हो तथा गांव एक दूसरे से जुडे हुए हो व सीमा पर स्थित सभी ग्रामों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी हो के आधार पर माडा क्षेत्र बनाया गया है।

इस योजना के अंतर्गत 18 जिलों में 44 माडा लघु खण्डों का गठन किया है, जिसमें 3606 ग्राम सम्मिलित है। 2001 की जनगणनानुसार इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 28.51 लाख है जिसमें जनजाति जनसंख्या 15.72 लाख है जो इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 55.15 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में मीणा जनजाति का बाहुल्य है। जिलेवार माडा खण्डों की जनसंख्या का विवरण **परिशिष्ठ–3** पर उपलब्ध है।

स. माडा कलस्टर योजना क्षेत्र :

ऐसे कलस्टर जिनकी कुल जनसंख्या 5000 या इससे अधिक है तथा जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजाति की है, में माडा कलस्टर योजना लागू की जाकर विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे है। राज्य के 8 जिलों में 11 माडा कलस्टर्स स्वीकृत है जिसमें 161 ग्राम सम्मिलित है। जनगणना 2001 के अनुसार माडा कलस्टर क्षेत्र की जनसंख्या 1.05 लाख है जिसमें से जनजाति जनसंख्या 0.57 लाख है जो कलस्टर्स की कुल जनसंख्या का 54.72 प्रतिशत है। जिलेवार माडा कलस्टर्स का विवरण **परिशिष्ठ–4** पर उपलब्ध है।

द. बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र :

अनुसूचित क्षेत्र, माडा लघु खण्ड, माडा कलस्टर एवं सहरिया क्षेत्र के अतिरिक्त 22.92 लाख जनजाति के व्यक्ति 31 जिलों में बिखरे हुए हैं। जिलेवार जनसंख्या **परिशिष्ठ–5** पर उपलब्ध है।

य. सहरिया आदिम जाति क्षेत्र :

राज्य की एक मात्र आदिम जाति सहरिया है जो बांरा जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों में निवास करती है। उक्त दोनों ही तहसीलों के क्षेत्रों को सहरिया क्षेत्र में सम्मिलित किया जाकर सहरिया वर्ग के विकास के लिये सहरिया विकास समिति का गठन किया गया है। सहरिया आदिम जाति की जनसंख्या का विवरण माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा वर्ष 2002 में किये गये सर्वे रिपोर्ट से लिया गया हैं। सहरिया आदिम जाति क्षेत्र का पंचायत समितिवार विवरण **परिशिष्ठ–6** पर उपलब्ध है।

सहरिया आदिम जाति के लिये विशेष प्रावधान

(1) सहरिया आदिम जनजाति समूह के लिए विशेष प्रावधान स्वरूप आदेश दिनांक 12.9.07 द्वारा बांरा जिले के शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियॉ स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यार्थियों से भरी जायेगी और अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों के लिए 8 प्रतिशत एवं अन्य पिछडी जातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी। शेष 51 प्रतिशत सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों से भरी जावेगी। आदेश **परिशिष्ठ–8** पर उपलब्ध हैं ।

(2) राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ.5(4)(1)सहरिया/टीएडी/2002 दिनांक 25.11.04 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (जनजाति उपयोजना क्षेत्र) में निवासित अनुसूचित जनजातियों को राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त सभी आधारभूत सुविधाओं के मापदण्ड राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया क्षेत्र में भी तुरन्त प्रभाव से लागू होगें। आदेश **परिशिष्ठ–9** पर उपलब्ध हैं ।

(3) राज्य सरकार के आदेश कमांकः एफ.5(4)(1)सहरिया/टीएडी/2002/ दिनांकः 30.9.05 एवं दिनांकः 25.10.05 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (बीपीएल परिवार) को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाओं को कथौडी जनजाति तथा बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील में निवास करने वाले सहरिया व भील परिवारों के व्यक्तियों को भी उपलब्ध करवायी जावेगीं। आदेश **परिशिष्ठ–10–11** पर उपलब्ध हैं।

प्रशासकीय संगठन एवं विभागीय ढांचा :–

जनजाति कल्याण एवं विकास विभाग के प्रभारी मंत्री जनजाति विकास मंत्री है। अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद का गठन आदेश कमांक प.6(32)प्र.सु./अनु–3/91 जयपुर दिनांक 4.3.05 से किया गया है। इस परिषद के गठन का उद्धेश्य जनजाति विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा करना तथा नई योजनाओं के लिए परामर्श देना है।

विभागीय प्रशासन :–

कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिये एक प्रशासनिक संगठन आवश्यक है इसके लिये विभिन्न स्तरों पर जनजाति क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था के तहत राज्य स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के अधीन है। वे जनजाति विकास कार्यक्रमों का समन्वय,समीक्षा एवं प्रबोधन करते है तथा नीतिगत मामलों में निर्णायक की भूमिका का निर्वाह करते है। उनकी सहायता के लिये सचिवालय स्तर पर उपशासन सचिव एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत है।

जनजाति विकास की योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन एवं प्रबोधन के लिये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का कार्यालय उदयपुर में स्थित हैं। इसके विभागाध्यक्ष आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग है। इनकी सहायता के लिये 2 अतिरिक्त आयुक्त तथा विषय विशेषज्ञों तथा अन्य कर्मचारियों के पद सृजित हैं। वर्तमान में विभाग में सृजित एवं पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण **परिशिष्ठ–12** पर उपलब्ध हैं ।

अध्याय – 2

विभागीय योजनाओं का विवरण

विभाग द्वारा सामुदायिक तथा व्यक्तिगत लाभ की अनेक योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं जिनका मूल उद्देश्य जनजाति परिवारों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन है। वर्ष 2008–09 में इन योजनाओं हेतु कुल 165.74 करोड रूपये का बजट आबंटन रखा गया जिसके विरूद्व माह मार्च,09 तक 141.09 करोड रूपये व्यय किये गये। वर्ष 2009–10 में इन योजनाओं हेतु कुल 183.26 करोड रूपये का बजट प्रावधान रखा गया जिसके विरूद्व माह दिसम्बर,09 तक 77.38 करोड रूपये व्यय किये गये। मदवार एवं क्षेत्रवार प्रावधान एवं व्यय की सूचना निम्नांकित हैः–

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्ष 2008–09		वर्ष 2009–10	
		बजट आवंटन	व्यय	बजट अनुमान	व्यय दिसम्बर,09
क	**राज्य योजना**				
1.	**महाराष्ट्र पेटर्न**				
अ.	अनुसूचित क्षेत्र	5454ʊ78	5757ʊ84	6113ʊ23	3258ʊ01
ब.	माडा क्षेत्र	844ʊ55	761ʊ54	988ʊ82	350ʊ00
स.	माडा कलस्टर क्षेत्र	12ʊ44	4ʊ22	12ʊ44	1ʊ19
द.	बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र	473ʊ29	465ʊ63	318ʊ62	108ʊ93
य.	सहरिया क्षेत्र	603ʊ36	415ʊ57	571ʊ20	346ʊ94
	महाराष्ट्र पेटर्न योग :	**7388ʊ42**	**7404ʊ80**	**8004ʊ31**	**4065ʊ07**
2.	**टीआरआई संचालन**		11ʊ89	33ʊ00	3ʊ23
3.	**विशेष केन्द्रीय सहायता**				
अ.	अनुसूचित क्षेत्र	2024ʊ31	1848ʊ22	2145ʊ00	612ʊ07
ब.	माडा क्षेत्र	1217ʊ47	867ʊ26	1160ʊ00	518ʊ27
स.	माडा कलस्टर क्षेत्र	41ʊ99	14ʊ99	42ʊ00	14ʊ85
द.	बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र	1616ʊ60	948ʊ04	1642ʊ34	515ʊ87
य.	सहरिया विकास परियोजना क्षेत्र	109ʊ66	57ʊ85	109ʊ66	22ʊ69
	योग : विशेष केन्द्रीय सहायता	**5010ʊ03**	**3736ʊ36**	**5099ʊ00**	**1683ʊ75**
4.	**संविधान की धारा 275(1)**				
अ.	अनुसूचित क्षेत्र	2294ʊ83	2406ʊ50		1421ʊ67
ब.	माडा क्षेत्र	708ʊ86	320ʊ57	3315ʊ00	166ʊ89
स.	सहरिया क्षेत्र		122ʊ72		63ʊ45
	योगः धारा 275(1)	**3003ʊ69**	**2849ʊ79**	**3315ʊ00**	**1652ʊ01**
	राज्य योजना योग :	**15402ʊ14**	**14002ʊ84**	**16451ʊ31**	**7404ʊ06**
ख	**केन्द्र प्रवर्तित योजना**				
अ.	टीआरआई की योजनाऐं		11ʊ90	33ʊ00	3ʊ23
ब.	अन्य योजनाऐं –	1171ʊ49	93ʊ90	1842ʊ20	330ʊ33
	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना योग :	**1171ʊ49**	**105ʊ80**	**1875ʊ20**	**333ʊ56**
	महायोग	**16573ʊ63**	**14108ʊ64**	**18326ʊ51**	**7737ʊ62**

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार हैं:–

अ. अनुसूचित क्षेत्र

1. **विशेष केन्द्रीय सहायता :**

(i) कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाऐं

कृषि विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों के तहत समन्वित कृषि विकास कार्यक्रम में वर्ष 2008–09 की बचत राशि 158.80 लाख रूपये व्यय कर 1000 परिवारों को फसल प्रदर्शन कार्यक्रम, कृषि उपकरण वितरण तथा पीवीसी पाईप वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत लाभान्वित किया गया। वर्ष 2009–10 में कृषि उपकरण वितरण कार्यक्रम के तहत दिसम्बर,09 तक 24.88 लाख रूपये व्यय कर 1776 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(ii) बैफ के माध्यम से उद्यान विकास

जनजाति कृषकों का आर्थिक स्तर उंचा उठाने की दृष्टि से उनके खेतों पर फलदार बगीचे एवं चारों तरफ वानिकी पौधे लगाकर आय में वृद्वि करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य हैं। वर्ष 2009–10 में 44.58 लाख का आवंटन किया गया जिसके विपरीत माह दिसम्बर,09 तक 8.96 लाख रूपये व्यय कर 5757 काश्तकारों की वाड़ियो का रखरखाव कर लाभान्वित किया जा रहा हैं।

(iii) सेरीकल्चर

क्षेत्र के जनजाति कृषकों को निरन्तर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेरीकल्चर कार्यक्रम उदयपुर जिले में चलाया जा रहा हैं। इस कार्यक्रम से परम्परागत फसलों की तुलना में कृषक तीन गुना अधिक आमदनी प्राप्त कर रहा हैं। रेशम उत्पादन से जुडी गतिविधियों जैसे रेशम कीटपालन, रेशम धागाकरण, शहतूत पौधरोपण, शहतूत नर्सरी उत्पादन, बांस उपकरण निर्माण आदि में जनजाति कृषक अपने श्रम का योगदान देकर निरन्तर लाभ अर्जित कर रहे है। सेरीकल्चर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति कृषकों को एक बार शहतूत यूनिट लगाने पर 1,000/– रूपये अनुदान तथा रेशम कीट पालन हेतु बांस उपकरण के लिये 2000/– रूपये का अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2009–10 में राशि रूपये 10.40 लाख के प्रावधान के विपरीत दिसम्बर,09 तक रूपये 8.26 लाख व्यय हुए एवं 300 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया ।

(iv) मशरूम कार्यक्रम

क्षेत्र के जनजाति कृषकों को पोष्टिक आहार उपलब्ध करवाने तथा आर्थिक उत्थान हेतु मशरूम कार्यक्रम उदयपुर जिले में संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में ढिंगरी तथा बटन

दो प्रकार की मशरूम की खेती करवाई जा रही है। विभाग द्वारा कृषकों को ढिंगरी मशरूम उत्पादन हेतु 2500/– रूपये का तथा बटन मशरूम उत्पादन हेतु 5000/– रूपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 2009–10 में 16.20 लाख रूपये का प्रावधान किया गया, जिसके विरूद्व दिसम्बर,09 तक 16.20 लाख रूपये व्यय हुए तथा 250 कृषक लाभान्वित हुए।

(v) बैफ के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का संचालन

जनजाति कृषकों के पास उपलब्ध पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढाने, अच्छी नस्ल की उत्पति हेतु उदयपुर, बांसवाडा एवं प्रतापगढ जिले में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का संचालन कर जनजाति व्यक्तियों के पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करना इस योजना का उद्देश्य है। वर्ष 2009–10 में 13.58 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया तथा माह दिसम्बर,09 तक 8.70 लाख रूपये व्यय कर 904 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(vi) विस्फोटन द्वारा कृषि कूप गहरा कराना

अल्पवृष्टि एवं भू–जल स्तर के नीचे जाने से कुओं का जल स्तर कम हो गया है, ऐसे कुओं को गहरा कराने के लिए निर्धन जनजाति कृषक को विभाग से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कूप में कठोर चट्टाने पाई जाती है अतः इनका खनन का कार्य मात्र विस्फोटन से ही संभव हैं। कार्य की कुल इकाई लागत रूपये 8240 हैं जिसमें विस्फोटन की लागत रूपये 45.00 प्रति विस्फोट की दर से 72 विस्फोटन हेतु रूपये 3240.00 की आर्थिक सहायता विभाग द्वारा दी जाती है तथा शेष श्रम भाग का वहन कृषक स्वयं करता है। अधिक गहराई तक खनन की आवश्यकता होने पर 144 विस्फोट तक की स्वीकृति दी जा सकती हैं। वर्ष 2009–10 मे राशि 25.00 लाख रूपये के विरूद्व माह दिसम्बर,09 तक 34.06 लाख रूपये का व्यय हुआ एवं 417 कुए गहरा करने के लक्ष्यों के विपरीत 637 कुए गहरे किये गये।

(vii) डीजल /विद्युत पम्पसेट का वितरण

कृषकों द्वारा उनकी कृषि भूमि के आसपास उपलब्ध सतही जल व कृषि कूप में उपलब्ध जल के उपयोगार्थ डीजल / विद्युत पम्पसेट जलोत्थान के साधन के रूप में उपयोग किया जाता हैं। योजना की लागत लगभग 20,000 रूपये है जिस पर 10,000 रूपये का अनुदान इस विभाग द्वारा देय होता है। शेष राशि की व्यवस्था कृषक स्वयं या अन्य वित्तीय संस्थाओं से बतौर ऋण प्राप्त करके करता है। वर्ष 2009–10 में राशि रूपये 50.00 लाख के विरूद्व माह दिसम्बर,09 तक राशि रूपये 38.86 लाख का व्यय कर 250 डीजल /विद्युत पम्पसेट के लक्ष्यों के विपरीत 200 लक्ष्यों की प्राप्ति की गई।

(viii) **एनिकट/ वाटरशेड निर्माण**

अनुसूचित क्षेत्र में अवस्थित नदी नाले अत्यधिक ढलाव वाले होने से एक ओर तो वर्षा का जल तीव्र गति से बहकर व्यर्थ चला जाता है दूसरी ओर जनजाति कृषकों की नालों के समीप अवस्थित भूमि का कटाव होता हैं। अतः उक्त क्षति को रोकने के उद्देश्य से एनिकट/ वाटरशेड निर्माण की योजना चलाई जा रही हैं जिससे जल बहाव की गति पर नियंत्रण किया जाता है व जल का सतही भण्डारण किया जाता हैं। भण्डारित जल से भू–जल पुनर्भरण होता है व आसपास के कुओं का जलस्तर बढता हैं। साथ ही एनिकट में उपलब्ध सतही जल का कृषक जलोत्थान योजना के माध्यम से लाभ लेते हैं। इस योजना का क्रियान्वयन सिंचाई विभाग, स्वच्छ परियोजना, भू–संरक्षण विभाग, पंचायत समिति, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से किया जा रहा हैं। वर्ष 2009–10 में 28 एनीकट के निर्माण के लक्ष्य हेतु 997.40 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है दिसम्बर,09 तक रूपये 346.03 लाख व्यय कर 40 एनीकट कार्य पूर्ण किये गये जिनमें पूर्व वर्ष के स्वीकृत एनीकट भी सम्मिलित है।

(ix) **सामुदायिक जलोत्थान योजना**

नदी नालों एवं बांधों के बेक वाटर में उपलब्ध पानी को सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिये विद्युत मोटर द्वारा पानी को उंचा उठाकर सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि किये जाने हेतु वर्ष 2009–10 में 19 लिफ्ट योजनाओं के लिये 300.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया। गत वर्ष के स्वीकृत कार्यो पर दिसम्बर,09 तक 66.91 लाख रूपये व्यय किये गये तथा लिफ्ट सिंचाई योजनाएँ प्रगति पर है।

(x) **स्वरोजगार**

जनजाति व्यक्तियों को कृषि एवं वन आधारित उद्योग व्यापार व्यवसाय सेवा उद्योग कृषि कार्य आदि में स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 2009–10 में 154.50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया। 1500 जनजाति व्यक्तियों को अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

2. महाराष्ट् पेटर्न अन्तर्गत सचांलित योजनाऐ :

(i) **आश्रम छात्रावास संचालन**

योजनान्तर्गत ऐसे जनजाति विद्यार्थियों जिनके आसपास उस स्तर का विद्यालय नहीं है को आश्रम छात्रावास में प्रवेश दिया जाकर निःशुल्क आवास भोजन आदि की सुविधाए प्रदान की जाती है। प्रति विद्यार्थी 1000/– रूपये प्रतिमाह भोजन इत्यादि हेतु व्यय किये जाने का प्रावधान है। वर्ष

2009–10 में 1517.06 लाख रूपये के आवंटन के विरूद्ध माह दिसम्बर,09 तक 1201.76 लाख रूपये व्यय हुए तथा 171 छात्रावासों में 10873 विद्यार्थियों को प्रवेश देकर लाभान्वित किया गया।

(ii) छात्रगृह किराया योजना

इस योजनान्तर्गत जनजाति के ऐसे छात्र/ छात्राऐं जो महाविद्यालय की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढते है तथा उन्हें छात्रावास में स्थानाभाव के कारण आवासीय सुविधा नहीं मिल पाती हैं और वे किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन करते है उन्हे 150 रूपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह हेतु मकान किराये का पुनर्भरण किया जाता है। इसमें एक छात्र या दो छात्रों के एक ग्रुप को भी यह सुविधा दी जाती हैं। वर्ष 2009–10 में 7700 विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने हेतु 115.50 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर,09 तक 72.51 लाख रूपये का पुनर्भरण किया जाकर 6925 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(iii) प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन योजना

इस योजनान्तर्गत जनजाति के छात्र/छात्राओं ने जिन्होंने बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है उन्हें बोर्ड की अगली परीक्षा तक अध्ययन करने पर 250 रूपये प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए अधिकतम रूपये 2500/– की प्रोत्साहन राशि दी जाती हैं। वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर,09 तक 26.44 लाख व्यय कर 958 छात्र/ छात्राओं को लाभान्वित किया गया ।

(iv) छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

जनजाति की महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्‌देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होता है जो अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी हों और कालेज में अध्ययनरत हों। इस योजनानुसार प्रत्येक छात्रा को 350 रूपये प्रति माह की दर से 10 माह तक आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2009–10 में दिसम्बर,09 तक रूपये 120.55 लाख व्यय करके 2834 छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

(v) एकलव्य खेल छात्रावास का संचालन

जनजाति के छात्रों को खेलकूद हेतु प्रोत्साहित करने तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने के उद्‌देश्य से तीन खेल छात्रावास बांसवाडा, खेरवाडा एवं उदयपुर में संचालित हैं। इन छात्रावासां में दक्ष विशेषज्ञों द्वारा तीरन्दाजी एवं ऐथेलेटिक्स का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता हैं। इसमें कक्षा 6 से 12 वीं तक के खिलाडी बालकों को प्रवेश दिया जाता है तथा इसमें आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर,09 तक

35.46 लाख रूपये व्यय किये गए है। वर्तमान में इन छात्रावासों में 200 छात्र अध्ययनरत एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(vi) जनजाति बालिकाओं को साईकिल एवं स्कूटी वितरण

कक्षा 10 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप शिक्षा विभाग द्वारा बालिकाओं से 300 रूपये की हिस्सा राशि लेकर साईकिल वितरण का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है ताकि बालिकाए शिक्षा की ओर आकृष्ट हो सकें। जनजाति बालिकाओं के हिस्सा की राशि रूपये 300 का भुगतान इस विभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 2009–10 निःशुल्क साईकिल वितरण कार्यक्रम में 4986 जनजाति बालिकाओं को विभाग की हिस्सा राशि प्रदान की गई। बोर्ड परीक्षा में 65 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित करने वाली जनजाति बालिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप माह दिसम्बर,09 तक 158 निःशुल्क स्कूटी वितरित की गई है।

(vii) क्षय रोग नियंत्रण

सामान्यतया जनजाति आबादी दूरदराज के क्षेत्र में निवास करती है तथा स्वास्थ्य सुविधाए आसपास उपलब्ध नहीं होती है। जनजाति व्यक्तियों में क्षय रोग का प्रकोप अधिक रहता है तथा निदान हेतु नियमित उपचार अनिवार्य होता है किन्तु जनजाति व्यक्ति के लिए कार्य दशाओं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की दूरी के कारण नियमित उपचार लिया जाना संभव नहीं हो पाता है। अतः इस समस्या के निदान हेतु स्वच्छ परियोजना के माध्यम से क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा क्षय रोगीयों की पहचान कर उन्हें नियमित उपचार उपलब्ध कराया जाता है तथा पोष्टिक सत्तु दिया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में 2547 रोगियों के उपचार हेतु 112.00 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर,09 तक 48. 13 लाख रूपये व्यय किये गये।

(viii) सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण

जनजाति विद्यार्थियों में पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति के लिए चिकित्सा विभाग के माध्यम से शुक्ष्म पोषक तत्वों का वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। वर्ष 2009–10 में 100.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

(ix) ए.एन.एम. के वेतन भत्ते

अनुसूचित क्षेत्र के चिकित्सा उप केन्द्रो पर एक अतिरिक्त ए.एन.एम. की सेवा उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से चिकित्सा विभाग में कार्यरत 1119 ए.एन.एम. के वेतन भत्तों का भुगतान

विभागीय बजट से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत माह दिसम्बर,09 तक 259.26 लाख रूपये का भुगतान किया जा गया।

(x) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

जनजाति के युवकों को रोजगारोन्मुख व्यवसायों का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार चलाने अथवा तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार करने के लिए तकनीकी शिक्षा निदेशालय के माध्यम से 14 से 30 वर्ष की आयु के युवकों को इंजीनियरिंग एवं गैर इंजीनियरिंग में एक एवं दो वर्षीय प्रशिक्षण वेल्डर, प्लम्बर, डीजल मैकेनिक, हिन्दी एवं अंग्रेजी स्टेनो, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रोनिक्स एवं रेडियो टीवी आदि व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार प्रारंभ करने योग्य बनाया जाता हैं। प्रशिक्षणरत छात्रों को 150 रूपये प्रतिमाह छात्रवृति प्रदान की जाती हैं। उत्तीर्ण होने पर राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। वर्ष 2009–10 में 637 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया एवं दिसम्बर,09 तक 10.92 लाख रूपये व्यय किये गये।

(xi) फूड काफ्ट प्रशिक्षण

होटल व्यवसाय में प्रशिक्षण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित फूड काफ्ट संस्थान के 4 व्यवसायों में जनजाति युवक युवतियों के लिए 40 अभ्यार्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की हैं। प्रशिक्षणरत छात्र छात्राओं को 500 रूपये छात्रवृति, फीस पुनर्भरण एवं पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्तीर्ण होने पर नेशनल कौसिंल होटल मेनेजमेन्ट, नोयडा द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता हैं जो कि रोजगार प्राप्ति के लिए मान्यता प्राप्त हैं। वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर,09 तक रूपये 3.06 लाख व्यय कर 29 छात्रो को लाभान्वित किया गया।

संविधान की धारा 275(1)

संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हेतु वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर, 09 तक 1421.67 लाख रूपये व्यय कर निम्नाकिंत उपलब्धिया अर्जित की गई।

- 74 सामुदायिक भवन निर्मित किये गये।
- 6 पम्प एण्ड टेंक योजना पूर्ण की गई।
- 13 विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया गया।
- 20 एनिकट निर्मित किये गये।
- 1 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाऐं निर्मित की गई।
- 29 सड़क निर्मित की गई ।
- 633 कृषि कुओं के विद्युतिकरण हेतु अनुदान प्रदान किया गया।
- 5 आवासीय विद्यालयों का संचालन एवं संस्थापन किया गया।

एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिये विभिन्न विभागों द्वारा सामुदायिक एवं व्यक्तिगत लाभ की अनेक योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही है तथा सभी विभागों को अपने बजट में से जनजातियों के विकास हेतु प्रवाह के तहत 12.56 प्रतिशत राशि का प्रावधान रखा जाता है। वर्ष 2009—10 में राज्य योजना में 2134.36 करोड रूपये के प्रावधान के विपरित माह दिसम्बर, 09 तक 379.60 करोड रूपये व्यय किये गये। केन्द्र प्रवर्तित योजना में 835.53 करोड रूपये के प्रावधान के विपरीत 21.52 करोड रूपये व्यय किये गये।

विभिन्न मदों में आवंटन एवं व्यय (अन्तरिम) की स्थिति निम्न तालिका में प्रस्तुत हैः—

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	मद	आवंटन व्यय	राज्य योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	योग
1	कृषि एवं संबद्व सेवाऐं	आवंटन	10516ण76	3791ण24	14308ण00
		व्यय	476ण58	262ण09	738ण67
2	ग्रामीण विकास	आवंटन	27649ण33	70406ण75	98056ण08
		व्यय	7590ण44	936ण60	8527ण04
3	विशेष क्षेत्रीय परियोजना	आवंटन	1159ण55		1159ण55
		व्यय	88ण84		88ण84
4	सिंचाई	आवंटन	9344ण30		9344ण30
		व्यय	333ण96		333ण96
5	विद्युत	आवंटन	92950ण59		92950ण59
		व्यय	6316ण65		6316ण65
6	उद्योग एवं खनिज	आवंटन	1197ण21	0ण02	1197ण23
		व्यय	231ण21		231ण21
7	परिवहन एवं संचार	आवंटन	7406ण64		7406ण64
		व्यय	3872ण34		3872ण34
8	वैज्ञानिक सेवाऐं एवं अनुसंधान	आवंटन	4ण20		4ण20
		व्यय			
9	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाऐ	आवंटन	63197ण66	9345ण91	72543ण57
		व्यय	19037ण62	943ण99	19981ण61
10	आर्थिक सेवाऐं	आवंटन	9ण30	9ण30	18ण60
		व्यय	12ण61	9ण61	22ण22
	योग :	आवंटन	213435ण54	83553ण22	296988ण76
		व्यय	37960ण25	2152ण29	40112ण54

प्रमुख कार्यक्रमों की भौतिक प्रगति निम्नवत हैं :–

- कृषि विकास के तहत 32978 क्विटंल उन्नत बीज वितरण किया गया।
- 21795 मेट्रिक टन रसायनिक खाद का वितरण किया गया।
- 224 व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के कृषि प्रदर्शन कार्यक्रम से लाभान्वित किया गया।
- 8516 कृषकों को कृषि उपकरण वितरित किये गये।
- 336 कृषकों को पौध संरक्षण उपकरण वितरित किये गये।
- पशुओं के नस्ल सुधार हेतु 9723 नस्ल सुधार केम्प आयोजित किये गये एवं 3.33 लाख पशुओं का गर्भाधान कराया गया।
- ग्रामीण विकास के तहत 2673 परिवारों को इन्दिरा आवास योजना में लाभान्वित किया गया।
- लघु सिंचाई योजनाओं से 283 हेक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- यातायात सुविधा हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 31 नई बस क्रय की गई।
- 161 मकान शहरी क्षेत्र में निर्मित किये गये।
- 2158 छात्रों को पूर्व मेट्रिक छात्रवृति वितरित की गई।
- पोषाहार के तहत 4.71 लाख बच्चों को पोषाहार वितरित किया जा रहा है।

अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 का प्रभावी कियान्वयन पर विस्तृत नोट

राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 32,550 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है जो कि 9.51 प्रतिशत है। राजस्थान राज्य में वन क्षेत्र मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में विद्यमान है। इसके अन्तर्गत उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़ व बारां जिले आते हैं। इसके अतिरिक्त अलवर तथा सवाई माधोपुर में भी पर्याप्त वन क्षेत्र हैं। उक्त 9 जिलों के 60,06,221 हैक्टर कुल भू–भाग में से 15,78,101 हैक्टर पर वन अवस्थित है जो कि लगभग 26.3 प्रतिशत है।

वन क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के जो ऐसे वनों में पीढियों से निवास कर रहे हैं किन्तु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभाग को मान्यता देने और निहित करने, वन भूमि में इस प्रकार निहित अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए अधिनियम 31 दिसम्बर,2007 से प्रभाव में आया।

अनुसूचित क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ एवं सिरोही जिले के सभी 4718 राजस्व ग्रामो में ग्राम सभाएं आयोजित हो चुकी है एवं वन अधिकार समितियां भी गठित कर दी गई हैं। उपखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय वन अधिकार समितियों में पंचायत समिति एवं जिला परिषद के 3–3 सदस्यों का मनोनयन भी कर लिया गया हैं। उपखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण भी आयोजित हो चुके हैं।

गैर अनुसूचित क्षेत्र के 8211 ग्राम पंचायतों में से 6526 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा चुका हैं, 6200 ग्राम पंचायतों में वन अधिकार समितियों का गठन किया गया हैं। 24 जिलो में उपखण्ड स्तरीय समिति में 3–3 पंचायत समिति के सदस्यों तथा 27 जिलों में जिला स्तरीय समिति में 3–3 जिला परिषद सदस्यों का मनोनयन किया गया हैं। इसी तरह 26 जिले में उपखण्ड स्तरीय एवं 27 जिलो में जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किये गये हैं।

कुल 59900 दावें ग्राम सभाओं में प्रस्तुत किये गये हैं। निर्धारित प्रक्रीया अनुसार निस्तारण में विभिन्न स्तर पर कुल 30029 दावें निरस्त किये गये। जिला स्तरीय समिति द्वारा अन्तिम निस्तारण करते हुए 28719 दावें स्वीकार किये गये एवं 1152 दावें लम्बित हैं। स्वीकृत दावों में से दिनॉक 31.12.09 तक 14171 दावों के हक पत्र वितरित किये गये है ।

पीसा एक्ट की कियान्विति

1. राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग ने अपनी अधिसूचना कमांक एफ.10 (5)राजस्व –6 / 2000 / 12 दिनांक 17.4.2002 द्वारा अधिसूचना जारी कर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 183 (बी) के अन्तर्गत तहसीलदार की शक्तियॉ अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भूमि पर अतिकमण के मामलो में कार्यवाही करने की शक्तियां पंचायत समिति को दे दी गई है।
2. राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग में अपनी अधिसूचना कमांक एफ.13(1) राजस्व–6 / 2000 / 13 दिनांक 17.4.2002 द्वारा राजस्थान मनीलेण्डर्स एक्ट 1963 के तहत पूर्व में जारी अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए राजस्थान मनीलेण्डर्स एक्ट 1963 के अन्तर्गत आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को रजिस्ट्रार जनरल, पंचायत समिति को रजिस्ट्रार एवं ग्राम पंचायत को सहायक रजिस्ट्रार अनुसूचित क्षेत्र के लिये नियुक्त किया।
3. राजस्थान सरकार खान (ग्रुप–1) विभाग ने अपनी अधिसूचना दिनांक 12.4.2002 द्वारा खान एवं खनिज (विकास और विनियवन) अधिनियम 1957 की धारा–15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम 1986 को ओर संशोधित किया एवं राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम 2002 जारी किये। इस संशोधन द्वारा नियम–4 के उप नियम 7 के पश्चात् निम्न उप नियम–8 जोड़ा गया।

(8) किसी गौण खनिज के संबंध में कोई भी पूर्वेक्षण अनुप्राप्ति खनन प*ट्टा* या कोई अन्य खनिज रियायत अनुसूचित क्षेत्रों में राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम 1999 (1999 का अधिनियम संख्या–16) के अधीन के प्रयोजन के लिये बने नियमों में यथा–चिन्हित समुचित स्तर पर की पंचायत राज संस्थाओं की पूर्व सिफारिश अभिप्राप्त किये बिना मंजूर नहीं की जायेगी।

ब. परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा) कार्यक्रम

माडा लघुखण्डों में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक विकास के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के संचालन से माडा क्षेत्र में निवास कर रहे जनजाति परिवारों के आर्थिक स्तर को उसी क्षेत्र में निवास करने वाले गैर जनजाति परिवारों के समकक्ष लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। आदिवासियों के विकास के लिए अपनाई गयी रणनीति में व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा हैं।

महाराष्ट्र पैटर्न अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति 2009–10

अ. **माडा क्षेत्र :**

महाराष्ट्र पेटर्न के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में माडा क्षेत्र हेतु 988.82 लाख रूपये के आवन्टन के विरूद्ध दिसम्बर 09 तक 350.00 लाख रूपये व्यय किये गये है । विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यय एवं भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि निम्न प्रकार रही है।

आश्रम छात्रावास संचालन– वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर 09 तक 154.96 लाख रूपये व्यय कर 2775 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। सूची **परिशिष्ठ 14** पर उपलब्ध है।

शिक्षा प्रोत्साहन– जनजाति के अधिक से अधिक बालक बालिकाओं को शिक्षा की ओर प्रवृत किये जाने हेतु माडा योजना में छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के कार्यक्रम कियान्वित किये जा रहे हैं। 2009–10 में इन योजनाओं में माह दिसम्बर 09 तक 18.61 लाख रूपये व्यय किया जाकर 531 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

पेयजल कार्यक्रम– पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर 09 तक 6.69 लाख रूपये व्यय कर 12 हैण्डपम्प स्थापित किये गये हैं।

खेल छात्रावास– महाराष्ट्र पेटर्न अन्तर्गत वर्ष 09–10 में 1 खेल छात्रावास हेतु दिसम्बर 09 तक 3.67 लाख रू व्यय कर 50 छात्रों को लाभान्वित किया गया है।

आवासीय विधालय : माडा क्षेत्र में तीन आवासीय विधालय संचालित है जिसकी प्रवेश क्षमता वर्ष 2009–10 में 700 छात्र/छात्राओं की है। जिसके विरूद्ध 650 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। सूची परिशिष्ठ स पर संलग्न है।

माडा क्षेत्र की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2009–10 माह दिस. 09 (राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना	आवन्टन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
अ	शिक्षा					
1.	आ.छात्रावास संचालन	387.18	154.96	छात्र सं.	41 (3170)	41 (2775)
2.	छात्राओ को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन	17.50	9.94	छात्रा	500	284
3.	प्रतिभावान विधार्थियो को छात्रवृति	17.50	8.67	छात्र	500	247
4.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	20.00	2.95	यूनिट	190	30
5.	आ.छा. मे मरम्मत एवं सुधारीकरण	20.50	25.30	छात्रावास	41	30
6.	खेल छात्रावास	6.67	3.67	सं.	1 (50)	1 (50)
7.	आवासीय विधालय संचालन	93.90	18.50	स/छात्र	2/350	2/324
8.	पीएमटी, पीईटी, आईआईटी कोचिंग	43.00	1.92	संख्या	143	5
9.	आश्रम छात्रावास में वाचनालय एवं पुस्तकालय निर्माण तथा कम्प्यूटर स्थापना	225.50		सं.	41	
ब	विद्यूत					
1ए	कृषि कुओं का उर्जीकरण	1.00	0.28	संख्या	10	3

2ए	जनजाति बस्ती का विद्यूतिकरण	0.01	2.50	संख्या		1
स	यातायात					
1ए	सडक निर्माण	70.00	104.96	कि.मी.	18	18
द	पेयजल					
1ए	हेण्डपम्प स्थापना	50.00	6.69	संख्या	100	12
य	माडा क्षेत्र में पद सृजन	6.00	4.81	पद सं.	17	9
र	स्वरोजगार ऋण अनुदान (एस.एफ.डी.सी)	30.00	0.37	सं.	300	4
ल	अन्य	0.06	4.48			
	योग	988.82	350.00			

ब. **माडा कलस्टर योजना**– माडा कलस्टर में वर्ष 2009–10 में 12.44 लाख के आवंटन के विरूद्ध माह दिसम्बर 09 तक 1.19 लाख रूपये व्यय किये गये है। छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 0.25 लाख रूपये व्यय कर 7 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। प्रतिभावान विधार्थियों को छात्रवृति योजना अंतर्गत 7 विधार्थियों को छात्रवृति प्रदान की गई है। पेयजल योजना के अंतर्गत 0.40 लाख रूपये व्यय कर 1 हेण्डपम्प स्थापित किया गया है।

माडा कलस्टर (महाराष्ट्र पेटर्न)

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2009–10 माह दिसम्बर 09 (राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना	आवन्टन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
अ	कृषि एवं संबंधित सेवाऐं					
1	कृषि कुओं का उर्जिकरण	0.60	0.29		6	3
ब	शिक्षा					
1	छात्राओ को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन	0.67	0.25	ला.	19	7
2	प्रतिभावान विधार्थियो को छात्रवृति	0.67	0.25	″	19′	7
3	हेण्डपम्प निर्माण	10.50	0.40	संख्या	21	1
	योग	12.44	1.19			

स. **बिखरी आबादी** – वर्ष 2009–10 में बिखरी आबादी योजना के अन्तर्गत 318.62 लाख रूपये के आवंटन के विरूद्ध दिसम्बर 09 तक 108.93 लाख रूपये व्यय किये गये छात्राओं हेतु उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना अतंर्गत 228 छात्राओं को एवं प्रतिभावान विधार्थियों को छात्रवृति योजना में 334 विधार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्तमान में 7 आश्रम छात्रावास संचालित किये जाकर 286 विधार्थियों को लाभान्वित किया गया है। पीएमटी/पीईटी/आईआईटी प्रशिक्षण योजना में 20 विधार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना में 40 छात्रों को लाभान्वित किया गया। पेयजल योजना अंतर्गत 10 हैण्डपम्प स्थापित किये गये।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2009–10 की भौतिक प्रगति निम्नानुसार हैंः–

बिखरी जनजाति (महाराष्ट्र पेटर्न)

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2009–10 माह दिसम्बर 09 (राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना	आवन्टन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
अ	विद्यूत					
1ए	कृषि कुओं का उर्जिकरण	0.01	0.92	सं.		15
2ए	सोलर लाईट	7.00	1.20	सं.	140	24
स	सामाजिक एवं सामूदायिक सेवाएं					
1ए	आ.छात्रावास संचालन (सूची परिशिष्ठ 15 पर उपलब्ध)	83.63	26.04	संख्या	350	286
2ए	छात्राओ को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन	24.65	8.01	छात्रा	704	228

3ण	प्रतिभावान विधार्थियो को छात्रवृति	23.68	13.83	विद्यार्थी	677	334
4ण	प्रतिष्टित संस्थाओ द्वारा पी.एम.टी / पी.ई.टी. आई.आई.टी. हेतु कोचिंग	17.10	1.39	छात्र	57	20
5ण	आश्रम छात्रावास आधुनिकीकरण / मरम्मत	3.00	3.81	छात्रावास	6	4
6ण	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	20.00	1.64	छात्र	200	40
7ण	हेण्डपम्प स्थापना	20.00	5.01	सं.	40	10
8ण	उच्च व्यवसायिक शिक्षा प्रोत्साहन	11.00	1.55	ला.	220	31
9ण	स्वरोजगार ऋण अनुदान (एस.एफ.डी.सी.)	70.00		ला.	700	
10ण	आश्रम छात्रावास में वाचनालय एवं पुस्तकालय निर्माण तथा कम्प्यूटर स्थापना	38.50		सं.	7	
11ण	अन्य	0.04	1.09			
12ण	सडक निर्माण	0.01	44.44	कि.मी.		5
	योग	318.62	108.93			

विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वर्ष 2009–10 (माह दिसम्बर 09)

अ. **माडा**

वर्ष 2009–10 में माडा लघुखण्ड में 1160.00 लाख रूपये आवंटन के विरूद्ध 518.27 लाख रूपये व्यय किये गये जिससे विस्फोट द्वारा 36 कृषि कुए गहरे कराये गये, 7 एनिकटों का निर्माण, 176 डीजल/ इलेक्ट्रीक पम्प सेट वितरण, 3 फव्वारा सिंचाई सेट वितरण, 34 व्यक्तियों को पीवीसी पाईप लाईन वितरण, 5 जल ग्रहण क्षेत्र का निर्माण किया गया। महिला स्वयं सहायता समूह योजना में 76 महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (वर्ष 2009–10) माह दिसम्बर 09 (राशि लाखों में)

क्र.सं.	सेक्टर/योजना	आवन्टन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
अ	कृषि एवं सहायक सेवाएं					
1ए	बैफ सेन्टर	26.28	0.29	यूनिट	11	3
2ए	पावर थ्रेसर पर अनुदान	20.80	5.40	संख्या	52	13
3ए	उधानिकी कार्यक्रम (बैफ द्वारा)	0.01	81.68	’’		1234
4ए	दुधारू पशु वितरण	35.00	10.08	’’	140	40
5ए	सब्जी उत्पादन	5.26		’’	600	
6ए	कृषि उपकरण	10.00	2.00	’’	200	20
ब	सिंचाई					
1ए	कृषि कुओं को ब्लास्टिंग द्वारा गहरा कराना	10.08	1.55	लाभा.	168	36
2ए	एनिकट	380.00	140.98	संख्या	40	7
3ए	विद्युत डीजल पम्पसेट	108.81	70.41	’’	272	176
4ए	फव्वारा के लिए अनुदान	1.22	0.41	’’	10	3
5ए	सामूदायिक कृषि टयूबवैल	5.00	19.02	’’	2	7
6ए	बन्द पडी जलोत्थान सिंचाई योजना का पुनर्द्धार/नवीन योजना	66.76		’’	8	
7ए	जलग्रहण विकास	195.00	64.56	’’	26	5
8ए	पीवीसी पाईप लाईन वितरण	15.20	3.01	’’	76	34
स	सामाजिक सामुदायिक सेवाए					
1ए	महिला स्वयं सहायता समूह	40.56	19.01	लाभा.	162	76
2ए	जनजाति व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षणा एवं स्वरोजगार		70.73	’’		200
3ए	सम्पर्क सडक	123.60	14.60	संख्या	18	2
4ए	राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन आई.टी.	41.40		लाभा.	1800	
5ए	व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण(आरमोल एवं अन्य द्वारा)	75.00		लाभा.	300	
6ए	समूह आधारित आय संवर्द्धन	0.01	10.23	लाभा.		40
द	अन्य योजनाएं	0.01	4.31			
	योग	1160.00	518.27			

ब. **माडा कलस्टर**

वर्ष 2009–10 में विशेष केन्द्रीय सहायता में 42.00 लाख रूपये के आंवटन के विरूद्ध माह दिसम्बर तक 14.85 लाख रूपये व्यय किये गये। 26 डीजल पम्प सेट पर अनुदान दिया गया 20 जनजाति व्यक्तियों को पीवीसी पाईप लाईन वितरण किया गया।

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2009–10 माह दिसम्बर 09 (राशि लाखों में)

क्र.सं	योजना	आवन्टन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1	लघु सिंचाई					
1प	कृषि कुओं को ब्लास्टिंग द्वारा गहरे कराना	2.28	1.00	लाभा.	38	16
2प	डिजल/विद्युत पम्पसेट पर अनुदान	17.50	10.55	संख्या	44	26
3प	फव्वारा सिंचाई सेट पर अनुदान	5.76		लाभा.	38	
4प	पी.वी.सी. पाईप लाईन वितरण	2.00	1.96	लाभा.	20	20
5प	एनिकट निर्माण	10.00		संख्या	3	
6प	सम्पर्क सडक	4.45		संख्या	1	
7प	अन्य	0.01	1.34			
	योग	42.00	14.85			

स. **बिखरी जनजाति**

बिखरी जनजाति क्षेत्र में वर्ष 2009–10 में वि.के.स. मद में 1642.34 लाख रूपये के विरूद्ध माह दिस. 09 तक 515.87 लाख रूपये व्यय किया गया। जिससे 100 डीजल/इलेक्ट्रीक पम्पसेट वितरण, 7 एनिकट निर्माण, 40 फव्वारा सिंचाई सेट वितरण, 58 व्यक्तियों को पीवीसी पाईप लाईन वितरण किया गया। महिला स्वयं सहायता समूह में 364 महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वर्ष 2009–2010 माह दिसम्बर 09 (राशि लाखों में)

क्र.	योजना	आवन्टन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
अ	कृषि एवं सहायक सेवाएं					
1	पावर थ्रेसर पर अनुदान	35.00	8.40	सं.	87	21
2	बाड़ी विकास योजना	0.01	70.56	लाभा.		362
3	दुधारू पशु क्रय योजना	45.00	22.15	लाभा.	180	88
ब	लघु सिंचाई					
1	ब्लास्टिंग द्वारा कृषि कूए गहरे कराना	42.77	2.75	लाभा.	713	45
2	एनिकट	500.00	116.28	संख्या	55	7
3	पी.वी.सी. पाईपलाईन	45.00	6.99	संख्या	225	58
4	विद्युत/डीजल पम्पसेट पर अनुदान	150.50	39.62	संख्या	376	100
5	सामुदायिक कृषि ट्यूबवैल स्थापना	20.00	5.43	संख्या	8	2
6	फव्वारा सिंचाई सेट पर अनुदान	35.00	5.07	लाभा.	233	40
7	नवीन एवं बन्द पडी जलोंत्थान सिंचाई योजनाएं	56.00	3.50	संख्या	8	1
स	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं					
	जनजाति व्यक्तियों हेतु कृषि प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार		73.25	लाभा.		293
1प	महिला स्वयं सहायता समूह	200.00	91.03	लाभा.	800	364
2प	सम्पर्क सडक	344.05	35.01	किमी	35	4
3प	राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन आई.टी.	69.00		सं.	3000	
4प	व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण(आरमोल एवं अन्य द्वारा)	100.00		सं.	400	
5प	समूह आधारित आय संवर्द्धन	0.01	30.71	लाभा.		120
6प	अन्य		5.12			
	योग	1642.34	515.87			

संविधान की धारा 275(1) अन्तर्गत प्रगति

गैर अनुसूचित क्षैत्र में संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में 958.40 लाख रू. की स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्राप्त स्वीकृति के विरूद्ध दिसम्बर 09 तक योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्नानुसार है–

वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वर्ष 2009–10 माह दिसम्बर 09 (राशि लाख रू. में)

क्र.	योजना	स्वीकृत राशि	व्यय	लक्ष्य	उपलब्धि
1	आश्रम छात्रावासों में अतिरिक्त डोरमेट्री निर्माण	125.40	–	47	–
2	सामुदायिक भवन निर्माण	80.00	38.40	27	8
3	आश्रम छात्रावासो की मरम्मत एवं रख–रखव	100.00	–	47	–
4	सडक निर्माण	317.00	73.12	32 कि.मी.	10
5	बस्ती विद्युतिकरण	66.00	–	33 बस्ती	–
6	गर्ल्स हॉस्टल	200.00	–	1	–
7	आवासी विद्यालय संचालन	70.00	52.00	–	–
8	अन्य (अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, पम्प एण्ड टेंक, उप स्वास्थ्य केन्द्र, कलवर्ट/पुलिया, बस स्टॉप		24.42		
	योगः–	958.40	187.94		

सहरिया विकास कार्यक्रम

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित योजनाओं हेतु वर्ष 2008–09 में 1870.51 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया एवं वर्ष 2009–10 हेतु 2233.14 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। मदवार प्रावधान एवं व्यय की सूचना निम्नांकित तालिका में दर्शाई गई हैः–

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	मद	वर्ष 2008–09		वर्ष 2009–10	
		आवंटन	व्यय	प्रस्तावित आवंटन	व्यय 12/09
1	विशेष केन्द्रीय सहायता	109.66	57.85	109.66	22.69
2	संविधान की धारा 275(1)	0.00	122.72	272.00	63.45
3	महाराष्ट्र पेटर्न	603.36	415.57	571.20	346.94
4	केन्द्र प्रवर्तित योजना	1157.49	61.09	1280.28	309.24
	योग	1870.51	657.23	2233.14	742.32

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित की वर्ष 2009–10 (दिसम्बर, 2009 तक) की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं ।

वर्ष 2009–10 में महाराष्ट्र प्रणाली के तहत सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रूपये 571.20 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्य दिसम्बर 09 तक 278.99 लाख रूपये प्राप्त हुए एवं 346.94 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है।

1. आश्रम छात्रावास संचालन एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियॉ :–

वर्ष 2009–10 में 20 आश्रम छात्रावासों का संचालन कर 1030 छात्र–छात्राओं के लक्ष्य विरूद्ध 1038 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जा गया है। इन छात्र–छात्राओं को छात्रावास की समस्त सुविधा मुहैया कराई गई है। अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में छात्रावास संस्थापन व्यय, आश्रम छात्रावासों के 300 छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण एवं आश्रम छात्रावास के बोर्ड परीक्षा (कक्षा 10 एवं 12) के छात्र–छात्राओं को कोचिंग करवाना है। आश्रम छात्रावास संचालन एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में दिसम्बर 09 तक राशि रूपये 43.91 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है। छात्रावासवार छात्र क्षमता एवं प्रवेश का विवरण **परिशिष्ट ''15''** पर संलग्न है।

2. मुफ्त पोशाक वितरण (कक्षा 1 से 5 तक)

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में दिसम्बर 09 तक रूपये 19.21 लाख रूपये व्यय कर 9613 सहरिया छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

3. मुफ्त स्टेशनरी वितरण (कक्षा 1 से 5 तक)

इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 2009–10 में दिसम्बर 09 तक रूपये 7.55 लाख रूपये व्यय कर 9613 सहरिया छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

4. मुफ्त स्टेशनरी पोशाक एवं स्कूल फीस वितरण (कक्षा 6 से 12 तक)

इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 2009–10 में दिसम्बर 09 तक रूपये 16.84 लाख रूपये व्यय कर 2106 सहरिया छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

5. प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को छात्रवृति

इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 2009–10 में दिसम्बर 09 तक रूपये 0.05 लाख रूपये व्यय कर 1 सहरिया छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

6. कॉलेज छात्रा–छात्राओं को अर्थिक सहायता

इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 2009–10 में दिसम्बर 09 तक रूपये 1.69 लाख रूपये व्यय कर 13 सहरिया छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

7. सहरिया छात्रों को उपस्थिति हेतु प्रोत्साहन

इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 2009–10 में दिसम्बर 09 तक रूपये 1.58 लाख रूपये व्यय कर 496 सहरिया छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

8. मॉ–बाडी संचालन

मॉ–बाडी योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में 180 मॉ–बाडी केन्द्रों का संचालन कर 5400 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया है । माह दिसम्बर 09 तक इस योजना में रूपये 142.48 लाख व्यय किये जा चुके है।

9. दुर्घटना एवं बिमारी में सहायता

इस योजना में वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर 09 तक 0.90 लाख रूपये व्यय कर 9 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

10. पीएमटी/पीएटी/आईआईटी कोचिंग

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर 09 तक 0.50 लाख रूपये व्यय कर 1 छात्र को पीएमटी की कांचिंग से लाभान्वित किया गया है।

11. बी.एस.टी.सी. प्रशिक्षण

इस योजना में वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर 09 तक 1.20 लाख रूपये व्यय कर 8 सहरिया छात्र–छात्राओं को लाभन्वित किया जा चुका है।

12. मॉ–बाडी केन्द्र भवन निर्माण

इस योजना में माह दिसम्बर 09 तक 18.55 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है। 16 मॉ–बाडी केन्द्रो के भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है एवं 29 मॉ–बाडी केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

13. आश्रम छात्रावास मरम्मत आधुनिकीकरण एवं रखरखाव :–

वर्ष 2009–10 में आश्रम छात्रावास मरम्मत आधुनिकीकरण एवं रखरखाव राशि रूपये 2.00 लाख के प्रावधान के विरूद्य पिछले वर्ष की बचत राशि के विपरीत माह दिसम्बर 09 तक 6.93 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है। (शेष राशि गत वर्षो की बचत राशि से व्यय की गई है)

14. बालिका आवासीय विद्यालय किशनगंज संचालन/संस्थापन

बालिका आवासीय विद्यालय किशनगंज के संचालन एवं संस्थापन पर माह दिसम्बर 09 तक रूपये 9.86 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है। 200 छात्रा क्षमता के विरूद्य आवासीय विद्यालय के द्वारा 194 छात्राओं को लाभान्वित किया जा गया है।

15. अधुरे छात्रावास निर्माण

अधुरे छात्रावास निर्माण कार्य पर माह दिसम्बर 09 तक पिछले वर्ष की बचत से रूपये 24.90 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

16. कन्या छात्रावास भवन निर्माण

सहरिया बालिकाओं हेतु ग्राम समरानियॉ, नाहरगढ एवं रामगढ में आश्रम छात्रावासों के भवन निर्माणाधीन है। भवन निर्माण कार्य पर माह दिसम्बर 09 तक रूपये 39.77 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है।

सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम (पी.टी.जी.) में राशि रूपये 1280.28 लाख का वित्तीय प्रावधान अनुमोदित किया गया हैं। यह राशि भारत सरकार से प्राप्त होनी है। दिसम्बर 09 तक संचालित विभिन्न योजनाओं में 309.24 लाख रूपये का व्यय किये गये है।

1. जन–श्री–बीमा योजना

जन श्री बीमा योजना के अन्तर्गत 6750 सहरिया आदिम जनजाति के परिवारों का बीमा करवाया गया है। माह दिसम्बर 09 तक इस योजना में 7.425 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है।

2. सहरिया इनोवेटिव योजना

सहरिया इनोवेटिव योजना के अन्तर्गत संचालित की जा रही गतिविधियों पर माह दिसम्बर 09 तक रूपये 50.85 लाख व्यय कर 1465 सहरिया व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

3. सीसीडी योजना –

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत इस योजना में स्वीकृत योजनाओ में रूपये 1157.49 लाख की राशि राशि मार्च 09 के अन्त में प्राप्त होने से इन योजनाओं की वास्तविक क्रियान्विति वर्ष 2009–10 में प्रारम्भ हुई है। दिसम्बर 09 तक विभिन्न योजनाओं में 250.97 लाख रूपये का व्यय किये गये है।

3.1 मॉ–बाडी भवन निर्माण

इस योजना के अन्तर्गत 27 मॉ–बाडी केन्द्रो का भवन निर्माण करवाया जा रहा है। दिसम्बर 09 तक इस योजना में 4.60 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है। मॉ–बाडी केन्द्र भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3.2 आवासीय विद्यालय भवन निर्माण

इस योजना के अन्तर्गत शाहाबाद (कन्या) एवं रामगढ (बालक) में आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर 09 तक इस योजना में 200.00 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है।

3.3 आश्रम छात्रावास भवन निर्माण

इस योजना के अन्तर्गत ग्राम केलवाडा में बालकों के लिए छात्रावास भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। दिसम्बर 09 तक इस योजना में 7.10 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है।

3.4 सहरिया आवास निर्माण

इस योजना के अन्तर्गत सहरिया आदिम जनजाति के व्यक्तियों के लिए तहसील किशनगंज में 525 एवं तहसील शाहाबाद में 324 कुल 849 सहरिया आवासों का निर्माण करावाया जायेगा। आवास निर्माण हेतु सहरिया व्यक्तियों का चयन कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

3.5 किचिन गार्डन मय ड्राई स्टोन बाउन्ड्री

इस योजना के अन्तर्गत क्र.सं. 3.4 की योजना के लाभान्वित परिवारों के आवासों में यह कार्य करवाया जावेगा।

3.6 सहरिया बस्तियों मे कल्वर्ट निर्माण

इस योजना के अन्तर्गत 4 सहरिया बस्तियों में कल्वर्ट का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 12 सहरिया बस्तियों में कल्वर्ट निर्माण कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर 09 तक इस योजना में 5.30 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है।

3.7 मॉ–बाडी केन्द्र संचालन

इस योजना के अन्तर्गत 27 नवीन मॉ–बाडी केन्द्रो का संचालन माह जुलाई 2009 से प्रारम्भ कर 810 सहरिया जनजाति के बालको ं को लाभान्वित किया गया है। दिसम्बर 09 तक इस योजना में 17.09 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है।

3.8 सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी

इस योजना के अन्तर्गत 180 सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी (महिला) को 45 दिवस का प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी (महिला) कार्यकर्ताओं को प्राथमिक उपचार हेतु दवा का किट भी उपलब्ध करवाया गया है। दिसम्बर 09 तक इस योजना में 16.88 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है।

विशेष केन्द्रीय सहायता

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में विशेष केन्द्रीय सहायता मद में राशि रूपये 109.66 लाख के वित्तीय प्रावधान के अनुमोदित किया गया हैं। प्रावधान के विरूद्य दिसम्बर 09 तक राशि प्राप्त नहीं हुई हैं एवं पिछले वर्ष की बचत से दिसम्बर 09 तक विभिन्न योजनाओं में 22.69 लाख रूपये का व्यय किये गये है।

1. एनीकट निर्माण

एनीकट निर्माण हेतु वर्ष 2008–09 में 40.00 लाख रूपये का बजट प्राप्त हुआ है। माह दिसम्बर 09 तक राशि रूपये 0.13 लाख रूपये व्यय किये गये हैं, एनीकटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

2. निःशुल्क सामुहिक डीजल पम्प सेट वितरण

इस योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर 09 तक 67 डीजल पम्प सेट क्रय किये जाकर 17.75 लाख रूपये व्यय किये गये है। अब तक 11 समुहों को पम्प सेट वितरित किये गये है। इन 11 समुहो के द्वारा 53 सहरिया कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

3. बायफ के माध्यम से कृषि कार्य

बायफ के माध्यम से सहरिया आदिम जनजाति के सतत विकास हेतु पाचॅ वर्षीय योजना का क्रियान्वय किया जा रहा है। निम्न योजनाओं की क्रियान्विति बायफ द्वारा की जा रही है। माह दिसम्बर 09 तक रूपये 4.81 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है।

1. जल संसाध विकास
2. उन्नत कृषि एवं फलोद्यान कार्य
3. बकरी इकाई कार्यक्रम
4. नस्ल सुधार हेतु जनक बकरों का वितरण
5. भूमि विकास
6. क्षेत्र भ्रमण
7. क्षेत्र की गतिविधियों के अनुरूप लाभाथियों को प्रशिक्षण
8. स्थानीय समुदाय को प्रशिक्षण
9. समुदायिक बैठके तथा पी.आर.ए.
10. ग्रामीण गैर कृषि उद्योग

भारतीय संविधान की धारा 275(1)

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में भारतीय संविधान की धारा 275(1) में विभिन्न योजनाओं में रूपये 272.00 लाख प्रस्तावित किये गये है। माह दिसम्बर 09 किसी भी योजना में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नही हुई। माह, दिसम्बर 09 तक विभिन्न योजनाओं में पूर्व वर्ष की बचत के विरूद्य रूपये 63. 45 लाख रूपये का व्यय किये गये है।

1. बालिका आवासीय भवन निर्माण किशनगंज

बालिका आवासीय विद्यालय किशनगंज का निर्माण कार्य राजस्थान राज्य सडक विकास एवं निर्माण निगम कोटा द्वारा करवाया जा रहा है । तृतीय चरण के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि 75.00 लाख रूपये के विरूद्व दिसम्बर 09 तक रूपये 24.17 लाख व्यय किये जा कर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

2. आवासीय विद्यालय भवन निर्माण शाहाबाद

आवासीय विद्यालय शाहाबाद भवन निर्माण पंचम चरण का निर्माण कार्य आर.एस.आर.डी.सी. कोटा द्वारा करवाया जा रहा है । पंचम चरण निर्माण के लिए स्वीकृत राशि 65.00 लाख रूपये के विरूद्व दिसम्बर 09 तक रूपये 23.46 लाख व्यय किये जा चुके है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3. आवासीय विद्यालय संचालन/संस्थापन शाहाबाद

आवासीय विद्यालय संचालन शाहाबाद के संचालन/संस्थापन हेतु वर्ष 2007–08 की बचत राशि के विरूद्व माह दिसम्बर 09 तक राशि रूपये 15.16 लाख रूपये व्यय कर 258 छात्रों को लाभान्वित किया जा चुका है।

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है।

महाराष्ट्र प्रणाली

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विश्लेषण वर्ष 2008–09 (राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	आवन्टन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1	आश्रम छात्रावास संचालन एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधॉ (19)	31ण10	62ण21	छात्रावास सं.	19	19
2	आश्रम छात्रावासो के छात्रों को कोचिंग	0ण00	0ण07	छात्रावास सं.	8	8
3	आश्रम छात्रावासों का शैक्षणिक भ्रमण	0ण00	0ण30	छात्र सं.	300	300
4	मुफ्त पोशाक वितरण (कक्षा 1 से 5)	18ण90	20ण86	छात्र सं.	16500	12097
5	मुफ्त स्टेशनरी वितरण (कक्षा 1 से 5)	4ण84	7ण73	छात्र सं.	16500	10381
6	मुफ्त स्टेशनरी पौशाक एवं स्कूल फीस वितरण(कक्षा 6–12)	16ण72	15ण69	छात्र सं.	2300	1961
7	प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृति	0ण00	0ण20	छात्र सं.	8	4
8	कौलेज छात्रों को आर्थिक सहायता	3ण19	0ण78	छात्र सं.	25	6
9	बी.एड. प्रशिक्षण	0ण64	0ण32	लाभा. सं.	2	1
10	मॉ–बाड़ी योजना	210ण39	185ण24	केन्द्र सं.	180	180
11	क्षयरोग नियन्त्रण एवं स्वास्थ्यकर्मी योजना	0ण00	10ण98	लाभा. सं.	400	361
12	सहरिया बस्तियों में हैण्डपम्प स्थापना	6ण50	2ण60	हैण्ड.सं.	10	10
13	मॉ–बाड़ी भवन निर्माण (पूंजीगत व्यय)	0ण00	9ण05	केन्द्र सं.	2	2
14	आवा.विद्या.मे कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापना	0ण00	0ण09		–	–
15	फूड फारॅ एज्यूकेषन परिवहन व्यय	7ण50	3ण62		–	–
16	आश्रम छात्रा.बारां बालक हेतु साईकिल क्रय	4ण00	0ण00	छात्र.सं.	200	0
17	सहरिया छात्रों को उपस्थिति प्रोत्साहन	5ण00	0ण00	छात्र.सं.	2300	0
18	आवासीय विद्या किशनगंज संचालन/संस्था.	6ण06	10ण51	विद्या.सं.	1ध150	1ध139
19	संभागीय आयुक्त कार्यालय कोटा एवं एडीएम शाहाबाद हेतु कार्यालय व्यय	0ण00	0ण42		–	–
20	संभागीय आयुक्त (सहरिया) कोटा में नवीन पदों का सृजन	1ण56	0ण00	पद सं.	1	0
21	एडीएम कार्यालय शाहाबाद में नवीन पदों का सृजन	0ण60	0ण00	पद सं.	1	0
22	इन्टीग्रटेड मेडीकल कैम्प	0ण00	5ण44	केम्प सं.	5	57
23	अधूरे छात्रावासों को पूर्ण करना	28ण80	25ण00	छात्रावास सं.	7	
24	आश्रम छात्रावास परियोजना कार्यालय भवन एवं कर्मचारी आवास आधुनिकीकरण/मरम्मत/रख–रखाव	10ण00	22ण86	भवन सं.	17	17
25	बी.एस.टी.सी प्रशिक्षण	2ण85	3ण00	छात्र सं.	20	20
26	आश्रम छात्रावास खेलकूद प्रतियोगिता	0ण50	0ण00	प्रति सं.	1	1
27	आश्रम छात्रावास के छात्रों को टेबल कुर्सी	8ण36	0ण00	छात्र सं.	836	0
28	प्रतिष्ठित विद्यालयों प्रवेश	1ण25	0ण00	छात्र सं.	5	0
29	आर.ए.एस. कोंचिंग	0ण50	0ण00	लाभा. सं.	1	0
30	पीएमटी/पीएटी कांचिंग	0ण50	0ण00	लाभा. सं.	1	0
31	मॉ–बाड़ी भवन निर्माण (50)	50ण00	12ण75	केन्द्र सं.	50	0
32	सडक निर्माण	5ण00	0ण00	सड़क सं.	2	0
33	कल्वर्ट निर्माण	4ण00	0ण00	कर्ल्वट सं.	3	0
34	पम्प एवं टेंक योजना	9ण50	0ण00	टेंक सं.	19	0
35	अस्पताल में भर्ती सहरियाओं को सहायता	2ण00	0ण00	लाभा. सं.	–	–
36	दुर्घटना एवं बिमारी में सहायता	2ण50	0ण00	लाभा. सं.	–	–
37	कन्या छात्रावास भवन निर्माण (3)	150ण00	15ण85	भवन सं.	3	0
38	निरिक्षण हेतु वाहन किराया	0ण60	0ण00		–	–
39	सीताबाडी विकास	10ण00	0ण00		–	–
	योग	**603ण36**	**415ण57**			

सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विश्लेषण वर्ष 2008–09 (राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	आवन्टन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि

1	2	3	4	5	6	7
1	मत्स्य विकास	0ण00	1ण69	लाभा. सं.		
2	सहरिया इनोवेटिव योजना	0ण00	59ण40	लाभा. सं.	1600	1395
3	मॉबाडी भवन निर्माण(27)	27ण00	0ण00	केन्द्र सं.	27	0
4	आवासीय विद्यालय भवन निर्माण	480ण00	0ण00	विद्या. सं.	2	0
5	आश्रम छात्रावास भवन निर्माण केलवाडा	50ण00	0ण00	छात्रा. सं.	1	0
6	सहरिया आवास निर्माण	424ण50	0ण00	आवास सं.	849	0
7	किचन गार्डन में डाई स्टोन बाउन्डी	84ण90	0ण00	आवास सं.	849	0
8	सहरिया बस्ती में कल्वर्ट निर्माण	15ण08	0ण00	कल्वर्ट सं.	16	0
9	मॉ–बाडी केन्द्र संचालन (27)	42ण66	0ण00	केन्द्र सं.	27	0
10	सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी	33ण35	0ण00	सहयोगी सं.	180	0
	योग	1157ण49	61ण09			

विशेष केन्द्रीय सहायता						
भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विश्लेषण वर्ष 2008–09 (राशि लाखों में)						
क्र.सं.	योजना का नाम	आवन्टन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1	बैयफ कार्यक्रम	3ण60	13ण88	लाभा. सं.	300	301
2	बंजर भूमि विकास (रतनजोत)	25ण00	0ण00	लाभा. सं.	छवज पिग	
3	फलदार वृक्षों का वितरण	9ण00	0ण00	लाभा. सं.	छवज पिग	
4	कृषि उपकरण वितरण	10ण00	0ण00	लाभा. सं.	छवज पिग	
5	निःशुल्क सामु. डीजल पम्पसेट वितरण	12ण20	11ण88	डी पम्प सं.	49	36
6	एनीकट निर्माण	40ण00	29ण83	एनीकट सं.	2(40)	3(60)
7	बंद सामु.जलोत्थान योजना को पुनः चालू करना	5ण00	0ण00		छवज पिग	
8	ब्लास्टिग द्वारा कुए गहरा कराना	3ण00	2ण26	लाभा. सं.	50	30
9	स्वरोजगार योजना	1ण86	0ण00	लाभा. सं.	19	
10	सामुदायिक कृषि ट्यूबवैल निर्माण	0ण00	0ण00			
	योग	109ण66	57ण85			

महाराष्ट्र प्रणाली						
भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विश्लेषण वर्ष 2009–10 माह दिसम्बर 09 (राशि लाखों में)						
क्र.सं.	योजना का नाम	आवन्टन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1	आश्रम छात्रावास संचालन एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधॉ (19)	110ण54	39ण44	छात्रावास सं.	19	19
2	नवीन आश्रम छात्रावास संचालन/संस्थापन(2)	0ण00	3ण97	छात्रावास सं.	2	1
3	आश्रम छात्रावासो के छात्रों को कोचिंग	0ण00	0ण50	छात्रावास सं.	12	12
4	मुफ्त पोशाक वितरण (कक्षा 1 से 5)	25ण80	19ण21	छात्र सं.	11229	9613
5	मुफ्त स्टेशनरी वितरण (कक्षा 1 से 5)	11ण12	7ण55	छात्र सं.	11229	9613
6	मुफ्त स्टेशनरी पौशाक एवं स्कूल फीस वितरण(कक्षा 6–12)	18ण40	16ण84	छात्र सं.	2300	2106
7	प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृति	0ण20	0ण05	छात्र सं.	4	1
8	कौलेज छात्रों को आर्थिक सहायता	3ण25	1ण69	छात्र सं.	25	13
9	सहरिया छात्राओं को निःशुल्क साईकल वितरण(कक्षा 9–12)	0ण01	0ण00	छात्रा सं.	0	0
10	बी.एड. प्रशिक्षण	0ण64	0ण00	छात्र सं.	2	0
11	मॉ–बाड़ी योजना	234ण97	142ण48	केन्द्र सं.	180	180
12	क्षयरोग नियन्त्रण एवं स्वास्थ्यकर्मी योजना	0ण01	5ण40	लाभा. सं.	0	0
13	सहरिया बस्तियों में हैण्डपम्प स्थापना	2ण50	0ण00	हैण्ड सं.	4	0
14	मॉ–बाड़ी भवन निर्माण (पूंजीगत व्यय)	0ण00	2ण90	केन्द्र सं.	2	2
15	नवीन आश्रम छात्रावास टीवी मय डीटीएच एवं पुस्तकालय की स्थापना (5)	0ण00	1ण66	छात्रावास सं.	0	0
16	सहरिया छात्रों को उपस्थिति प्रोत्साहन	0ण00	1ण58	छात्र सं.	2300	138
17	आवासीय विद्या किशनगंज संचालन/संस्था.	37ण78	9ण86	विद्यालय सं.	1	1
18	संभागीय आयुक्त कार्यालय कोटा एवं एडीएम शाहाबाद हेतु कार्यालय व्यय	0ण25	0ण26	–	0	0
19	संभागीय आयुक्त (सहरिया) कोटा में नवीन पदों का सृजन	0ण26	0ण47	–	1	1
20	एडीएम कार्यालय शाहाबाद में नवीन पदों का सृजन	0ण12	0ण22	–	1	1
21	सहरिया विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार	0ण01	0ण11	–	0	0
22	अधूरे छात्रावासों को पूर्ण करना	0ण00	24ण90	छात्रावास सं.	7	2
23	आश्रम छात्रावास परियोजना कार्यालय भवन एवं कर्मचारी आवास आधुनिकीकरण/मरम्मत/रख–रखाव	2ण00	6ण93	भवन सं.	21	15

24	बी.एस.टी.सी प्रशिक्षण	3ण्00	1ण्20	छात्र सं.	20	8
25	आश्रम छात्रावास खेलकूद प्रतियोगिता	0ण्50	0ण्00	प्रति सं.	1	0
26	आश्रम छात्रावास के छात्रों को टेबल कुर्सी	0ण्01	0ण्00	छात्र सं.	836	0
27	आर.ए.एस. कोंचिंग	0ण्01	0ण्00	लाभा. सं.	0	0
28	पीएमटी / पीएटी / आईआईटी कांचिंग	0ण्01	0ण्50	लाभा. सं.	1	1
29	मॉ–बाड़ी भवन निर्माण (50)	0ण्00	18ण्55	केन्द्र सं.	50	16
30	दुर्घटना एवं बिमारी में सहायता	0ण्01	0ण्90	लाभा. सं.	0	9
31	कन्या छात्रावास भवन निर्माण (3)	0ण्00	39ण्77	छात्रावास सं.	3	0
32	निरिक्षण हेतु वाहन किराया	1ण्00	0ण्00	–	0	0
33	सूचना तकनीक में सर्टिफिकेट कोर्स	2ण्30	0ण्00	लाभा. सं.	100	0
34	सहरिया ए.एन.एम. प्रशिक्षाणार्थी को आर्थिक सहायता	1ण्00	0ण्00	लाभा. सं.	8	0
35	आश्रम छात्रावासों में रीडिग रूम निर्माण मय पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर	115ण्50	0ण्00	छात्रावास सं.	21	0
	योग	571ण्20	346ण्94			

सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम						
भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विश्लेषण वर्ष 2009–10 माह दिसम्बर 09 (राशि लाखों में)						
क्र.सं.	योजना का नाम	आवन्टन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1	जन श्री बीमा योजना	0ण्00	7ण्42	लाभा. सं.	6750	6750
2	सहरिया इनोवेटिव योजना	0ण्00	50ण्85	लाभा. सं.	1600	1465
3	मॉबाडी भवन निर्माण(27)	27ण्00	4ण्60	केन्द्र सं.	27	न्द चतव
4	आवासीय विद्यालय भवन निर्माण	550ण्00	200ण्00	विद्या. सं.	2	न्द चतव
5	आश्रम छात्रावास भवन निर्माण केलवाडा	0ण्00	7ण्10	छात्रा. सं.	1	न्द चतव
6	आश्रम छात्रावास भवन निर्माण जलवाडा	50ण्00	0ण्00	छात्रा. सं.		
7	सहरिया आवास निर्माण	424ण्50	0ण्00	आवास सं.	849	0
8	किचन गार्डन में डाई स्टोन बाउन्डी	84ण्90	0ण्00	आवास सं.	849	0
9	सहरिया बस्ती में कल्वर्ट निर्माण	24ण्00	5ण्30	कल्वर्ट सं.	16	0
10	मॉ–बाडी केन्द्र संचालन (27)	83ण्16	17ण्09	केन्द्र सं.	27	0
11	सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी	36ण्72	16ण्88	सहयोगी सं.	180	180
	योग	1280ण्28	309ण्24		10301	8395

विशेष केन्द्रीय सहायता						
भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विश्लेषण वर्ष 2009–10 माह दिसम्बर 09 (राशि लाखों में)						
क्र.सं.	योजना का नाम	आवन्टन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1	एनीकट निर्माण	40ण्00	0ण्13	एनीकट सं.	2	0
2	निःशुल्क सामु. डीजल पम्पसेट वितरण	18ण्00	17ण्75	डी पम्प सं.	50	11
3	सहरिया परिवारों के सतत विकास हेतु जीपिकोपार्जन (बायफ कार्यक्रम)	8ण्25	4ण्81	लाभा. सं.	300	301
4	स्वरोजगार योजना	0ण्01	0ण्00	लाभा. सं.	0	0
5	बंजर भूमि विकास (रतनजोत)	0ण्01	0ण्00	लाभा. सं.	0	0
6	ब्लास्टिग द्वारा कुए गहरा कराना	3ण्00	0ण्00	लाभा. सं.	50	0
7	फलदार वृक्षों का वितरण	0ण्01	0ण्00	लाभा. सं.	0	0
8	कृषि उपकरण वितरण	5ण्00	0ण्00	लाभा. सं.	67	0
9	बंद सामु.जलोत्थान योजना को पुनः चालू करना	2ण्00	0ण्00	लिफ्ट स.	.	0
10	सामुदायिक कृषि ट्यूबवैल निर्माण (11)	33ण्38	0ण्00	ट्यूबवैल सं.	11	0
	योग	109ण्66	22ण्69			

भारतीय संविधान की धारा 275 (1) के तहत						
भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विश्लेषण वर्ष 2009–10 माह दिसम्बर 09 (राशि लाखों में)						
क्र.सं.	योजना का नाम	आवन्टन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1	बालिका आवा. विद्या. भवन निर्माण किशनगंज	164ण्00	24ण्17	विद्यालय सं.	1	1

2	अधीक्षक आवास गृह निर्माण	0ण00	0ण66	आवास सं.		
3	निरिक्षण हेतु वाहन किराया	1ण00	0ण00	—		
4	आश्रम छात्रावास किशनगंज एवं शाहाबाद चारदिवारी निर्माण	15ण00	0ण00	छात्रावास सं.	2	
5	सहरिया परियोजना कार्यालय में बैठक कक्ष निर्माण	15ण00	0ण00	कक्ष संख्या	1	
6	परियोजना कार्यालय में कम्प्यूटर एवं ब्रॉडबेन्ड कनेक्शन	1ण00	0ण00	—		
7	आछम छात्रावास बारॉ में अतिरिक्त कमरो का निर्माण	6ण00	0ण00	कक्ष संख्या	1	
8	आवासीय विद्यालय संचालन/संस्थापन	70ण00	15ण16	विद्यालय सं.	1	1
9	आवा. विद्या. भवन निर्माण शाहाबाद	0ण00	23ण46	विद्यालय सं.	1	न्दण्चतव
	योग	**272ण00**	**63ण45**			

मॉ–बाडी केन्द्रों की सूची

परिशिष्ट ''स''

क्र.सं.	मॉ-बाडी केन्द्र	प. समिति	केन्द्र प्रारम्भ तिथि	क्र.सं.	मॉ-बाडी केन्द्र	प. समिति	केन्द्र प्रारम्भ तिथि
1	बैंटा	शाहाबाद	01/07/2000	36	नयागांव (लाम्पर्णा)	किशनगंज	02/10/2005
2	कलोनी	शाहाबाद	01/01/2001	37	ढिकोनिया	किशनगंज	02/10/2005
3	जखोनी	शाहाबाद	01/01/2001	38	दुर्जनपुरा	किशनगंज	02/10/2005
4	नारायण खेडा	शाहाबाद	01/01/2001	39	खल्दी	किशनगंज	02/10/2005
5	गोयरा	शाहाबाद	01/01/2001	40	प्रेमनगर (भंवरगढ)	किशनगंज	02/10/2005
6	पाटन	शाहाबाद	01/01/2001	41	बामनदेह	किशनगंज	02/10/2005
7	लेदरा	शाहाबाद	01/01/2001	42	भंवरगढ डांडा	किशनगंज	02/10/2005
8	बमनगवां	शाहाबाद	01/01/2001	43	पटपडी	किशनगंज	02/10/2005
9	बन्दाखुर्द	किशनगंज	01/10/2001	44	पीपल्दा रूण्डी	किशनगंज	02/10/2005
10	भोयल	शाहाबाद	01/08/2001	45	सुवांस	किशनगंज	02/10/2005
11	पठारी	शाहाबाद	02/12/2002	46	करिरिया	किशनगंज	02/10/2005
12	सांधरी	शाहाबाद	02/12/2002	47	लहरूणी	किशनगंज	02/10/2005
13	किराड पहाडी	शाहाबाद	02/12/2002	48	करवरी कलां	किशनगंज	02/10/2005
14	औगाड	शाहाबाद	02/12/2002	49	करणपुरा	किशनगंज	02/10/2005
15	खटका	शाहाबाद	02/12/2002	50	सेवनी	किशनगंज	02/10/2005
16	सेमलीफाटक	शाहाबाद	02/12/2002	51	भभूका	किशनगंज	02/10/2005
17	खैराई	शाहाबाद	02/12/2002	52	मोहिदा	किशनगंज	02/10/2005
18	अजरोडा	शाहाबाद	02/12/2002	53	जगदेवपुरा	किशनगंज	02/10/2005
19	ढिकमानी	शाहाबाद	02/12/2002	54	जैतपुरा	किशनगंज	02/10/2005
20	खिरिया	शाहाबाद	02/12/2002	55	सदाफल	किशनगंज	02/10/2005
21	ब्रहमपुरा	किशनगंज	02/12/2002	56	शंकरपुरा	किशनगंज	02/10/2005
22	बिलोदा	किशनगंज	02/12/2002	57	रानीबडौद	किशनगंज	02/10/2005
23	पगारा	किशनगंज	02/12/2002	58	महरावता	किशनगंज	02/10/2005
24	सोडाना	किशनगंज	02/12/2002	59	बकनपुरा	किशनगंज	02/10/2005
25	कामठा	किशनगंज	02/12/2002	60	बरूनी	किशनगंज	02/10/2005
26	रामनगर	किशनगंज	02/12/2002	61	मिसाई	किशनगंज	02/10/2005
27	अमरोली	किशनगंज	02/12/2002	62	ईकलेरा	किशनगंज	02/10/2005
28	खांखरा	किशनगंज	02/12/2002	63	कांकडदा	किशनगंज	02/10/2005
29	गोरधनपुरा	किशनगंज	02/12/2002	64	बरखेडा	किशनगंज	02/10/2005
30	जलवाडा	किशनगंज	02/12/2002	65	कवंरपुरा	किशनगंज	02/10/2005
31	सिमलोद	किशनगंज	02/10/2005	66	रामपुरिया जागीर	किशनगंज	02/10/2005
32	घट्टी	किशनगंज	02/10/2005	67	बिलासगढ	किशनगंज	02/10/2005
33	छत्तरगंज	किशनगंज	02/10/2005	68	फल्दी	किशनगंज	02/10/2005
34	हरिपुरा	किशनगंज	02/10/2005	69	दौलतपुरा	किशनगंज	02/10/2005

35	अहमदी	किशनगंज	02/10/2005	70	सुण्डा चैनपुरा	किशनगंज	02/10/2005

क्र.सं.	मॉ-बाडी केन्द्र	प. समिति	केन्द्र प्रारम्भ तिथि	क्र.सं.	मॉ-बाडी केन्द्र	प. समिति	केन्द्र प्रारम्भ तिथि
71	करवरी खुर्द	किशनगंज	02/10/2005	106	पहाडी	शाहाबाद	02/10/2005
72	जैसवां	किशनगंज	02/10/2005	107	सूखासेमली	शाहाबाद	02/10/2005
73	खण्डेला	किशनगंज	02/10/2005	108	मझारी	शाहाबाद	02/10/2005
74	माधोपुरा	किशनगंज	02/10/2005	109	गन्नाखेडी	शाहाबाद	02/10/2005
75	गोरधनपुरा	किशनगंज	02/10/2005	110	खाण्डा सहरोल	शाहाबाद	02/10/2005
76	गरडा	किशनगंज	02/10/2005	111	कोटरा	शाहाबाद	02/10/2005
77	गोपालपुरा	किशनगंज	02/10/2005	112	चौराखाडी	शाहाबाद	02/10/2005
78	जगदीशपुरा	किशनगंज	02/10/2005	113	हरिनगर	शाहाबाद	02/10/2005
79	टोडिया	किशनगंज	02/10/2005	114	महुआखेडी	शाहाबाद	02/10/2005
80	कुन्दा	किशनगंज	02/10/2005	115	मटियाखारा	शाहाबाद	02/10/2005
81	शुभघरा	शाहाबाद	02/10/2005	116	सनवाडा	शाहाबाद	02/10/2005
82	खुशालपुरा	शाहाबाद	02/10/2005	117	सहरोल तलहटी	शाहाबाद	02/10/2005
83	देवरी	शाहाबाद	02/10/2005	118	मोहनपुर	शाहाबाद	02/10/2005
84	गुवाडी	शाहाबाद	02/10/2005	119	गाडर ईसाटोरी	शाहाबाद	02/10/2005
85	धुआं	शाहाबाद	02/10/2005	120	बडारा	शाहाबाद	02/10/2005
86	राजपुर	शाहाबाद	02/10/2005	121	कस्बाथाना	शाहाबाद	02/10/2005
87	गंगापुर	शाहाबाद	02/10/2005	122	पीपलखेडी	शाहाबाद	02/10/2005
88	बीलखेडा डांग	शाहाबाद	02/10/2005	123	सिरसोद खुर्द	शाहाबाद	02/10/2005
89	कुडा	शाहाबाद	02/10/2005	124	उनी	शाहाबाद	02/10/2005
90	सेमरा	शाहाबाद	02/10/2005	125	पेनावदा	शाहाबाद	02/10/2005
91	निवाडी	शाहाबाद	02/10/2005	126	सिलोरा (केदार कुई)	शाहाबाद	02/10/2005
92	रातई कलां	शाहाबाद	02/10/2005	127	हरिपुरा	शाहाबाद	02/10/2005
93	बहराई	शाहाबाद	02/10/2005	128	मुहाल	शाहाबाद	02/10/2005
94	घैंसुआ	शाहाबाद	02/10/2005	129	सालेरी	शाहाबाद	02/10/2005
95	खुशियारा	शाहाबाद	02/10/2005	130	महोदरा	शाहाबाद	02/10/2005
96	बसेली	शाहाबाद	02/10/2005	131	गणेशपुरा	किशनगंज	01/08/2008
97	नीममडी (तीपरव	शाहाबाद	02/10/2005	132	लक्ष्मीपुरा	किशनगंज	01/08/2008
98	अमरोद	शाहाबाद	02/10/2005	133	खेडला	किशनगंज	01/08/2008
99	बाल्दा	शाहाबाद	02/10/2005	134	जनकपुर	किशनगंज	01/08/2008
100	कस्बानौनेरा	शाहाबाद	02/10/2005	135	कालीमाटी	किशनगंज	01/08/2008
101	हथवारी	शाहाबाद	02/10/2005	136	जोगा कालोनी	किशनगंज	01/08/2008
102	बलारपुर	शाहाबाद	02/10/2005	137	गरडा	किशनगंज	01/08/2008
103	बिची	शाहाबाद	02/10/2005	138	पगारा कालोनी	किशनगंज	01/08/2008
104	गणेशपुरा	शाहाबाद	02/10/2005	139	हिम्मतगढ	किशनगंज	01/08/2008
105	कलोनियां	शाहाबाद	02/10/2005	140	ख्यावदा	किशनगंज	01/08/2008

क्र.सं.	मॉ-बाडी केन्द्र	प. समिति	केन्द्र प्रारम्भ तिथि	क्र.सं.	मॉ-बाडी केन्द्र	प. समिति	केन्द्र प्रारम्भ तिथि
141	गोरधनपुरा	किशनगंज	01/08/2008	175	छीपोल	शाहाबाद	01/08/2008
142	बांसथूनी	किशनगंज	01/08/2008	176	कस्बानौनेरा	शाहाबाद	01/08/2008
143	दीगोदपार	किशनगंज	01/08/2008	177	पठारी कालोनी	शाहाबाद	01/08/2008

144	तेजाजी का डांडा	किशनगंज	01/08/2008	178	सांधरी कालोनी	शाहाबाद	01/08/2008
145	हीरापुर	किशनगंज	01/08/2008	179	कागलावर	शाहाबाद	01/08/2008
146	कापडीखेडा	किशनगंज	01/08/2008	180	ड्डूंडावर	शाहाबाद	01/08/2008
147	ढोलपुर	किशनगंज	01/08/2008	181	घट्टी	किशनगंज	01/07/2009
148	खंडेलाखेडी	किशनगंज	01/08/2008	182	परानियां	किशनगंज	01/07/2009
149	बडौदिया	किशनगंज	01/08/2008	183	सुवांस	किशनगंज	01/07/2009
150	भूटिया रेलावन	किशनगंज	01/08/2008	184	राधापुरा	किशनगंज	01/07/2009
151	असनावर	किशनगंज	01/08/2008	185	जैतपुरा	किशनगंज	01/07/2009
152	मायथा	किशनगंज	01/08/2008	186	खण्ड़ेला ।।	किशनगंज	01/07/2009
153	किसनाईपुरा	किशनगंज	01/08/2008	187	डबका	किशनगंज	01/07/2009
154	रेलावन	किशनगंज	01/08/2008	188	खैरपुर की झोपडी	किशनगंज	01/07/2009
155	राजखेडा	किशनगंज	01/08/2008	189	अमलावदा	किशनगंज	01/07/2009
156	बाटका गोपालपुरा	किशनगंज	01/08/2008	190	खैरूना	किशनगंज	01/07/2009
157	जैसवा	किशनगंज	01/08/2008	191	बरूनी ।।	किशनगंज	01/07/2009
158	समरानियां	शाहाबाद	01/08/2008	192	तलावडा	किशनगंज	01/07/2009
159	सेमलीफाटक ।।	शाहाबाद	01/08/2008	193	लक्ष्मीपुरा	किशनगंज	01/07/2009
160	गदरेठा	शाहाबाद	01/08/2008	194	माथना	किशनगंज	01/07/2009
161	फरेदुआ	शाहाबाद	01/08/2008	195	बीलखेडा डांग ।।	शाहाबाद	01/07/2009
162	खाण्डा सहरोल	शाहाबाद	01/08/2008	196	ढिकवानी ।।	शाहाबाद	01/07/2009
163	मामोनी	शाहाबाद	01/08/2008	197	कमलखेड़ा	शाहाबाद	01/07/2009
164	मामोनी।।	शाहाबाद	01/08/2008	198	राजपुर।।	शाहाबाद	01/07/2009
165	हाटरी	शाहाबाद	01/08/2008	199	किराड़ पहाडी।।	शाहाबाद	01/07/2009
166	दांता ।(केलवाडा)	शाहाबाद	01/08/2008	200	केलवाडा सहराना	शाहाबाद	01/07/2009
167	दांता 2 (केलवाडा)	शाहाबाद	01/08/2008	201	पुराना फरेदुआ	शाहाबाद	01/07/2009
168	दांता 3(केलवाडा)	शाहाबाद	01/08/2008	202	हथवारी।।	शाहाबाद	01/07/2009
169	दांता 4(केलवाडा)	शाहाबाद	01/08/2008	203	खिरिया।।	शाहाबाद	01/07/2009
170	बिरमानी	शाहाबाद	01/08/2008	204	छिछरोनी	शाहाबाद	01/07/2009
171	रानीपुरा	शाहाबाद	01/08/2008	205	बैंटा।।	शाहाबाद	01/07/2009
172	गोयरा का टापरा	शाहाबाद	01/08/2008	206	स्मरानियॉ ।।	शाहाबाद	01/07/2009
173	सनवाडा कालोनी	शाहाबाद	01/08/2008	207	इन्द्रा कालोनी	शाहाबाद	01/07/2009
174	मण्डी सहजना	शाहाबाद	01/08/2008				

अध्याय–3

विभाग से सम्बद्ध संस्थाओं/परियोजनाओं का प्रशासनिक प्रतिवेदन

1. मा.ला. वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वर्ष 1964 में उदयपुर (राज0) में की गयी थी। संस्थान राजस्थान सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विकास के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत राज्य का एक उच्च स्तरीय शोध संस्थान है। जनजाति विकास के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण, नीति विश्लेषण एवं परामर्श सेवाओं के लिये यह भारत के आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थानों में अपना विशिष्ठ स्थान रखता है। संस्थान राज्य के जनजातीय जीवन एवं इससे सम्बद्ध विषयों पर शोध, भावी योजनाओं के निरूपण में विगत 45 वर्षों से सक्रिय रुप से कार्यरत है। संस्थान उदयपुर शहर के मध्य आयड़ नदी के किनारे अशोकनगर की मुख्य सड़क पर स्थित है।

संस्थान के उद्देश्य :–

इस संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जनजाति विकास हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति एवं प्रभावों का मूल्यांकन करना, जनजातियों के भावी विकास, जरूरतों की पहचान करना तथा राज्य के जनजाति समुदायों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रगतिशील अध्ययन व चिन्तन को प्रोत्साहित करना है।

संस्थान का प्रशासनिक स्वरूप :

;पद्ध आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान उदयपुर के नीतिपरक मार्गदर्शन में संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों का संचालन करता है। राज्य स्तर पर प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर का मार्गदर्शन तथा दिशा–निर्देशन प्राप्त होता है।

;पपद्ध**संस्थान की स्थायी समिति** :

संस्थान की गतिविधियों को दिशा–निर्देश देने तथा इनकी समीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा एक स्थाई समिति का गठन प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग–3 के पत्र क्रमांक–एफ–7(2) प्र.स. / अनुभाग–3 / 84 दि. 29.07.1999 द्वारा किया हुआ है। समिति भंग हो चुकी है। वर्तमान में इस समिति का पुनर्गठन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

;पपपद्ध शोध तथा प्रशिक्षण सलाहकार उप समिति :

शोध संस्थान के कार्यक्रमों को संस्थान के उद्देश्यों के अनुरूप निरूपित करने हेतु तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान– जयपुर के पत्र क्रमांकः एफ–10(17) / टीएडी / 97 दि. 17.11.1999, 21.08.2003 एवं 10.09.2003 द्वारा किया गया है। वर्तमान में समिति के पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

;पअद्ध जनजाति विकास केन्द्र (सेन्टर फॉर ट्राईबल डवलपमेन्ट)

यह केन्द्र सोसायटी एकट 1958 रजिस्ट्रेशन संख्या–29 / 1996–97 के तहत पंजीकृत है। केन्द्र संस्थान की गतिविधियों को उपयोजना क्षेत्र के विभिन्न प्रखण्डों तक फैलाने, विभाग के अलावा अन्य श्रेणी स्त्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाकर जनजाति समुदायों के शैक्षणिक संवर्द्धन तथा अति महत्व के विषयों पर संगोष्ठियां एवं शोध कार्य करने के उद्देश्य से आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर की अध्यक्षता में कार्य करता है।

संस्थान की कार्यप्रणाली :–

संस्थान अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्न प्रमुख प्रशाखाओं के माध्यम से कार्यरत है :

1. प्रायोजित शोध (शोध एवं मूल्यांकन सहायता)
2. विभागीय शोध एवं मूल्यांकन
3. कार्यशाला एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ
4. कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ

5. पुस्तकालय एवं प्रकाशन

संस्थान की लगभग समस्त गतिविधियां इन्हीं पांचों प्रशाखाओं के माध्यम से संचालित की जाती है।

1. प्रायोजित शोध एवं मूल्यांकन अध्ययनः

अ) शोध सहायताः इस प्रकोष्ठ के तहत जनजाति समुदाय के विविध पहलुओं यथा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक तथा उनसे संबंधित अन्य समस्याओं पर व्यक्तिगत शोधार्थियों एवं संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर संस्थान के मार्गदर्शन में निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के अनुसार स्तरीय शोध कार्य करवाया जाता हैं। इस योजना के तहत व्यक्तिगत शोधार्थियों को रूपये 10,000/– तक तथा संस्थागत शोधार्थियों को रूपये 30,000/– तक शोध सहायता/अनुदान राशि उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना वर्ष 1985–86 से प्रारम्भ की गयी है जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान के जनजाति समुदाय से संबंधित विविध विषयों पर आज व्यापक एवं उपयोगी शोध सामग्री उपलब्ध हुई है, जिसका उपयोग न केवल शोध कार्य वरन् समय–समय पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विकास योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन में भी किया जाता रहा है। वर्ष 2008–09 के लिये शोध अध्ययन हेतु 14 के लक्ष्यों के विरुद्ध 9 शोधार्थियों/संस्थाओं को शोध सहायता हेतु चयन किया गया। राज्य सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने से शोध कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये। वर्ष 2007–08 के शोध कार्यों पर मार्च, 2009 तक रूपये 60,000/– की राशि व्यय की गयी है। वर्ष 2009–10 में बजट प्राप्त होने पर शोध कार्य प्रारम्भ करवाये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) विभागीय मूल्यांकन अध्ययन : विभाग द्वारा प्रस्तावित विषयों पर यह संस्थान व्यक्तिगत/संस्थागत शोधार्थियों से मूल्यांकन अध्ययन भी करवाता रहा है। इस योजना अन्तर्गत भी व्यक्तिगत शोधार्थी को अधिकतम रूपये 10,000.00 एवं संस्थागत शोधार्थी को रूपये 30,000.00 प्रदान किये जाते हैं। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में 14 शोधार्थियों/संस्थाओं के मूल्यांकन अध्ययन करवाने का लक्ष्य रखा गया है, इसके विरूद्ध 12 शोधार्थियों/संस्थाओं को मूल्यांकन अध्ययन करवाने हेतु स्वीकृति जारी की गयी है। इस मद में मार्च, 2009 तक रू. 0.68 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है। वर्ष 2009–10 में 3 योजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन करवाने हेतु आयुक्त कार्यालय से प्रस्ताव प्राप्त हुए है जिसमें पीएमटी/पीईटी/आईआईटी योजना का मूल्यांकन राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, उदयपुर के माध्मय से करवाया जा रहा है तथा विद्युत/डीजल पम्प सेट योजना व जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की योजनाओं का प्रभाव एवं रुपांतरण की आवश्यकताओं का अध्ययन करवाने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं/शोधार्थी मूल्यांकनकर्ताओं से शीघ्र ही प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(स) जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदत्त शोध छात्रवृत्तिः जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदत्त शोध छात्रवृत्ति के अंतर्गत भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा जनजाति समुदाय के विभिन्न पहलुओं पर डॉक्टरल/पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप प्रदान की जाती हैं। इस फेलोशिप के तहत शोधार्थी को रूपये 43,600.00 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2008–09 व 2009–10 में अब तक किसी भी शोधार्थी का आवेदन भारत सरकार को अग्रेषित किये जाने हेतु संस्थान को प्राप्त नहीं हुआ है।

(द) जनजाति शिक्षार्थियों को शोध छात्रवृत्ति : उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजाति समुदाय हेतु आरक्षित पदों पर पात्र अभ्यर्थियों के अभाव में पद रिक्त रहने की समस्या के समाधान हेतु जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों को विद्या वाचस्पति उपाधि प्राप्त कराने तथा नेट/स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण करने उद्देश्य से वर्ष 1997–98 से यह योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना अन्तर्गत जनजाति अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में रूपये 1800.00 प्रतिमाह अधिकतम 2 वर्ष तक प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2008–09 में 5 अभ्यर्थियों को यह छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का लक्ष्य रखा गया था , परन्तु राजीवगांधी फैलोशिप में अधिक राशि होने एवं अवधि भी 5 वर्ष होने के कारण इस योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये गये। पूर्व के छात्रों को ही छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है। इस मद में मार्च, 2009 तक रू. 43,000/– की राशि व्यय की जा चुकी है। वर्ष 2009–10 में शोध हेतु राजीव गांधी नेशनल फैलोशिप में पर्याप्त मात्रा में राशि का प्रावधान होन से इस योजना में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

2. कार्यशाला एवं प्रशिक्षण शाखाः

जनजाति समुदाय की सर्वांगीण उन्नति एवं विकास कार्यक्रमों में संलग्न कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण के उद्देश्य से संस्थान की प्रशिक्षण शाखा निरंतर कार्यशील रही हैं। विगत कुछ वर्षो से कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण के बजाय जनजाति छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयार करने के लिये श्रेष्ठ कोचिंग उपलब्ध करवाने तथा आकांक्षा अभिवर्द्धन हेतु चेतना शिविर आयोजित करने का कार्य इस शाखा के तहत किया जा रहा है। इस शाखा की प्रमुख गतिविधियां निम्न अनुसार हैं:

(अ)तकनीकी एवं चिकित्सा सेवा पूर्व परीक्षा प्रशिक्षणः तकनीकी एवं चिकित्सा सेवाओं में प्रवेश हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं में कोचिंग जनजाति उपयोजना क्षेत्र के जनजाति छात्र–छात्राओं को चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलवाने के उद्देश्य से उदयपुर एवं कोटा स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कोचिंग प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। परिणामतः विगत वर्षो में चिकित्सा एवं ईजिनियरिंग सेवाओं में उपयोजना क्षेत्र से जनजाति छात्र–छात्राओं का प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ हैं। वर्ष 2008–09 में लक्ष्य 35 के विरूद्ध 19 छात्र की फीस पुनर्भरण की स्वीकृति जारी की गयी है। इस मद में मार्च, 2009 तक राशि रूपये 5.41 की राशि व्यय की गयी है। वर्ष 2009–10 में 13 छात्रों को 3.10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिसम्बर, 2009 तक उपलब्ध करवायी गयी है।

(ब) अनुप्रति योजना (आर.ए.एस. हेतु कोचिंग) अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति अभ्यार्थियों जिनके परिवारों की वार्षिक आय रू. 2.00 लाख से अधिक न हो को राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा वर्ष 2006–07 से योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना अन्तर्गत राज्य एवं अधीनस्थ सेवा हेतु आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु जनजाति छात्रों को रू. 45,000.00 की वित्तीय सहायता नियमानुसार उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2008–09 में 8 अभ्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके विरूद्ध मार्च, 2009 तक 41 अभ्यार्थियों की स्वीकृति जारी की जाकर रू. 6.17 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है। वर्ष 2009–10 में 4 अभ्यार्थियों को 0.80 लाख की आर्थिक सहायता दिसम्बर, 2009 तक करवायी गयी है।

(स) अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंगः प्रशासनिक, तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा के अतिरिक्त अन्य सेवाओं में प्रवेश हेतु जनजाति अभ्यर्थियों को कोचिंग उपलब्ध करवाये के उद्देश्य से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना अन्तर्गत प्री बी.एड., पुलिस भर्ती परीक्षा, नेट, स्लेट, शिक्षक भर्ती परीक्षा आदि प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करवाये जाने की व्यवस्था की जाती है। वर्ष 2008–09 में 100 छात्रों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिये पूर्व कोचिंग प्रदान करवाया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रशिक्षण कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से करवाया जाता है। पटवारी एवं अध्यापक द्वितीय ग्रेड की कोचिंग हेतु आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित दर पर कोचिंग करवाने हेतु उदयपुर की तीन कोचिंग संस्थाओं को अधिकृत किया गया है। डूॅंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों हेतु भी एक–एक संस्था को अधिकृत किया गया है। इस मद में मार्च, 2009 तक रू. 21,000/– की राशि व्यय की जा चुकी है। गतवर्ष प्रारम्भ की गयी कोचिंग योजनान्तर्गत 2009–10 में 62 अभ्यार्थियों के कोचिंग पर दिसम्बर, 2009 तक 1.22 लाख रुपये व्यय किये गये है।

(द) चेतना शिविरः प्रतिभावान जनजाति छात्रों को चिन्हित कर उच्च शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करने, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वाकांक्षा अभिवर्द्धन करने के लिये संस्थान की ओर से चेतना शिविर आयोजित करने की योजना विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से संचालित की जा रही है। प्रत्येक चेतना शिविर हेतु रू 10,000/– की राशि उपलब्ध करवायी जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2008–2009 में 5 शिविरों का आयोजन कर 750 छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरूद्ध मार्च, 2009 तक 5 चेतना शिविरों में 299 विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाकर राशि रु. 25,000/– व्यय किये गये है। वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में अभी तक बजट प्राप्त नहीं होने से इस वर्ष अब तक शिविर आयोजित नहीं हो पाए है।

(य) कार्यशाला एवं प्रशिक्षण : जनजाति विकास से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं नवीन चुनौतियों के संदर्भ में संस्थान की ओर से समय–समय पर विषय–विशेषज्ञों, अनुभवी राजनीतिज्ञों प्रशासकों व जनजाति क्षेत्रीय विकास से जुड़े लाभार्थियों तथा अधिकारियों की कार्यशालाएं, सेमीनार एवं गोष्ठियॉ आयोजित की जाती हैं तथा प्राप्त निष्कर्षो से जनजाति विकास विभाग को सूचित किया जाता हैं। वर्ष 2008–09 में 3 कार्यशालाओं एवं 6 प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, इनमें एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा चुका है। मार्च, 2009 तक इस मद

में रू. 8,000/— की राशि व्यय की जा चुकी है। वर्ष 2009—10 में एक कार्यशाला तथा 15 प्रशिक्षण दिसम्बर, 2009 तक आयोजित किये जा चुके है।

3 कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठः

जनजातीय संस्कृति से संबंधित अध्ययन एवं शोध की विविध योजनाएं इसी शाखा के माध्यम से संचालित होती हैं वस्तुतः जनजातीय संस्कृति के विविध पहलुओं से गैर जनजातीय समाज को अवगत कराने की दृष्टि से एवं जनजातीय समुदाय के सांस्कृतिक दलों को अपनी कला एवं संस्कृति के प्रदर्शन का अवसर देकर प्रोत्साहन देने आदि के उद्देश्य से विविध कार्यक्रम समय—समय पर संचालित किए जाते रहे हैं। जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विविध कलाकारों की पहचान, कला एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु प्रदर्शनियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, सांस्कृतिक यात्राएं आयोजित करना इस शाखा का मुख्य कार्य हैं। संस्थान स्थित परिसर में जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय, शिल्पग्राम स्थित जनजाति संग्रहालय एवं माउण्ट आबू स्थित कला—दीर्घा जनजातीय संस्कृति के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित करने का उपयुक्त माध्यम हैं। संस्थान संग्रहालय संवर्द्धन हेतु विभिन्न जनजातियों द्वारा उपयोग में लिये जाने वाले पारंम्परिक वाद्य यन्त्रों, हथियारों, आभूषणों व वेश—भूषाओं को संग्रहित कर संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। शिल्पग्राम उत्सव 2008 हेतु शिल्पग्राम स्थित जनजाति संग्रहालय परिसर में मरम्मत कार्य, लिपाई—पुताई, रंग—रोगन, चित्रों एवं माण्डनो का अंकन कार्य करवाया गया है एवं संस्थान परिसर में स्थित संग्रहालय में आवश्यक कार्य करवाया गया है। इस मद में मार्च, 2009 तक रू. 38,000/— की राशि व्यय की गयी है। वर्ष 2009—10 में शिल्पग्राम स्थित जनजाति संग्रहालय में मरम्मत तथा रंग—रोगन करवाया गया तथा भोपाल (मध्यप्रदेश) में आयोजित जनजाती उत्सव ''आदिरंग'' में भाग लेने हेतु 20 सदस्यीय गरासिया कलाकारों को भिजवाया गया तथा दिसम्बर, 2009 में आयोजित ''शिल्पग्राम उत्सव—2009'' में सहरिया कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुती एवं भित्ती चित्रण कार्य करवाया गया।

5. पुस्तकालय एवं प्रकाशन प्रकोष्ठः

(अ) पुस्तकालय

संस्थान पुस्तकालय में जनजाति समुदाय से संबंधित इतिहास, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, एवं अन्य सम्बद्ध सामाजिक विज्ञानों से संबंधित संग्रहणीय पुस्तकों/ग्रन्थों का समृद्ध संग्रह किया जाता हैं। पुस्तकालय में 17,000 से अधिक संदर्भ ग्रंथ व पुस्तके उपलब्ध हैं। शोध छात्रों, योजनाकारों एवं प्रतियोगी परिक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय द्वारा संदर्भ सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाती रही हैं। पुस्तकालय के साथ ही संचालित वाचनालय में लगभग 135 पत्र—पत्रिकाएं प्राप्त होती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयुक्त अध्ययन सामग्री का भी आदिनांक संग्रह किया गया है। प्रतिवर्ष राजस्थान की जनजातियों पर शोध करने वाले प्रायः सभी शोधार्थियों, विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों, जिज्ञासु पाठकों एवं विभाग के अधिकारियों द्वारा पुस्तकालय की सुविधाओं का नियमित उपयोग का लाभ उठाया जा रहा हैं। मार्च, 2009 तक इस मद में रू. 55,000/— की राशि व्यय की गयी है। वर्ष 2009—10 में पुस्तकालय हेतु पुस्तकों के क्रय की कार्यवाही जारी है। दिसम्बर, 2009 तक 0.62 लाख रुपये व्यय किये गये।

(ब) प्रकाशन

(1) विभागीय प्रकाशनः

प्रकाशन प्रकोष्ठ के तहत संस्थान की ओर से नियमित पत्रिका ''ट्राईब'' का प्रकाशन किया जाता हैं, जिसमें जनजाति समुदाय से संबंधित विविध गतिविधियों पर शोधपरक व अनुभवजन्य आलेख प्रकाशित किए जाते हैं। समय—समय पर उक्त प्रकाशन के विविध विशेषांक प्रकाशित किए जाने के अतिरिक्त जनजाति समुदायों के संदर्भ में अन्य प्रकाशन भी प्रकाशित किए जाते हैं। जनजाति विकास से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु 'विकास झरोखा' एवं ट्राईब पत्रिका के खण्ड 38 (3—4) वर्ष 2006 का प्रकाशन करवाया गया। मार्च, 2009 तक रु. 0.76 लाख की राशि इस मद में व्यय की गयी है। वर्ष 2009—10 में ''ट्राईब पत्रिका'' के खण्ड 39—41 (वर्ष 2007—2009) का प्रकाशन करवाया गया। दिसमबर, 2009 तक 0.37 लाख रुपये व्यय किये गये।

(2) प्रकाशन सहायता

ग्रन्थ प्रकाशन सहायता योजना अन्तर्गत विशेषज्ञों एवं अनुभवी लेखकों, शोधार्थियों द्वारा लिखी गयी मौलिक पाण्डुलिपियों के प्रकाशनार्थ सहायता/अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। मौलिक पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु संस्थान की ओर से रूपये 10,000.00 तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। वर्ष 1984–85 से अब तक कुल 89 पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु सहायता प्रदान की गयी है। परिणामतः जनजाति समुदाय से संबंधित विस्तृत पठन सामग्री उपलब्ध हो सके। वर्ष 2008–09 में 5 पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना प्रस्तावित था। मार्च, 2009 तक 3 पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु रु. 0.21 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई । वर्ष 2008–09 में राशि प्राप्त नहीं होने से भुगतान किया जाना शेष है। वर्ष 2009–10 में प्रस्तावित राशि की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही प्रकाशन सहायता के तहत विशेषज्ञों एवं अनुभवी लेखकों, शोधार्थियों द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे।

2. राजस्थान जनजाति क्षैत्रीय विकास सहकारी संघ लि0, उदयपुर
विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2009–10 (दिसम्बर,09 तक)

राजस संघ के कार्य कलाप :–

राजस्थान के दक्षिण भाग में रह रहे आदिवासियों के विकास एवं कल्याण हेतु वर्ष 1976 में सहकारी अधिनियम 1965 के अधीन राजस संघ को शीर्ष संस्था के रूप में पंजीकृत कराकर स्थापना की गयी। एक वर्ष बाद ही सहरिया परियोजना क्षेत्र भी कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया गया। जनजाति उपयोजना क्षेत्र की 23 एवं सहरिया क्षेत्र की 2 कुल 25 पंचायत समितियॉ, 21 तहसीलों में 268 लेम्पस के माध्यम से एवं सीधे राजस संघ द्वारा अपने उद्धेश्य की पूर्ति कर रहा है। संक्षेप में राजससंघ निम्नांकित उद्धेश्यों की पूर्ति के लिये कार्यरत हैं।

राजस संघ की स्थापना के उद्धेश्य

1– अपने कार्यक्षेत्र में लोगों के लिये संचित सेवाओं की व्यवस्था करना ।

2– क्षेत्र की जनसंख्या को उन्हें ऋण–ग्रस्तता से राहत दिलाने की दृष्टि से व्यापारियों तथा साहूकारों द्वारा शोषित किये जाने से बचाना ।

3– विकासीय अन्तर को कम करने के लिये एक अवसरंचना उपलब्ध कराना तथा सहकारी संगठनों के माध्यम से जन–जातियों की निर्धनता को दूर करना।

4– अपनी स्वयं की अथवा संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से कृषि और अन्य उत्पादों के उत्पादन,उपाधि, विपणन, प्रसंसकरण तथा विक्रय को और आदानों,उपभोंग माल को सुसंगठित करना, बढावा देंना पर्यवेक्षित, विकसित करना, उसके लिए सहायता परामर्श देना, वित्त पोषण करना ।

5– खाघान्न, उपभोक्ता माल, बीज–खाद, कृषि उपकरणों इत्यादि के आदान तथा प्रदान हेतु राज्य सरकार या राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं, स्वशासी निकायों के एजेन्ट के रूप में कार्य करना।

राजस संघ के पास अपनें उद्धेश्य की पूर्ति हेतु 1500.00 लाख की अधिकृत पूंजी के विपरीत 1080.92 लाख की प्रदत्त हिस्सा पूंजी है। अपनी पूंजी के अतिरिक्त राजस संघ को विशेष केन्द्रीय सहायता मद– केन्द्रीय प्रवर्तित योजना तथा भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय दिल्ली से भी सहायता प्राप्त होती हे।

विभागीय प्रशासन

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राज0,जयपुर के आदेश क्रमांक प.94 (5)/नियम/76/ पार्ट–2/ दिनांक 4. 12.2004 द्वारा आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,उदयपुर को राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि0, उदयपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व राज्य सरकार द्वारा मनोनीत संचालक मण्डल था।

राजस संघ में अधिकारी/कर्मचारियों की स्थिति

राजस संघ में कुल 179 स्वीकृत पद है, इनमें से 108 राजससंघ में तथा 71 कार्मिक जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन संचालित आश्रम छात्रावासों में तथा एक अधिकारी, राजस्थान वेब्रिज कार्पोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।

1– व्यावसायिक गतिविधियां

राजस संघ आदिवासी कल्याण हेतु कुछ प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन अपनी पूंजी लगा कर करता है। अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होने पर राज्य सरकार के अतिरिक्त राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से मार्जिन मनी के रूप में सहायता भी प्राप्त करता है।

उपभोक्ता सामग्री वितरण

संघ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियंत्रित सामग्री जिला रसद विभाग द्वारा संबंधित जिलें में आवंटित तहसील क्षेत्र में गेहूॅं,चावल, व चीनी के थोक विक्रेता के रूप में कार्यरत हैं।

वर्ष 2008–09 तथा दिसमबर, 2009–10 तक किये गये व्यवसाय का विवरण निमनानुसार हैं–

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	2008–09	2009–10 (दिसम्बर,09)
विवरण	टर्न ऑवर	टर्न ऑवर
नियन्त्रित उपभोक्ता	4280ण15	3556ण56

कृषि उपादान वितरण

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में दुर्गम स्थानों पर वर्षा में कृषि उपादान पहुंचाने में आने वाली असुविधा एवं समय पर आदिवासियों को खाद बीज व कीट नाशक औषधियों उपलब्ध हो सके इस बात को ध्यान में रखकर संघ फसल बुवाई के पन्द्रह बीस दिन पूर्व ही लेम्पस मुख्यालय पर कृषि उपादान पहुचाने की व्यवस्था करता है। इस व्यवसाय में वर्ष 2008–09 एवं माह दिसम्बर ,2009 तक की प्रगति का विवरण निम्नानुसार हैं :–

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	2008–09	2009–10 (माह दिसम्बर, 2009 तक)
विवरण	टर्न ऑवर	टर्न ऑवर
खाद	799ण76	997ण17
बीज	19ण28	13ण16
दवाईयां	12ण91	1ण12
योग	**831ण95**	**1011ण45**

लघु वन उपज

जनजाति उपयोजना एवं सहरिया क्षेत्र में उपलब्ध होने वाली लघु वन उपजों के संग्रहण के लिए राजससंघ को ऐकाधिकार वर्ष 1977 से प्रदत्त थे। पीसा एक्ट के प्रावधानों के तहत वर्ष 2003–04 से अधिनियम के लागू होने तक उपजों के संग्रहण का एकाधिकार राजससंघ को ही दिया गया है। मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 1.9.06 के अनुसरण में राजससंघ द्वारा इन उपजों का संग्रहण प्राईवेट एजेन्टों को समाप्त कर लेम्पस, ग्रामीण वन सुरक्षा एवं प्रबन्धकीय समितियॉ तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है। इस गतिविधि में संग्रहित की जाने वाली मुख्य उपजें रतनजोत, पुवाड़ कणज़ धतूरी, गोंद धावड़ा, महुआ, पुवाड़, डोलमा आदि है। गत दो वर्षो सहित वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर,09 तक का प्रगति विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

वर्ष	संग्रहण
2007–08	94ण89
2008–09	52ण87
2009–10(दिसम्बर,09)	113ण60

मत्स्य पालन :

समेकित मत्स्य विकास परियोजना

मत्स्याखेट के माध्यम से आदिवासियों को सहकारिता के आधार पर उनके घर के समीप रोजगार का अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने की दृ टि से राज्य सरकार द्वारा राजससंघ को माही बजाज सागर, कडाना बेक वाटर एवं जयसमन्द जला ाय आवटित किये गये थे। मत्स्य नियमों के तहत जला ायों के आवंटन की अधिकतम अवधि 25 वर्श पूर्ण हो जाने पर राज्य सरकार द्वारा इन जला ायों का आवंटन संघ को नहीं किया गया है। दिनांक 29–02–2008 को माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय (सो ायल इन्फ्रास्ट्रचर) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार उक्त जला ाय पुनः राजससंघ को आवन्टित कराना अपेक्षित है।

मत्स्य पालन हेतु संघ के वुहद् गत 25 वर्श के अनुभव एवं इस हेतु योग्य तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता तथा आधारभूत सुविधाओं को ध्यान में रख कर संघ द्वारा बॉसवाडा जिले के छोटे जला ायों में मछली पालन के माध्यम से स्थानीय जनजाति युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृश्टि से एक समेकित मत्स्य विकास परियोजना तैयार की गयी है। उक्त प्रस्तावित योजना में 4 वर्शो में 600 हेक्टर जल क्षेत्र में 600 जनजाति युवकों के माध्यम से मछली पालन का कार्य किया जायेगा। उक्त योजना की कुल लागत 2.97 करोड रूपये है तथा योजना से प्रति व्यक्ति प्रति वर्श लगभग 40000/– रूपये की आय संभावित है।

इस हेतु भारत सरकार के अं ा की रा ि रूपये 32.25 लाख रूपये प्राप्त हो चुके है। योजना के प्रथम वर्श 2006–07 में 200 हेक्टर जल क्षेत्र का आवन्टन एवं 200 लाभान्वितों के विरूद्ध 143 हेक्टर जल क्षेत्र का आवन्टन व 143 लाभान्वितों को प्र ि क्षण दिया गया तथा चयनित तालाबों में 2.07 लाख आंगुलिकों का संचय व लाभान्वितों का दुर्घटना बीमा कराया गया।''

योजना के द्वितीय वर्श 2007–08 में 200 हेक्टर जल क्षेत्र आवन्टन में 200 लाभान्वितों के लक्ष्यों के विरूद्ध 210 हेक्टर जल क्षेत्र का आवन्टन व 210 लाभान्वितों को मत्स्य प्र ि क्षण दिया गया तथा चयनित 26 जला ायों में 22 लाख फ्राई 6.35 लाख एडवान्स फ्राई 1.28 लाख फिगंरलिंग का संचय किया गया। वर्श के दौरान प्रथम वर्श के लाभान्वितों द्वारा 553 क्विन्टल मछली का उत्पादन लिया गया जिससे लगभग 22.12 लाख रूपये की आय प्राप्त हुई।

इसके अतिरिक्त 353 लाभान्वितों का दुर्घटना बीमा व 96 कि.ग्रा. जाल व 45 नावें 50 प्रतिशत अनुदान पर 144 सदस्यों को उपलब्ध कराया गया। उक्त कार्यो के अतिरिक्त योजना अनुरूप 37 जला ायों पर फी ा स्क्रीन का निर्माण, एक लोडिंग जीप मय क्रेटस, दो कम्प्यूटर मय सहायक सामग्री व 40 इन्सूलेटेड बाक्स योजना हेतु क्रय किये गये।

प्रथम एवं द्वितीय वर्श के 353 लाभान्वितों को 353 साईकिल मय बाक्स उपलब्ध कराने हेतु क्रय की कार्यवाही की जा रही है। तृतीय वर्ष में 200 हेक्टर जल क्षेत्र एवं 200 लाभान्वितों के विरूद्ध 148 हेक्टर जल क्षेत्र एवं 148 लाभान्वितों का चयन एवं आवंटन कर लिया गया है। इन जलाशयों में 24.00 लाख (फ्राई) मत्स्य बीज संग्रहण, नये चयनित लाभान्वितों का प्रशिक्षण, 45 नावें एवं 96 किलो जाल का वितरण एवं लाभार्थियों का दुर्घटना बीमा आदि कार्य सम्पादित किये गये। वर्ष के दौरान कुल 501 हेक्टर जल क्षेत्र के 501 लाभार्थियों द्वारा 761 क्विंटल मछली का उत्पादन प्राप्त किया गया जिसकी बिक्री से लाभार्थियों को लगभग 30.46 लाख रूपये की आय हुई।

बॉसवाडा जिले हेतु संचालित योजना के अनुरूप उदयपुर एवं डूॅगरपुर जिले के छोटे जला ायों में मछली पालन के माध्यम से जनजाति युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की समेकित

मत्स्य विकास योजना वर्श 2008–09 में प्रारम्भ की गई। योजनान्तर्गत उदयपुर एवं डूंगरपुर जिले हेतु 150–150 हेक्टर जल क्षेत्र में मछली पालन के माध्यम से 150–150 आदिवासियों को लाभान्वित किये जाने के लक्ष्य के विरूद्ध उदयपुर एवं डूंगरपुर जिले में क्रमशः 148 एवं 168 हेक्टर का सर्वेक्षण एवं आवंटन का कार्य पूर्ण किया गया।

वर्ष 2009–10 में माह जुलाई के अंत तक बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिले के कुल 216 हेक्टर जलक्षेत्र में मत्स्य बीज का संग्रहण किया जा चुका है।

जनजाति स्वरोजगार योजना

वर्ष 2001–02 में जनजाति के बैरोजगार युवक /युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनजाति स्वरोजगार योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर राजस्थान जनजाति क्षैत्रीय विकास सहकारी संघ लि0 उदयपुर के माध्यम से 5 जिलों– यथा– उदयपुर,डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ एवं सिरोही(आबूरोड) में प्रारम्भ की गई है।

योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को उद्योग/सेवा/ व्यवसाय हेतु योजना में सम्मिलित इकाईयों के लिए आर्थिक सहायता बैंक ऋण के रूप में प्रदान कराई जावेगी, जिसमें इकाई लागत का 50प्रतिशत अथवा 10,000/–रू0 जो भी कम हो अनुदान देने का प्रावधान है।
राजस संघ द्वारा इस योजना में मुख्य रूप से खादी ग्रामोद्योग सेवा, छोटे व्यवसाय सम्मिलित किये है उनमें सिलाई कार्य, सीमेन्ट जाली निर्माण, चर्म कार्य, लौहारी कार्य, बूट पालिश,रेडीमेड गारमेन्ट, फल–सब्जी की दुकान,बैलगाडी,मनिहारी, बिजली के सामान की दुकान, मैकेनिक शोप, साईकिल दुकान, रेडियो/ टी.वी. सेवा केन्द्र, आटा चक्की, ड्राईक्लीन की दुकान, फर्श की घिसाई, सफेद मूसली उत्पादन आदि सम्मिलित है। योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 तथा वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर,09 तक की उपलब्धि निम्नानुसार रही है।

(राशि लाख रूपये में)

–

वर्ष 2008–09

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	जिला	लक्ष्य वर्ष 2008–09		विभिन्न बैंकों को भेजे गये कुल प्रस्ताव	उपलब्धि वर्ष 2008–09 (31 मार्च, ,09 तक)		कार्यक्रम
		भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	
1.	उदयपुर	465	46ण50	645	486	48ण60	कृषि व वन आधारित व्यापार,उधोग, व्यवसाय सेवा, पशुपालन आदि।
2.	डूंगरपुर	333	33ण30	296	249	24ण90	
3.	बॉसवाड़ा	478	47ण80	686	551	55ण10	
4.	प्रतापगढ .(चित्तौडगढ़)	189	18ण90	260	173	17ण30	
5.	आबूरोड़	35	3ण50	40	25	2ण50	
	योग	**1500**	**150ण00**	**1927**	**1484**	**148ण40**	

वर्ष 2009–10

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	जिला	लक्ष्य वर्ष 2009–10		विभिन्न बैंकों को भेजे गये कुल प्रस्ताव	उपलब्धि वर्ष 2009–10 (31 दिसम्बर,09 तक)		कार्यक्रम
		भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	
1.	उदयपुर	610	61ण00	402	61	6ण10	कृषि व वन आधारित व्यापार,उधोग, व्यवसाय सेवा, पशुपालन आदि।
2.	डूंगरपुर	449	44ण90	299	40	4ण00	
3.	बॉसवाड़ा	644	64ण40	600	56	5ण60	
4.	प्रतापगढ . (चित्तौडगढ़)	251	25ण10	125	23	2ण30	
5.	आबूरोड़	46	4ण60	23	0	0	
	योग	**2000**	**200ण00**	**1456**	**180**	**18ण00**	

नोट '– विशेष केन्द्रीय सहायता मद में 1500 एवं महाराष्ट्र पेटर्न मद में 500 के लक्ष्य, इस तरह कुल 2000 के लक्ष्य आवंटित किये गये है।

3. स्वच्छता जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना

स्वच्छ (स्वच्छता, जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना) जो कि सीडा व यूनिसेफ के आर्थिक सहयोग से चलाई जा रही थी। स्वच्छ की सफलता व अनुभवो को मद्दे नजर रखते हुए इसके स्वरूप को बनाए रखने के लिये एक जनवरी 1996 से एक स्वयं सेवी संस्था (गैर सरकारी) के रूप में पंजीकृत है,किया गया/करवाया गया। वर्तमान मे इसी रूप मे संस्था क्रिया ील है।

<u>स्वच्छ के निम्न उद्धेश्य है:</u>

- जनजाति उपयोजना क्षेत्र एवं राजस्थान के अन्य ग्रामीण क्षैत्रों में रहने वाले ग्रामवासियों, विशेष तौर से महिलाओं व बच्चों के जीवन स्तर व सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना।
- सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- क्षेत्र में रहने वाले ग्रामवासियों की व्यक्तिगत स्वच्छता तथा स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाना तथा पर्यावरणीय स्वच्छता में सुधार लाना।
- जल प्रबन्धन तथा स्वास्थ्य चेतना के क्षेत्र में समुदाय के दृष्टिकोण व आदतों में सकारात्मक परिवर्तन लाना।
- सभी प्रकार की जल जनित बीमारियों सम्बन्धी श्रव्य, दृष्य व छपी हुई सामग्री की समीक्षा कर क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार उसका मुद्रण करवाना अथवा क्रय करना।
- सम्बन्धित संस्थाओं को संचार सामग्री सम्बन्धी उचित उपकरणों के पहचान व क्रय करने में सहायता करना।
- ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को संचार सामग्री निर्माण अध्ययन/प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विशेषज्ञ सलाह व तकनीकी जानकारी प्रदान करना।
- ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं हेतु कार्यशालाओं, सेमीनार व प्रशिक्षण आयोजित करने में समन्वय स्थापित करना।
- फ्लोराइड नियंत्रण के क्षेत्र में उन व्यक्तियों/संस्थाओं की पहचान करना जो प्रशिक्षण मोड्यूल निर्माण व शोध के क्षेत्र में कार्यरत है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षैत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना।
- प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग कर जीवन स्तर में सुधार लाना।
- जनश्री बीमा एवं जनजाति समुदाय से स्वैच्छिक रक्तदान जैसे कार्यो के प्रति जागरूकता पैदा करना ।

स्वच्छ परियोजना द्वारा अनुसूचित क्षेत्र/ गैर अनुसूचित क्षेत्र मे संचालित कार्यक्रम

अनुसूचित क्षेत्र :

अनुसूचित क्षेत्र के जिलो में मुख्य रूप से संपन्न कराए जा रहे कार्यक्रम :

1. क्षय नियंत्रण कार्यक्रम :

अनुसुचित क्षेत्र मे स्वच्छ द्वारा तपेदिक नियन्त्रण कार्यक्रम वर्ष 1996–97 से क्रियान्वित किया जा रहा है। संभावित क्षय रोगियों की जाचं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक के द्वारा की जाती है तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई दवा स्वच्छ परियोजना के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता (स्वास्थ्यकर्मी) द्वारा रोगी को अपनी उपस्थिति में दी जाती है। दवा के अतिरिक्त प्रत्येक क्षय रोगी को उपचार अवधि में पोष्टिक आहार के रूप में 3 कि.ग्रा. सत्तु प्रतिमाह दिया जाता है। स्वच्छ परियोजना द्वारा मार्च 2009 तक 760 गाँवो में 37803 क्षय रोगियों की पहचान की गई तथा 32071 रोगियो का उपचार पूर्ण किया गया है। वर्श 2008–09 मे स्वीकृत रा ाि रू. 105.40 लाख थी एवं 3000 रोगियो लक्ष्य था । उपरोक्त लक्ष्य के विरूद्व मार्च 2009 तक रू. 79.15 लाख व्यय हुआ। 2968 रोगी पुर्ण उपचारित हुए । 31 मार्च 2009 को बचत रा ि ा 42.47 लाख रूपये थी। वर्श 2009–10 मे इस योजना मे 3000 रोगीयो हेतु राशि रूपये
112.00 लाख के प्रस्ताव भिजवाए गए है । जिसकी स्वीकृति प्राप्त होनी भोश है । वर्श 2009–10 मे माह दिसम्बर, 2009 तक रा ि ा रू. 48.13 लाख व्यय हो चुके है एवं 2242 रोगी पुर्ण उपचारित हुए है ।

2. जनजाति विकास की समग्र योजनाए :

2.1 24 जनजाति ग्रामो का समग्र विकास :

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित क्षैत्र के उदयपुर, डूँगरपुर तथा बांसवाडा के संलग्न सूची अनुसार 24 गांवो के समग्र विकास हेतु एक योजना का सृजन किया गया है। इस योजनान्तर्गत कृषि विकास, पशुपालन, सिंचाई, आय सृजन से सम्बन्धित गतिविधियां ली जाकर जनजाति परिवारों की आर्थिक हालत मे सुधार किया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्श 2004–05 मे 278.40 लाख, 2006–07 मे 198.80 एवं 2007–08 मे 50.00 लाख कुल 527.20 लाख विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये है। कुल प्राप्त रा ि ा रूपये 477.20 लाख के विरूद्व माह दिसम्बर, 2009 तक रू. 446.79 लाख का व्यय किया गया है ।

2.2 20 जनजाति ग्रामो का समग्र विकास योजनाः

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र के उदयपुर,डूंगरपुर तथा बॉसवाडा के 20 ग्रामो के समग्र विकास हेतु एक योजना का सृजन किया गया है । उक्त योजना हेतु तीन वर्षीय योजना रू. 600 लाख के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये है । जिसकी स्वीकृति प्राप्त नही हुई है ।

2.3 समग्र विकास योजना जिला झालावाड :

जिला झालावाड में 5 माडा लघु खण्डों के समग्र विकास हेतु एक परियोजना राि ा रू. 622. 25 लाख की स्वीकृत प्राप्त हुई थी, जिसका कार्य चार वर्शो मे पुर्ण होना है, प्रथम वर्श मे 10 प्रति ात एवं आगामी 3 वर्शो मे प्रतिवर्श 30 प्रति ात राि ा का व्यय होना है । प्रथम वर्श की 10 प्रति ात राि ा रू. 62.25 लाख की स्वीकृति वि ोश केन्द्रीय सहायता मद से वर्श 2007–08 मे प्राप्त हुई है। उक्त योजना हेतु 20 प्रतिशत राशि 12.45 लाख प्राप्त हुई। जिसका पुर्ण व्यय माह मार्च 2009 तक किया जा चुका है एवं शेष राशि रू. 49.80 लाख हस्तान्तरण हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,झालावाड को पत्र भी लिखा जा चुका है व कार्य प्रगति पर है । चालु वित्तिय वर्श मे इस योजना हेतु टोकन प्रावधान किया हुआ है । इस वर्श दिसम्बर,2009 तक रू. 20.93 का व्यय हो चुका है।

3. कथौडी समग्र विकास योजना (275–1)

कथौडी समुदाय के समग्र विकास हेतु राशि रू. 369.36 लाख की तीन वर्षीय योजना तैयार की गई जिसके तहत वर्ष 2004–05, 2005–06 एवं 2006–07 मे संविधान की धारा 275{1} मे क्रमशः राशि रू. 100.00, 76.87 एवं 50.00 लाख कुल 226.87 लाख स्वीकृत हुए। माह मार्च 2009 तक रू. 182.47 लाख का व्यय किया गया है । चालु वित्तीय वर्श के माह दिसम्बर, 2009 तक रू. 20.91 लाख का व्यय किया गया। प्राप्त राि ा मे से 211.37 लाख मे से 184.12 लाख के उपयोगिता प्रमाण–पत्र माह सितम्बर 2009 तक भिजवा दी गई है। भोश राि ा रू. 27.25 लाख रही है। योजना मे प्रमुख रूप से आवास निर्माण, सिंचाई संसाधन मे वृद्वि, कृशि व प ाुपालन क्षेत्र मे विकास एवं आय संसाधन गतिविधिया का कार्य किया जा रहा है ।

4. मां बाडी केन्द्रो का संचालन

4.1 मां–बाडी उद्वेश्य :

अनुसूचित क्षेत्र के ऐसे बालक / बालिकाऐ जो दुरस्थ फलो मे आवारस होने से स्कूल नही जा पाते है । शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा कर शिक्षा से जोडना तथा कुपोषण से बचना है।

स्वच्छ परियोजना द्वारा सहरिया क्षेत्र मे मां बाडी योजना का कियान्वयन किया जा रहा थ। जिसमे 30 ऐसे बालक / बालिकाऐ जो कि पाठशाला नही जा पा रहे थे मे शिक्षा के प्रति रूझान पैदा करने के लिये उन्ही के फले/धाणियों मे मां बाडी केन्द्र चलाये गए जिसमे छात्र/छात्राओ के शिक्षा के साथ साथ पोशाक, नाश्ता भोजन इत्यादि की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुये वर्ष 2007–08 से अनुसूचित / गैर अनुसूचित क्षेत्र मे 150 मां बाडी केन्द्र संचालन प्रारम्भ किया गया । वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 मे माँ–बाडी संचालन हेतु कुल स्वीकृत राशि 450.00 लाख के विरूद्व माह दिसम्बर 2009 तक 433.93 लाख का व्यय हुआ है । वर्ष 2009–10 मे कथोडी विकास योजना की 5 माँ–बाडी केन्द्र को सम्मिलित करते हुए कुल 155 माँ–बाडी केन्द्र संचालन हेतु 1.00 लाख प्रति सेन्टर प्रावधान किया गया जिसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है ।

4.2 मॉ–बाडी निर्माण (अनुसूचित क्षेत्र) :

मॉ–बाडी योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु वर्श 2007–08 मे 150 लाख स्वीकृत हुए है जो पुर्ण रूप से व्यय किया जा चुका है । जिसकी समस्त यु.सी. भेजी जा चुकी है ।

5. सहरिया क्षैत्र की योजनाएं :

5.1 तपेदिक नियन्त्रण कार्यक्रम :

बांरा जिले के सहरिया क्षेत्र में स्वच्छ द्वारा वर्ष 1998–99 से तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम का 180 गांवो मे क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत वर्श 2006–07 मे 400 रोगियो हेतु राि ा रू. 21.74 लाख स्वीकृत हुए । उक्त राि ा का उपयोग वर्श 2007–08 व 2008–09 मे किया गया। मार्च 2009 तक रू. 4.18 लाख भोश थे । मार्च 2009 मे बचत राि ा 4.18 लाख के विरूद्व माह दिसम्बर, 2009 तक 6.37 लाख व्यय हो चुके है। भौतिक लक्ष्य 400 रोगी के विरूद्व 249 रोगी पुर्ण उपचारित हुए। वर्श 2007–08 मे 400 रोगियो हेतु रू. 21.74 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। जिसकी राि ा प्राप्त होना भोश है। वर्श 2008–09 मे भी 400 रोगियो हेतु रू. 21.74 लाख के प्रस्ताव भिजवाये गये थे एवं वर्श 2009–10 के प्रस्ताव मे टोकन मनी का प्रावधान रखा गया है। जिसकी स्वीकृत प्राप्त नही हुई है।

5.2 माँ–बाडी केन्द्र एवं भवन निर्माण :

सहरिया क्षेत्र मे स्वच्छ द्वारा 180 पुर्व वर्शो से माँ–बाडी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा था। क्षेत्र मे इस कार्यक्रम की ग्प्रहयता के दृश्टिगत चालु वित्तिय वर्श मे 27 अतिरिक्त मां–बाडी केन्द्र संचालन एवं निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने से अब 207 केन्द्र संचालित किये जा रहे है। माँ–बाडी भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है जिस पर माह दिसम्बर, 2009 तक रू. 23.15 लाख व्यय किया गया है ।

इस योजना मे प्रति मां बाडी केन्द्र संचालन हेतु रू. 1.00 लाख प्रति एवं भवन निर्माण हेतु रू. 1.00 लाख की प्र ाासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। मां–बाडी योजना के संचालन पर अप्रेल 09 को भोश बची रा ि 154.03 लाख के विरूद्व चालु वित्तिय वर्श के माह दिसम्बर, 2009 तक 171.74 लाख व्यय किया जा चुका है ।

5.3 सहरिया स्वास्थ्यकर्मी सहयोगी (महिला)

उक्त योजना पर चालु वित्तिय वर्श मे राशि रू. 15.26 लाख प्राप्त हुए है ।
प्राप्त रूपये के विरूद्व माह दिसम्बर, 2009 तक रू. 15.22 लाख व्यय किया जा चुका है । कार्य प्रगति पर है ।

6. नरेगा योजनान्तर्गत कार्य :

स्वच्छ परियोजना के जयपुर स्थित ईकाई कार्यालय द्वारा नरेगा योजना सम्बन्धित कार्य किया जा रहा है । योजना पर माह दिसम्बर, 2009 तक रू. 67.17 लाख व्यय किया जा चुका है ।

7. आश्रम छात्रावासो का मरम्मत कार्य :

टी.एस.पी. क्षेत्र मे 30 आश्रम छात्रावासो के मरम्मत कार्य हेतु कुल राशि रूपये 175.48 लाख हॉल ही स्वीकृत किये गये है। स्वीकृति के विरूद्व पूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है। जिसमे से राशि रू. 25.81 व्यय हो चुके है।

4. सेरीकल्चर परियोजना

(1)सेरीकल्चर

क्षेत्र के जनजाति कृषकों का निरन्तर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा सेरीकल्चर कार्यक्रम उदयपुर जिले में चलाया जा रहा हैं। इस कार्यक्रम से परम्परागत फसलों की तुलना में कृषक तीन गुना अधिक आमदनी प्राप्त कर रहा हैं। रेशम उत्पादन से जुडी गतिविधियों जैसे रेशम कीटपालन, रेशम धागाकरण, शहतूत पौधरोपण, शहतूत नर्सरी उत्पादन, बांस उपकरण निर्माण आदि में जनजाति कृषक अपने श्रम का योगदान देकर निरन्तर लाभ अर्जित कर रहे है। सेरीकल्चर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति कृषकों को एक बार शहतूत यूनिट लगाने पर 3,200 रुपये अनुदान तथा रेशम कीट पालन हेतु बांस उपकरण के लिये 2100 रुपये का अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2009–10 में रुपये 10.40 लाख राशि का प्रावधान है इसके विपरीत दिसम्बर 2009 तक रुपये 8.265 लाख रुपये व्यय हुए हैं। 300 लाभान्वितों के लक्ष्य के विपरीत 300 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया हैं।

(2)मशरूम कार्यक्रम

क्षेत्र के जनजाति कृषकों को पोष्टिक आहार उपलब्ध करवाने तथा आर्थिक उत्थान हेतु विभाग द्वारा मशरूम कार्यक्रम उदयपुर जिले के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में ढिंगरी तथा बटन दो प्रकार की मशरूम की खेती करवाई जा रही है। विभाग द्वारा कृषकों को ढिंगरी मशरूम उत्पादन हेतु 6450 रुपये का तथा बटन मशरूम उत्पादन हेतु 3350 रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 2009–10 में 16.20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम में दिसम्बर 2009 तक 16.20 लाख रुपये व्यय हो चुके है तथा 250 लाभान्वितों के लक्ष्य के विपरीत 250 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया हैं।

अध्याय – 4

अन्य कार्यक्रम

1. **आश्रम छात्रावासों का संचालन** :–

जनजाति छात्र–छात्राएं उनके निवास स्थान के नजदिक वांछित स्तर का विद्यालय नहीं होने की स्थिति में उनके परिवारों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण दूर–दराज के विद्यालयों में अध्ययन जारी नहीं रख पाते हैं। अतः ऐसे छात्र–छात्रा अध्ययन जारी रख सके इस उद्धेश्य से विभाग द्वारा आश्रम छात्रावास संचालित किए जा रहे है। इन छात्रावासों में 1000/– रूपये प्रतिमाह प्रतिछात्र–छात्रा की दर से (अधिकतम 10 माह तक) निःशुल्क आवास, भोजन, पोशाक एवं अन्य सुविधाऐं उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	मद का नाम	राशि प्रतिमाह	राशि प्रति वर्ष (10 माह)
1प	भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, ईधंन इत्यादि	750/–	7500/–
2प	स्कूल यूनीफोर्म मय सिलाई, जूते, मौजे, तौलिया, जर्सी इत्यादि	125/–	1250/–
3प	बालों में लगाने का तैल,नहाने एवं कपडे धोने का साबुन, बाल कटिंग इत्यादि	30/–	300/–
4प	चद्दर, तकिया खोली एवं खेस धुलाई	25/–	250/–
5प	बिजली, पानी	60/–	600/–
6प	समाचार पत्र– पत्रिकाऐं	10/–	100/–
कुल योग		**1000/–**	**10000/–**

आश्रम छात्रावास प्रवेश प्रकिया :–

आश्रम छात्रावासो में जनजाति छात्र–छात्राओं को निम्नानुसार प्रवेश दिया जाता है :–

1. उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक स्तर के छात्रावासों में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाता हैं जिनके निवास स्थान से पांच किमी की दूरी में इस स्तर का विद्यालय नहीं है जिस कक्षा में वह प्रवेश लेना चाहता है।
2. उच्च प्राथमिक स्तर के आश्रम छात्रावास में उसी छात्र को प्रवेश दिया जाता है जिसके निवास स्थान से तीन किलोमीटर की दूरी में उस स्तर का विद्यालय नहीं है जिस कक्षा में वह प्रवेश लेना चाहता है ।
3. प्राथमिक स्तर के आश्रम छात्रावास में उसी छात्र को प्रवेश दिया जावेगा जिसके निवास स्थान से डेढ किमी की दूरी में उस स्तर का विद्यालय नहीं है जिस कक्षा में वह प्रवेश लेना चाहता है।
4. आश्रम छात्रावासों में उन्हीं छात्रों को प्रवेश मिल सकता हैंजिनके माता–पिता/अभिभावक निम्न तीन शर्ते पूरी करते होः
   अ. आयकर दाता नहीं हो ।
   ब. 400 वर्ग गज से अधिक शहरी भूमि अथवा मकान की मिलकियत नहीं हो।
   स. 15 बीघा से अधिक खेती योग्य भूमि न हो ।
5. **प्रवेश नियम** :–
   1. सभी स्तरो के आश्रम छात्रावासो में प्रवेश उसी जिले के जनजाति छात्रों तक ही सीमित रहेगा ।
   2. छात्रावास में प्रवेश उसके लिए स्वीकृत क्षमता के अनुसार क्रमशः बडी कक्षा से छोटी कक्षा तक दिया जाय यथा पहले 12,11,10, 9 इसी क्रम में रिक्त स्थान होने तक प्रवेश दिया जाय ।
   3 छात्रावास में स्थान रिक्त रहने पर तीसरी कक्षा से नीचे की कक्षा में अध्ययनरत छात्रो को भी प्रवेश दिया जावेगा ।
   4 छात्रावास में प्रवेश मेरिट के आधार पर वरीयता क्रम से दिया जावेगा ।
6. यदि किसी कक्षा के लिये निर्धारित स्थान खाली रहते है तो वे स्थान उपलब्ध उच्चतम कक्षा के छात्रों से भरे जायेगे, पूरक परीक्षाओ के छात्रों को ग्रीष्मावकाश में छात्रावास में प्रवेश दिया जाकर आवास सुविधा दी जा सकती है, परन्तु राशन व्यवस्था आदि छात्र स्वयं का अपने खर्च पर करेगा ।
7. यदि कोई छात्र सत्र के बीच में छात्रावास छोड़कर जाता है तो छात्र को पुनः प्रवेश देने का अधिकार आयुक्त को होगा ।
8. प्रत्येक छात्र द्वारा मेस समिति के खाते में 30 रूपये काशनमनी जमा कराने के पश्चात ही छात्रावास में प्रवेश दिया जायेगा ।
9. सत्र आरंभ होने के एक माह पश्चात अथवा प्रवेश सलाहकार समिति की सिफारिश के अतिरिक्त किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाता है, जब तक कि ऐसे मामलो में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, से पूर्व स्वीकृति प्राप्त न हो जाती हैं ।

10. आश्रम छात्रावासों में एक बार प्रवेश पाने के बाद प्रवेशित कक्षा में उत्तीण होने पर अगली कक्षा में स्वतः ही प्रवेश का पात्र होता है।

11. आश्रम छात्रावासों में प्रवेशित छात्र–छात्रा अनुत्तीण होते हैं तो उन्हे पुनः प्रवेश नहीं दिया जाता हैं ।

आश्रम छात्रावासों का जिलेवार विवरण (अनुसूचित क्षेत्र)

जिला	क्षमतानुसार छात्रावासों की संख्या											वर्ग		योग
	25	40	45	50	70	75	80	95	100	120	130	बालक	बालिका	
बॉसवाड़ा	0	–	0	21	–	–	0	–	12	–	0	25	8	33
डूॅगरपुर	1	–	–	23	–	2	–	–	11	–	1	31	7	38
उदयपुर	2	9	–	32	1	–	3	1	8	–	–	36	20	56
प्रतापगढ़	–	–	–	22	1	–	5	–	5	–	1	21	13	34
आबूरोड़	1	–	–	3	–	–	1	–	1	1	3	8	2	10
योग	**4**	**9**	**0**	**101**	**2**	**2**	**9**	**1**	**37**	**1**	**5**	**121**	**50**	**171**

योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में 11085 छात्र/ छात्राओं को लाभान्वित करने का प्रावधान रखा गया हैं जिसके विरूद्ध 10882 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा हैं । अनुसूचित क्षेत्र के आश्रम छात्रावासों प्रवेश क्षमता एवं प्रवेशित छात्र–छात्राओ की संख्या का छात्रावासवार विवरण परिशिष्ठ **13** पर उपलब्ध हैं।

2– जनजाति प्रतिभावान छात्र/छात्राओं के लिए प्रतिभावान छात्रावास :

अनुसूचित क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावासों में 5 प्रतिभावान छात्रावास भी सम्मिलित हैं जिनमें प्रतिभाशाली जनजाति छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जाता हैं । इनमें उदयपुर में 2, डूंगरपुर, बांसवाडा एवं प्रतापगढ में 1–1 चल रहे हैं । इन छात्रावासों में प्रवेश अनुसूचित क्षेत्र की सभी 23 पंचायत समिति के विधालयों से कक्षा आठवीं बोर्ड में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को वरियता क्रम में मेरिट से प्रवेश दिया जाता हैं । आवासीय छात्र–छात्राओं को निःशुल्क भोजन, पुस्तकें, पौशाक विशेष कोचिंग आदि सुविधा मुहैया कराई जाती है।

3– आवासीय विधालय संचालन योजना :–

अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र तथा सहरिया क्षेत्र में बालक/ बालिकाओं में शिक्षा के उन्नयन हेतु भारत सरकार द्वारा आवासीय विधालयों का निमार्ण कराया गया हैं। आवासीय विधालयों में स्वीकृत शैक्षिक/अशैक्षिक पदो पर शिक्षा विभाग से कर्मचारियों /अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन लिये जाकर अध्ययन व्यवस्था संचालित की जा रही हैं । इन आवासीय विद्यालयों में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर का पैटर्न संचालित किया जा रहा हैं ।

आवासीय विधालयों में जनजाति छात्रों के प्रवेश हेतु दिशा निर्देश :–

1. आवासीय विधालयों में केवल उन्ही जनजाति छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जाता हैं जिनके माता पिता राजस्थान राज्य के मूल निवासी हों तथा आयकरदाता नहीं हो।
2. प्रवेश उन्हीं जनजाति छात्र/छात्राओं को दिया जाता हैं जिन्होंने प्रवेश चाही गई कक्षा से पूर्व कक्षा की परीक्षा किसी सरकारी विधालय अथवा मान्यता प्राप्त विधालय से उत्तीर्ण की हों।
3. आवासीय विद्यालय में विभिन्न क्षेत्र के जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं हेतु प्रवेश के लिए अलग–अलग प्रावधान किया हुआ हैं ।

प्रवेश प्रकिया :–

1. प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के प्रारम्भ से दो माह पूर्व प्रत्येक कक्षा में छात्रों की रिक्तियों का आंकलन किया जाता हैं ।
2. प्रतिवर्ष माह मई एवं जून में संबंधित परियोजना/उप परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर इन आवासीय विधालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की सूचना दी जाती हैं तथा इसकी प्रति संबंधित आवासीय विधालयों एवं उनके अधीन सभी विधालयों को प्रचार–प्रसार हेतु भेजी जाती हैं।
3. आवासीय विधालयों में प्रवेश के लिए प्रकाशित विज्ञप्ति में आवेदन पत्र का प्रारूप भी प्रकाशित कराया जाता हैं जिसे भरकर अथवा टंकित करवाकर छात्र–छात्रा द्वारा सीधे ही संबंधित परियोजना/उप परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग अथवा आवासीय विधालय के प्रधानाचार्य को भेजते हैं ।
4. फार्म में निम्न प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न की जानी आवश्यक होती हैं ।
   1. मूल निवास प्रमाण पत्र (स्थायी जिला जिसके मूल निवासी है)
   2. माता पिता/अभिभावक का वार्षिक आय–प्रमाण पत्र
   3. अनुसूचित जनजाति होने का जाति प्रमाण–पत्र
   4. गत परीक्षा की अंक तालिका की प्रति
5. प्रवेश फार्म सम्बन्धित आवासीय विधालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को जमा कराकर उनसे प्राप्ती रसीद लेना आवश्यक हैं।

6. आवासीय विधालयों में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु पांचवी कक्षा में प्राप्तांको की मेरिट तैयार कर उसके आधार पर प्रवेश दिया जाता हैं। मेरिट में 10 प्रतिशत संख्या प्रतीक्षा सूची के रूप में रखी जाती हैं।

7. कक्षा 7 से 12 तक में स्थान रिक्त रहने पर छात्रों से आवेदन प्राप्त किये जाते हैं एवं उन्हे पूर्व उर्त्तीण कक्षा की अंक तालिका के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार की जाकर उसके आधार पर प्रवेश दिया जाता हैं। इसमें भी प्रतीक्षा सूची के लिए मेरिट में 10 प्रतिशत संख्या बढ़ाकर रखी जाती हैं।

8. आवासीय विधालयों में प्रवेश हेतु प्रवेश समिति गठित की हुई है जिसमें संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, अनुसूचित क्षेत्र में परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण या उनका प्रतिनिधि सदस्य होता हैं। आवासीय विधालय का प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य सदस्य/सचिव होते हैं ।

9. प्रत्येक कक्षा में प्रवेशित क्षमता 50–50 छात्र–छात्राओं की निर्धारित हैं । इससे अधिक प्रवेश नहीं दिया जाता हैं ।

10. सत्र प्रारम्भ होने के एक माह के भीतर यदि रिक्तिया रहती हैं तो प्रतीक्षा सूची में से प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्रवेश दिया जाता हैं, परन्तु इसके पश्चात भी स्थान रिक्त रहता हैं तो एक माह बाद भी प्रवेश समिति की सिफारिश (योग्यता के आधार पर) पर किसी भी आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जा सकता हैं ।

11. आवासीय विधालयों में अनुतीर्ण रहे छात्रों को अगले वर्ष पुनः प्रवेश नहीं दिया जाता हैं।

12. पूर्व प्रवेशित विधार्थी किसी कक्षा में उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में स्वतः प्रवेश हेतु पात्र होता हैं तथा स्थान रिक्त होने पर ही रिक्त सीट के लिए मेरिट का नियम लागू होता हैं।

13. एक छात्र एक ही आवासीय विधालय के लिए आवेदन कर सकता हैं ।

14. आवासीय विधालय के छात्र–छात्राओं को भोजन, आवास, शिक्षा एवं अन्य देय सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पैटर्न अनुसार ही उपलब्ध करवाई जावेगी।

15. आवासीय विधालय में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रवेश नीति अनसार अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र के छात्र–छात्राओं हेतु स्थान आरक्षित हैं एवं उसी अनुसार ही प्रवेश दिया जाता हैं

वर्तमान में राज्य में कुल 12 आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं जिसमें अनुसूचित क्षेत्र में 7 आवासीय विधालय (कोटड़ा, सलुम्बर एवं खैरवाड़ा (उदयपुर), सीमलवाड़ा (डूॅगरपुर), कुशलगढ़ (बॉसवाड़ा), प्रतापगढ़ (चितौड़गढ़) एवं आबूरोड़ (सिरोही), गैर अनुसूचित क्षेत्र (माडा) में 3 आवासीय विधालय (निवाई जिला टोंक, झालरापाटन जिला झालावाड़ एवं महुवां जिला दौसा) एवं सहरिया क्षेत्र में 2 आवासीय विद्यालय (शााहाबाद एवं किशनगंज जिला बारां) में संचालित किये जा रहे हैं । प्रत्येक आवासीय विद्यालय एवं कक्षाओं में अधिकतम छात्र–छात्रा की क्षमता निर्धारित हैं । इन आवासीय विधालयों में शिक्षा, आवास एवं भोजन की सुविधाए निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, जिसका निर्धारित पैटर्न निम्नानुसार है :–

आवासीय विधालय में निःशुल्क प्रदान की जा रही सुविधाओं हेतु प्रति छात्र–छात्रा का पैटर्न :–

क्र.सं.	विवरण	राशि प्रतिमाह	राशि प्रति वर्ष (10 माह हेतु)
1	भोजन व्यय	750.00	7500.00
2	स्टेशनरी एवं पाठयपुस्तकें	40.00	400.00
3	बाल कटिंग	10.00	100.00
4	बनियान, अण्डरवियर एवं अन्त वस्त्र आदि (दो जोडी)	13.00	130.00
5	केनवास शूज + 2 जोडी मोजे	18.00	180.00
6	हवाई चप्पल एक जोडी	3.00	30.00
7	टावेल	4.00	40.00
8	बाल हेतु तेल	4.00	40.00
9	पेन्ट–शर्ट दो जोडी (छात्र)एवं सलवार–कुर्ता–चुनी (छात्रा)	120.00	1200.00
10	स्वेटर (दो वर्ष में एक बार)	15.00	150.00
11	नहाने व कपडे धोने का साबुन	15.00	150.00
12	दंत मंजन व ब्रश	6.00	60.00
13	केनवास शूज पोलिस	2.00	20.00
	योग :	1000.00	10000.00

अनुसूचित क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2009–10 में कुल 2450 छात्र/ छात्राओं की क्षमता के विरूद्व 1732 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाकर आवासीय विद्यालय की समस्त सुविधाए निर्धारित पैटर्न के अनुसार उपलब्ध कराई जा रही हैं । आवासीय विधालयवार छात्र–छात्रा क्षमता एवं प्रवेशित संख्या का विवरण **परिशिष्ठ 16** पर उपलब्ध है।

5– आश्रम छात्रावासों में विशेष कोचिंग योजना :–

(अ) आश्रम छात्रावासों के कक्षा 10 व 12 के छात्र/ छात्राओं को आश्रम छात्रावास में ही विषय विशेषज्ञ के मार्फत 6 माह तक कठिन विषयों की कोचिंग कराई जाती हैं, ताकि छात्र/ छात्राऐं कठिन विषयों की अच्छी तैयारी कर अच्छे अंको से उत्तीर्ण हो सकें । कक्षा 10 में अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित तथा कक्षा 12 में कला वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी व ऐच्छिक अंग्रेजी वाणिज्य वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी तथा तीनों ऐच्छिक विषय तथा विज्ञान वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी तथा चारों ऐच्छिक विषयों की कोचिंग कराई जाती हैं । विशेष कोचिंग योजनान्तर्गत प्रति विषय प्रतिमाह 2500/– रूपये की दर से 6 माह तक मानदेय भुगतान किया जाता हैं।

(ब) आश्रम छात्रावासों के कक्षा 8वीं के छात्र/ छात्राओं को आश्रम छात्रावास में ही विषय विशेषज्ञ के माध्यम से 6 माह तक कठिन विषयों यथा अंग्रेजी एवं गणित विषयों की कोचिंग कराई जाती हैं, ताकि छात्र/ छात्राऐं कठिन विषयों की अच्छी तैयारी कर अच्छे अंको से उत्तीर्ण हो सकें । इसके लिए प्रति विषय प्रतिमाह 2500/– रूपये की दर से 6 माह तक मानदेय के रूप में भुगतान किया जाता हैं।

6– छात्रगृह किराया योजना (केवल राजकीय माहविद्यालय/विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं हेतु):–

अनुसूचित क्षेत्र में वर्ष 1986–87 से यह योजना प्रारंभ की गई । इस योजनान्तर्गत जनजाति के ऐसे छात्र–छात्राऐं जो राजकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढते है, उनमें से जिन छात्र/छात्राओं को छात्रावास में स्थानाभाव के कारण आवासीय सुविधा नहीं मिल पाती है और वे किराये के मकान मे रहकर नियमित अध्ययन करते है, उनको इस योजनान्तर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रति छात्र–छात्रा को 150 रूपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह के हिसाब से मकान किराये का पुनर्भरण किया जाता है, इसमें एक छात्र या दो छात्रों के एक ग्रुप को भी यह सुविधा दी जाती हैं।

मकान किराये का पुनर्भरण परियोजना/उपपरियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा मकान मालिक को त्रैमासिक रूप से किया जाता है । पुनर्भरण किराये की रसीद जिस पर शिक्षक संस्था का प्रधान यह प्रमाणित करता है कि उक्त छात्र/छात्रा मेरे राजकीय संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे है और ये उक्त मकान में किराये पर रहते हैं । इसके बाद ही उनके मकान मालिक को किराये का भुगतान किया जाता हैं। जिन छात्र/छात्राओं के माता–पिता आयकरदाता है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

7– बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को छात्रवृतिः–

अनुसूचित क्षेत्र में वर्ष 1993–94 से यह योजना प्रारंभ की गई । जनजाति के ऐसे प्रतिभावान छात्र/छात्राऐं जिन्होंने **राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली** द्वारा आयोजित कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है तथा विश्वविद्यालय में इसी प्रकार के स्नातक एवं स्नातकोत्तर में भी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को भी महाविद्यालयों के प्राचार्य से सूची प्राप्त होने पर छात्रवृति दी जाएगी । (250/– रूपया प्रतिमाह की दर से 10 माह तक)

इस योजनान्तर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि निम्न प्रकार से देय होगी :–

1– दसवीं बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्र–छात्रा को 11 वीं एवं 12 वीं कक्षा में अध्ययन के दौरान राशि देय होगी। ऐसे छात्र–छात्रा को12वीं कक्षा में छात्रवृति 11 वीं कक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही देय होती हैं।

2– बारहवी की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले छात्र–छात्रा को ग्रेज्युएशन के दौरान तीनों वर्ष प्रोत्साहन राशि देय होगी। बशर्ते छात्र–छात्रा ने प्रथम वर्ष की परीक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो तब ही द्वितीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि देय होगी, इसी प्रकार द्वितीय वर्ष की परीक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो तब ही तृतीय वर्ष में राशि देय होगी ।

3– स्नातकोतर कक्षाओं में अध्ययन के दौरान भी उक्तानुसार शर्ते लागू रहेगी ।

8– जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना :–

अनुसचित क्षेत्र की जनजाति महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्धेश्य से वर्ष 1994–95 में यह योजना प्रारम्भ की गई। योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होगा जो अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी हो

और महाविद्यालय (सामान्य शिक्षा) में अध्ययनरत हो। योजनानुसार प्रत्येक अध्ययनरत छात्रा को 350/– रूपये प्रतिमाह की दर से 10 माह तक (3500/–वार्षिक) आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं । इस योजना में उन्हीं छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है जिन्होनें महाविधालय में पिछली परीक्षा उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो तथा विभाग द्वारा संचालित बोर्ड संचालित प्रतिभावान जनजाति छात्रवृति योजना का लाभ नहीं लिया हो। साथ ही आर्थिक सहायता केवल उन्हीं छात्राओं को देय होगी, जिनके माता–पिता आयकर दाता नहीं हैं।

9– जनजाति के कक्षा 6 से 12 तक चयनित छात्र/ छात्राओं को प्रतिष्ठित विद्यालयों/संस्थाओं के माध्यम से अध्ययन योजना :–

सामान्यतया जनजाति छात्र–छात्राऐं आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण प्रतिष्ठित एवं अच्छी शिक्षा देने वाले निजी शैक्षिक विद्यालयों/ संस्थाओं में अध्ययन नहीं कर पाते हैं । इसलिए राज्य की कतिपय श्रेष्ठ शैक्षिक संस्थाओं में जनजाति छात्रो को सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अध्ययन कराने एवं इन्हें गुणवत्तायुक्त शिक्षा दिलवाने के उद्धेश्य से यह योजना वर्ष 2001–2002 में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के माध्यम से उनके अनुमोदित पेटर्न अनुसार प्रारम्भ किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया।

योजनान्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा 38 निजी प्रतिष्ठित विधालयों/संस्थाओं का चयन किया गया । इसमें 28 छात्र एवं 10 छात्राओं के विधालय/ संस्थाऐं हैं। संस्था प्रधान के आवश्यक प्रमाण–पत्र के अनुसार उक्त योजना के अन्तर्गत ट्यूशन फीस, आवास, भोजन, पुस्तके स्टेशनरी एवं पौशाक आदि हेतु राशि स्वीकृत की जाती हैं जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती हैं ।

10. जनजाति छात्राओं (छात्रावासों में प्रवेश से वंचित रही) को शिक्षा विभाग द्वारा साईकिले वितरण में छात्राओं की हिस्सा राशि का पुनर्भरण :–

कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्राओं को शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड की पात्रता रखने वाली छात्राओं को 300/– रू. की हिस्सा राशि लेकर साईकिले उपलब्ध कराई जाती हैं । अनुसूचित क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र में कक्षा 10 में अध्ययनरत जनजाति /सहरिया छात्राये जो छात्रावासो में स्थानाभाव के कारण आवासीय सुविधाओं से वंचित रह जाती है, की हिस्सा राशि 300/– रू. विभाग द्वारा वहन की जाती हैं । यह राशि सीधे की शिक्षा विभाग को उनकी मांग अनुसार हस्तान्तरित की जाती हैं। इस प्रकार छात्राओं को साईकिले निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं ।इस योजना से जनजाति की छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलता हैं एवं इससे उनमें शिक्षा के प्रति ओर जागरूकता बढ़ती हैं ।

इस योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जो अनुसूचित क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र में निवासित हैं एवं इन्ही क्षेत्र की स्कूलो में अध्ययनरत है । पाठशाला से घर की दूरी अधिक होने से उन्हें अध्ययन स्थल पर समय पर आने–जाने में सुविधा रहती हैं ।

11. <u>खेल छात्रावासों का संचालन</u> :–

अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति छात्रों को खेल–कूद हेतु प्रोत्साहित करने तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिर्स्पधाओं के लिए तैयार करने के उद्धेश्य से राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद जयपुर के खेल छात्रावास पैटर्न पर तीन खेल छात्रावास यथा जिला स्तरीय खेल छात्रावास लौधा (बांसवाड़ा) 100 छात्र क्षमता एवं खेरवाड़ा (उदयपुर) 50 छात्र क्षमता तथा संभाग स्तरीय खेल छात्रावास सरदारपुरा (उदयपुर) में 50 छात्र क्षमता के संचालित किये जा रहे हैं । इन खेल छात्रावासों में दक्ष विशेषज्ञों द्वारा तीरन्दाजी एवं ऐथेलेटिकस का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

खेल छात्रावास में सम्पूर्ण राज्य के जनजाति बालको को प्रवेश दिया जाता हैं। एकलव्य खेल छात्रावास में कक्षा 6 से 12 वीं तक के खिलाड़ी बालकों को प्रवेश दिया जाता हैं तथा प्रवेश के लिए छात्रों की आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं।

छात्रावास में छात्रों का चयन विशिष्ट प्रकार के बेट्री टेस्ट और कौशल परीक्षणों के आधार पर किया जाता हैं। प्रवेशित छात्रों को अनुमोदित पैटर्न अनुसार भोजन, आवास आदि की सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। इसके साथ ही बालकों को निकटतम विद्यालयों में नियमित अध्ययन की सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

14. आश्रम छात्रावासों के आवासीय छात्र–छात्राओं की <u>शैक्षणिक भ्रमण योजना</u> :–

जनजाति छात्र/छात्राओं को शहरी, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय व आधुनिक ज्ञान उपलब्ध कराने की दृष्टि से आश्रम छात्रावास के छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण कराये जाने के उदृेश्य से यह योजना संचालित की जा रही

है। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान कम से कम राजस्थान के शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक महत्वों के स्थलों पर छात्र/छात्राओं को भ्रमण कराते हुए जनजाति छात्र–छात्राओं की जिज्ञासा पूरी करने का प्रयास किया जाता हैं। इसका मूल उद्वेश्य जनजाति के छात्र/छात्राओं को स्मारको के बारे में ज्ञान प्राप्त कराना, ताकि वे राष्ट्रीय विकास की धारा से रू–बरू होकर ज्ञान में सुधार ला सकें और वे जागरूक तथा जिम्मेदार नागरिक बन सके। भ्रमण से उन्हें भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। यह भ्रमण कार्यक्रम सात दिवसीय होता हैं जिसमें भोजन–नाश्ता के अतिरिक्त छात्र–छात्राओं को दर्शनीय स्थानों का टिकट एवं ठहरने की व्यवस्था, स्टेशनरी, बसों के किराये का प्रावधान किया गया हैं ।

15. <u>बेणेश्वर धाम पर जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन</u> :–

अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति समुदाय के लिए डूॅंगरपुर जिले की पंचायत समिति, आसपुर में ग्राम साबला वेणेश्वर धाम में मेले का प्रतिवर्ष आयोजन होता है। जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के सभी जिलो से जनजाति के छात्र/छात्राये अपने अभिभावको के साथ मेले में आते है। साथ ही त्रिवेणी संगम पर अपने पूर्वजो को श्रंद्वाजली अर्पित करते है। इसके साथ ही अपने परम्परागत खेल के रूप में अपने साथ धनुष तीर भी लेकर आते है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, जिला प्रशासन डूॅंगरपुर एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में मेला स्थल पर पारम्पिरिक खेलो का आयोजन मेला धाम पर किया जाता है। प्रतियोगिता 3 दिन आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता मुख्यतः एथेलेटिक्स, तीरंदाजी खेल में 14 वर्ष से कम बालक एवं बालिका वर्ग, 14 वर्ष से उपर पुरूष व महिला वर्ग, रस्सा कस्सी पुरूष व महिला वर्ग, गिडा डौट व सतौलिया पुरूष वर्ग में एवं मटका दौड़ केवल महिला वर्ग में आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता के दौरान सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है एवं विभाग द्वारा संचालित खेल छात्रावासों में प्रवश देकर उन्हें पारम्पिरिक खेलो में दक्ष प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण देकर प्रोत्साहन किये जाने के उद्वेश्य से यह योजना वर्ष 2007–08 में प्रस्तावित की जा रही है।

आयोजित प्रत्येक खेल व इवेन्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुरूष, महिला प्रतियोगी को क्रमशः 501, 401, 301, 201 रूपये नकद राशि पारितोषिक स्वरूप प्रदान की जायेगी। रस्सा कस्सी में प्रथम दो स्थान प्राप्त करने वाले पुरूष व महिला दल को 2501 व 1501 रूपये पारितोषिक स्वरूप दी जायेगी। गिडा डोट में 9–9 खिलाड़ी व सतोलिया में 7–7 खिलाड़ी तथा रस्सा कस्सी में 9–9 खिलाड़ी भाग लेगें।तीरंदाजी में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को अपने अपने तीर कमान साथ लाना अनिवार्य है। गिडाडोट व सतोलिया के प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वाले को क्रमशः 1001 व 701 रूपये पारितोषिक दिया जाता है।

<u>निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना</u> :–

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोंर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में अनुसूचित क्षेत्र की जो जनजाति छात्राऐं राजकीय विद्यालयों में अध्ययन करते हुए कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 65 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करती है, को विभाग द्वारा निःशुल्क स्कूटी वितरण की जाती है।

<u>कॉलेज एवं वि ववविद्यालय में अध्यनरत छात्र/छात्राओं को आधुनिक धनुश एवं तीर उपलब्ध करवाने एवं प्रि ाक्षण दिये जाने बावत।</u>

वर्तमान में जनजाति उपयोजना क्षेत्र मे तीन बालक खेल छात्रावास संचालित है। जिसमें अध्ययनरत प्रतिभावान छात्रों को कक्षा 12 वी तक खेल वि ोशज्ञ प्रि ाक्षको द्वारा इन्हे आधुनिक धनुश चलाने का वि ाश्ट प्रि ाक्षण दिया जाकर इनमें छिपी प्रतिभा में निखार लाया जाता है। कक्षा 12 वीं के प चात् छात्र कॉलेज में आ जाते है और विभाग द्वारा इन्हें खेल के उपकरण एवं प्रि ाक्षण दिया जाना का कोई प्रावधान अनुमोदिन होकर स्वीकृत नहीं है। जिस कारण आगे चलकर इनकी प्रतिभा में और निखार आने से वंचित रह जाते है इस बात को मध्य नजर रखते हुए जनजाती उपयोजना क्षेत्र के मूल निवासी छात्र/ छात्राऐं जो कॉजेल एवं वि ववविद्यालय में अध्यनरत है एवं राज्य एवं राश्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त किया हुआ है या उत्कृश्ठ खिलाडी रहे हो उन्हें इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

खेल उपकरण संबंधित परियोजना/उपपरियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से संबंधित खेल अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके साथ ही उदयपुर जिले के छात्र/छात्राओं को खेल अधिकारी (जनजाति) उदयपुर द्वारा प्रि ाक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। उक्त उपकरणों हेतु प्रस्तावित रा ि परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के कोश कार्यालय में हस्तान्तरित कराई जा कर उक्त उपकरण एक साथ क्रय कर उपकरण खेल छात्रावासों में दिया जाना प्रस्तावित है।

अनुसूचित जतजाति खिलाडी छात्र/छात्रा को प्रथम तीन स्थान/गोल्ड सीलवर ब्रोन्ज मेडल जितने पर प्रोत्साहन हेतु नकद रा ि ा ।

वर्तमान मे अनुसूचित क्षेत्र में 3 बालक खेल छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। जिनमें वि ोशज्ञो द्वारा तीरदांजी एवं एथेलिटिक्स खेलों में वि ोश प्रि ाक्षण दिया जाता है। इन जनजाति प्रतिभावान खिलाडी बालक/बालिकाओं को उपयुक्त अवसर मिलने पर कई राश्ट्रीय एवं अन्तर्राश्ट्रीय अच्छे खिलाडी बन सकेगें। ऐसे जनजाति खिलाडियों को नकद रा ि ा देने के उद्दे ाय से उक्त योजना वर्श 07–08 से प्रस्तावित की गई। लाभान्वित योजना का क्षैत्र जहा लागू की जानी है – अनुसूचित क्षेत्र के बॉसवाडा/ डूंगरपुर/ उदयपुर/ प्रतापगढ (चितौडगढ), आबूरोड़ (सिरोही) जिलों में लागू की जानी है।

गोल्ड मेडल/सिल्वर मेडल एवं ब्रांज मेडल व्यक्तिगत एवं टीम स्पर्द्वा में प्राप्त किये हो ऐसे प्रतिभावान खिलाडी छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन किया जाता हैं।

श्री मानगढ़धाम घोटियाआम्बा, माहि महोत्सव मे जनजाति छात्र/छात्राओ हेतु खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन ।

अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति समुदाय के लिए बांसवाडा जिले की पंचायत समिति, आनन्दपुरी, बागीदौरा, तलवाड़ा मे प्रतिवर्श आयोजन होता है। जिसमे अनुसूचित क्षेत्र के सभी जिलो से जनजाति के छात्र/छात्राए अपने अभिभावको के साथ मेले मे आते है। इसके साथ ही अपने परम्परागत खेल के रूप मे अपने साथ धनुश तीर भी लेकर आते है । जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, जिला प्र ाासन बांसवाडा एवं राजस्थान राज्य क्रिडा परिशद, जयपुर के संयुक्त तत्वाधान मे मेला स्थल पर पारम्परिक खेलो का आयोजन मेला धाम पर किया जाता है। प्रतियोगिता तीन दिन आयोजित की जाती है । प्रतियोगिता मुख्यतः एथेलेटिक्स, वालीबाल, कब्बड़ी, फुटबाल, खो–खो तीरंदाजी खेल मे 14 वर्श से कम बालक एवं बालिका वर्ग, 14 वर्श से उपर पुरूश व महिला वर्ग, रस्सा कस्सी पुरूश व महिला वर्ग, गिडा डोट व सतौलिया पुरूश वर्ग मे एवं मटका दोड केवल महिला वर्ग मे आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता के दौरान सर्वश्रेश्ठ खिलाडियो को पुरस्कृत किया जाता है एवं विभाग द्वारा संचालित खेल छात्रावासो मे प्रवे ा देकर उन्हें पारम्परिक खेलो मे दक्ष प्रि ाक्षक द्वारा प्रि ाक्षण देकर प्रोत्साहन किये जाने के उद्वे य से यह योजना वर्श 09–10 से संचालित है।

अनुसूचित जनजातियों की सूची
राजस्थान
(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अनुसार)

क्र.सं.	अनुसूचित जनजातियां
1.	भील, भील गरासिया, ढोली, भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावें
2.	भील मीना
3.	डामोर, डामरिया
4.	धानका, तडबी, वालवी, तेतारिया
5.	गरासिया, (राजपूत, गरासिया को छोडकर)
6.	काथोडी, कातकरी, ढोर काथोडी, ढोर कातकरी, सोन काथोडी, सोन कातकरी
7.	कोकना, कोकनी, कूकना
8.	कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
9.	मीना
10.	नायकडा, नायका, चोलीवाला नायका, कापडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका
11.	पटेलिया
12.	सेहरिआ, सेहारिआ, सहारिया

स्त्रोत : प्राथमिक जनगणना सार 2001

अनुसूचित क्षेत्र का विवरण (जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार)
(जिलो, तहसीलो के पुनर्गठन पश्चात)

क्र.सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्रामो की संख्या			जनगणना कस्बा	नगर पालिका	जनसंख्या		जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत
			आबाद	गैर आबाद	कुल			कुल	जनजाति जनसंख्या	
1	**बांसवाड़ा**	घाटोल	220	3	223			230344	173515	75ण33
		गढ़ी	168	2	170	1		247468	129440	52ण31
		बांसवाड़ा	306	20	326	1	1	371320	226605	61ण03
		कुशलगढ़	394	3	397		1	283534	253015	89ण24
		बागीदौरा	294	0	294			287935	231384	80ण36
		योग	**1382**	**28**	**1410**	**2**	**2**	**1420601**	**1013959**	**71ण38**
2	**डूंगरपुर**	डूंगरपुर	281	0	281		1	392424	280782	71ण55
		आसपुर	143	3	146			184508	91190	49ण42
		सागवाड़ा	205	1	206	1	1	287288	156473	54ण47
		सीमलवाड़ा	225	0	225			243423	193042	79ण30
		योग	**854**	**4**	**858**	**1**	**2**	**1107643**	**721487**	**65ण14**
3	**उदयपुर**	कोटड़ा	251	1	252			163744	152950	93ण41
		झाड़ोल	258	0	258			193810	135152	69ण73
		गिर्वा (आंशिक)	81	0	81			137305	93905	68ण39
		लसाड़िया	107	0	107			72068	61973	85ण99
		सलुम्बर	215	0	215		1	201867	100942	50ण00
		सराड़ा	166	0	166	2		195119	115195	59ण04
		खेरवाड़ा	172	1	173	1		162634	115724	71ण16
		ऋषभदेव	97	1	98	1		134603	109805	81ण58
		गोगुन्दा (आंशिक)	52	0	52			19760	10953	55ण43
		योग	**1399**	**3**	**1402**	**4**	**1**	**1280910**	**896599**	**70ण00**
4	**प्रतापगढ़**	प्रतापगढ़	255	23	278		1	206965	88087	42ण56
		अरनोद	156	1	157			112072	73080	65ण21
		धरियावद	161	1	162	1		152655	117129	76ण73
		पीपलखूंट	191	5	196			118439	106359	89ण80
		योग	**763**	**30**	**793**	**1**	**1**	**590131**	**384655**	**65ण18**
5	**सिरोही**	आबूरोड़ (ब्लाक)	78	3	81			114818	76526	66ण65
		योग	**78**	**3**	**81**			**114818**	**76526**	**66ण65**
		महायोग	**4476**	**68**	**4544**	**8**	**6**	**4514103**	**3093226**	**68ण52**
राजस्थान								**56507188**	**7097706**	**12ण56**
राज्य की तुलना में अनुसूचित क्षेत्र प्रतिशत								**7ण99**	**43ण58**	

माडा लघुखण्डों का विवरण

जनगणना 2001 के आधार पर

क.सं.	जिले का नाम	माडा लघुखण्ड का नाम	ग्रामों की संख्या	कुल जनसंख्या	अनु. जनजाति जनसंख्या	प्रतिशत
1	अलवर	1. राजगढ – अलवर	131	140831	74290	52ण75
		2. थानागाजी	61	35420	20054	56ण62
		3. लक्ष्मणगढ	29	40418	20510	50ण74
		योग :	221	216669	114854	53ण01
2	धोलपुर	4. बसेरी – बाडी	68	60497	33888	56ण02
		योग :	68	60497	33888	56ण02
3	भीलवाडा	5. जहाजपुर–माण्डलगढ	206	116833	60322	51ण63
		योग :	206	116833	60322	51ण63
4	बून्दी	6. बून्दी	56	43680	21415	49ण03
		7. बून्दी–केशोरायपाटन	56	42613	21904	51ण40
		8. हिण्डोली–बून्दी	40	35844	17729	49ण46
		9. केशोरायपाटन	35	27691	15000	54ण17
		10.नैनवा–बून्दी–हिण्डोली	65	45642	22854	50ण07
		योग :	252	195470	98902	50ण60
5	चित्तौडगढ	11. बडीसादडी–छोटीसादडी	151	67486	38072	56ण41
		12. बेगूं	118	40764	22742	55ण79
		13. बेगूं–चित्तौड़गढ	72	15653	7898	50ण46
		योग :	341	123903	68712	55ण46
6 – 7	जयपुर एवं दौसा	14. लालसोट–चाकसू–दौसा– बसवा	424	323731	182569	56ण40
		15. जमवारामगढ़–चाकसू–बस्सी–दौसा–सांगानेर–आमेर	277	233531	133860	57ण32
		16. सिकराय–बसवा	76	99380	53984	54ण32
		योग :	777	656642	370413	56ण41
8	झालावाड	17. अकलेरा	126	55530	33231	59ण84
		18. झालरापाटन–खानपुर	117	47776	27883	58ण36
		योग	243	103306	61114	59ण16
9 – 10	कोटा एवं बारां	19. अटरू–छीपाबडोद–छबडा	36	21050	9962	47ण33
		20. छीपाबडोद	50	27584	19043	69ण04
		21. पीपल्दा–मांगरोल–दिगोद	108	67372	34551	51ण28
		22. छबडा	53	22135	13599	61ण44
		23. रामगंजमण्डी–लाडपुरा	44	21423	10187	47ण55
		24. बारां–मांगरोल–सांगोद	29	20009	10876	54ण36
		योग :	320	179573	98218	54ण70
11	पाली	25. बाली	21	52041	31845	61ण19
		योग :	21	52041	31845	61ण19
12	सवाईमाधोपुर एवं करौली	26. बामनवास–गंगापुर	40	36059	21765	60ण36
		27. बामनवास	41	38425	21862	56ण90
		28. गंगापुर–करौली	26	60236	33569	55ण73
		29. नाडोती – हिण्डोन	30	40542	20145	49ण69

		30. हिण्डोन – टोडाभीम	40	59729	33204	55ण59
		31. करौली	41	54042	27236	50ण40
		32. करौली–सपोटरा–बोंली	77	88061	49931	56ण70
		33. महुआ	58	57309	33100	57ण76
		34. बोंली	70	68700	35501	51ण68
		35. सवाई माधोपुर–खण्ड़ार	80	104900	55648	53ण05
		36. टोडाभीम–नाडोती–महुआ	76	102575	53792	52ण44
		योग :	579	710578	385753	54ण29
14	सिरोही	37. पिण्डवाडा–सिरोही–रेवदर	55	79060	57818	73ण13
		योग :	55	79060	57818	73ण13
15	टोंक	38. देवली–टोडारायसिंह–टोंक	61	48777	25431	52ण14
		39. निवाई	71	40162	21945	54ण64
		40. उनियारा	74	42219	23584	55ण86
		41. उनियारा – टोंक	40	15143	7833	51ण73
		योग :	246	146301	78793	53ण86
16 – 17	उदयपुर एवं राजसमंद	42. गिर्वा–नाथद्वारा–मावली	59	57359	27620	48ण15
		43. गोगुन्दा–कुम्भलगढ़–नाथद्वारा	117	108112	65742	60ण81
		44. वल्लभनगर	101	44749	18392	41ण10
		योग	277	210220	111754	53ण16
		महायोग :	**3606**	**2851093**	**1572386**	**55ण15**

परिशिष्ठ – 4

माडा कलस्टर जनसंख्या का विवरण

(जनसंख्या 2001 के आंकडों के आधार पर)

क.सं.	जिले का नाम	माडा कलस्टर का नाम	ग्रामों की संख्या	कुल जनसंख्या	अनु. जनजाति जनसंख्या	प्रतिशत
1	बूंदी	1. केशोरायपाटन	32	13620	7146	52ण47
2	कोटा	2. दिगोद	19	10165	5046	49ण64
3	बारां	3. अटरू–बारां	9	7289	3856	52ण90
		योग :	28	17454	8902	51ण00
4	झालावाड़	4. खानपुर	13	7460	3924	52ण60
		5. अकलेरा (पू.)	22	13583	7005	51ण57
		6. अकलेरा (द.)	12	7724	5142	66ण57
		योग :	47	28767	16071	55ण87
5	अजमेर	7. केकडी	11	8729	5110	58ण54
6	राजसमन्द	8. नाथद्वारा–राजसमन्द	19	7281	3979	54ण65
7	भरतपुर	9. वैर (उ.)	11	12370	6934	56ण05
		10. वैर (द.)	4	9286	4788	51ण56
		योग :	15	21656	11722	54ण13
8	सवाईमाधोपुर	11. खण्डार	9	7250	4396	60ण63
		महायोग :	161	104757	57326	54ण72

बिखरी जनजाति की जनसंख्या का विवरण(जनगणना 2001 के अनुसार)

क.सं.	जिले का नाम	कुल जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या	माडा क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या	माडा कलस्टर क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या	सहरिया क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या	बिखरी हुई जनजाति की जनसंख्या
1	गंगानगर	14744					14744
2	हनुमानगढ	10029					10029
3	बीकानेर	5945					5945
4	चुरू	10063					10063
5	झुन्झनू	36794					36794
6	अलवर	239905		114854			125051
7	भरतपुर	47077			11722		35355
8	धोलपुर	47612		33888			13724
9	करौली	270630		183881			86749
10	सवाई माधोपुर	241078		167239	4396		69443
11	दौसा	353187		252681			100506
12	जयपुर	412864		152365			260499
13	सीकर	62512					62512
14	अजमेर	52634			5110		47524
15	टोंक	145891		78793			67098
16	जैसलमेर	27834					27834
17	जोधपुर	79540					79540
18	नागौर	6497					6497
19	पाली	105814		31845			73969
20	बाडमेर	118688					118688
21	जालोर	126799					126799
22	सिरोही	210763	76526	57818			76419
23	भीलवाडा	180556		60322			120234
24	राजसमन्द	129198		19909	3979		105310
25	उदयपुर	1143303	896599	91845			154859
26	चित्तौडगढ	153337		41785			111552
27	प्रतापगढ	423416	384655	26927			11834
28	डूंगरपुर	721487	721487				
29	बांसवाड़ा	1013959	1013959				
30	बूंदी	194851		98902	7146		88803
31	कोटा	151969		34599	5046		112324
32	बारां	216869		63619	3856	83228	66166
33	झालावाड	141861		61114	16071		64676
योग		**7097706**	**3093226**	**1572386**	**57326**	**83228**	**2291540**

सहरिया विकास परियोजना की जनसंख्या का विवरण

क.सं.	पंचायत समिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	ग्राम संख्या	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार			कुल जनसंख्या की तुलना में अनु. जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत	कुल जनसंख्या की तुलना में सहरिया जनसंख्या का प्रतिशत
				कुल जनसंख्या	अनु. जनजाति जनसंख्या	सहरिया जनजाति की जनसंख्या		
	जिला बांरा							
1.	शाहबाद	1460	236	108146	36812	34687	34.04	32.07
2.	किशनगंज	1451	203	135218	46416	39308	34.33	29.07
	कुल	2911	439	243364	83228	73995	34.20	30.41

सहरिया आदिम जाति जनसंख्या का विवरण मा.ला. वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा सन् 2002 में किये गये सर्वे के आधार पर है।

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

जयपुर, दिनांक 12.9.07

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिये गये निम्नलिखित निर्देश सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते है।

निर्देश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अधीन पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं शीलेन्द्र कुमार सिंह, राज्यपाल, राजस्थान निर्देश देता हूं कि किसी भी अन्य प्रवृत्त आदेश या नियम या विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–एफ 19 (2) 80–एल–1 दिनांक–12.2.81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियो से भरी जायेगी । इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य वर्ग से भरी जायेगी ।

रिक्तियों का अवधारण तथा पदों की भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :–

1– जहां भर्ती खण्ड स्तर पर की जानी हो और रिक्तियां का अवधारण तथा इनकी संगणना भी खण्ड स्तर पर की जानी हो वहां ऐसे समस्त रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के लिए आरक्षित की जायेगी ।

2– जहां भर्ती जिला स्तर पर की जाती हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना सभी जिला स्तर पर की जानी हो वहां अनुसूचित खण्ड के लिए रिक्तियां प्रकल्पित रूप से, उस अनुपात के आधार पर अवधारित की जायेगी जो जिलों के अनुसूचित खण्ड़ों की कुल जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या के साथ है। इस प्रकार प्रकल्पित रूप से अवधारित रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों के एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों से भरी जायेगी ।

3– जहां भर्ती राज्य स्तर पर की जाती हो ओर रिक्तियां का अवधारण तथा उनकी संगणना भी राज्य स्तर पर की जानी होवहां अनुसूचित क्षेत्र के लिए रिक्तियां प्रकल्पिक रूप से उस अनुपात के आधार पर अवधारित की जाएगी जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित खण्ड़ों की कुल जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के साथ है। इस प्रकार प्रकल्पिक रूप से अवधारित रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों के एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों से भरी जायेगी ।

4– यदि अनुसूचित क्षेत्र के एक जिले में उपलब्ध रिक्तियों को भरते समय 45 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो सम्पूर्ण अनुसूचित क्षैत्र को एक इकाई के रूप में मान कर किसी जिले/उपखण्ड/विकास खण्ड स्तर पर कोई रिक्ति है और उस जिले /उपखण्ड/विकास खण्ड में जनजाति का योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अनुसूचित क्षैत्र के अन्य जिलों/विकास खण्ड़ों में उपलब्ध स्थानीय जनजाति के योग्य अभ्यार्थियो से ऐसी रिक्तियां भरी जायेगी ताकि 45 प्रतिशत विशेष आरक्षण रखे जाने के उद्देश्य की पूर्ति हो सके ।

5– राज्य स्तर अथवा जिला स्तर पर अनुसूचित खण्डों की रिक्तियो से भिन्न राज्य/जिले की शेष रिक्तियां विधमान नियमों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 16 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा जातियों के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी ।

ह0
(शीलेन्द्र कुमार सिंह)
राज्यपाल,राजस्थान
(सं. एफ13(20)कार्मिक/क–2/91 पार्ट)
ह0
(लोक नाथ सोनी)
शासन उप सचिव

परिशिष्ठ – 8

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग,

क्रमांकःप.13(20)कार्मिक/क–2/91 पार्ट जयपुर दिनांक 12.9.07

निर्देश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.3.99 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि बारां जिले में सभी विभागों के वेतन श्रृंखला 1 से 6 के सभी पद, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के ग्राम सेवक (ग्रुप सचिव) (वेतन श्रेखला 7) शिक्षा तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सहायक अध्यापक (वेतन श्रृंखला 9), आयुर्वेद विभाग के कम्पाउण्डर/नर्स कनिष्ठ ग्रेड (वेतन श्रृंखला 9), शिक्षा विभाग के शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड

III (वेतन श्रृंखला 9), की सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलो के स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यार्थियों से भरी जाएगी। शेष 75 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य नियमों के अन्तर्गत अन्य अभ्यार्थियों से भरी जायेगी।

राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलो में निवासित सहरिया आदिम जाति जंगलो में दुर्गम स्थानों में निवास करती है इसलिये काफी पिछडी हुई है व सहरिया परियोजना क्षेत्र में अधिकतर पद रिक्त रहते है। अतः राज्य सरकार यह आदेश देती है कि बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलो में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यार्थियों से भरी जायेगी और अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत एवं अन्य पिछडी जातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी। शेष 51 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों से भरी जायेगी।

रिक्तियों का अवधारण तथा पदो पर भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :–

1. यदि भर्ती खण्ड स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा इनकी संगणना भी खण्ड स्तर पर हो वहां ऐसी समस्त रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलो की स्थानीय सहरिया जाति के लिए आरक्षित की जायेगी।
2. यदि भर्ती जिला स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी जिला स्तर पर की जावे वहां 25 प्रतिशत रिक्तियां बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलो के स्थानीय सहरिया आदिम जाति के लिए आरक्षित की जायेगी।
3. यदि भर्ती राज्य स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी राज्य स्तर पर की जावे तो शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलो की कुल जनसंख्या एवं राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर रिक्तियां प्रकल्पित की जाकर उन रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलो के स्थानीय सहरिया आदिम जाति के लिए आरक्षित की जायेगी।
4. यदि भर्ती राज्य स्तर पर की जानी हो तो राज्य की शेष रिक्तियां विद्यमान नियमों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 16 प्रतिशत एवं अन्य पिछडे वर्ग की जातियों के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(लोकनाथ सोनी)
शासन उप सचिव

परिशिष्ठ–9

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

क्रमांकःएफ.5(4)(1)सहरिया/टीएडी/2002/ दिनांक 25.11.2004

आदेश

राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (जनजाति उपयोजना क्षेत्र) में निवासित अनुसूचित जनजातियों को राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त सभी आधारभूत सुविधाओं के मापदण्ड राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया क्षेत्र में भी तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिववालय, जयपुर की अ.शा. टीप दि. 3.11.04 की अनुपालना में।
3. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (समस्त विभाग)
4. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।
5. जिला कलक्टर, बारां/उदयपुर/बांसवाडा/डूंगरपुर/सिरोही

6. परियोजना/उपपरियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा, उदयपुर, प्रतापगढ (चित्तौडगढ), आबूरोड (सिरोही)
7. परियोजना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलेक्टर, सहरिया विकास समिति, शाहबाद जिला बारां

उपशासन सचिव

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

क्रमांक:एफ.5(4)(1)सहरिया/टीएडी/2002/ दिनांकः 30.9.05

आदेश

राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (बीपीएल परिवार) को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाओं को बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील में निवास करने वाले भील परिवारों के व्यक्तियों को भी उपलब्ध करवाया जावें। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्न कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर
3. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (समस्त विभाग)
4. श्रीअरिजीत बनर्जी, उपसचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय,जयपुर
5. आय–व्ययकअधिकारी वित्त (आय–व्ययक अनुभाग) विभाग को उनकी अ.शा. टीप क्रमांक प.4 (356)वित्त–1(1)आ.व्य./04 दिनांक 12.9.05 केक्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।
6. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है किग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बी.पी.एल. परिवारोंको जो सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जा रही है वे सभीसुविधायें उपलब्ध कराने कीव्यवस्था करवायें।
7. जिला कलक्टर, बांरा
8. परियोजना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलेक्टर, सहरिया विकाससमिति, शाहबाद जिला बांरा

उप शासन सचिव

परिशिष्ठ–11

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

क्रमांक:एफ.5(4)(1)सहरिया/टीएडी/2002/ दिनांकः 25.10.05

आदेश

राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (बीपीएल परिवार) को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाओं को कथौडी जनजाति एवं बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील में निवास करने वाले सहरिया परिवारों के व्यक्तियों को भी उपलब्ध करवाया जावें। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

ह.
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्न कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर की अ.शा. टीप दि.3.11.04 की अनुपालना में
3. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (समस्त विभाग)
6. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बी.पी.एल. परिवारोंको जो सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जा रही है वे सभी सुविधायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करवायें।
7. जिला कलक्टर, बांरा/उदयपुर
8. परियोजना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलेक्टर, सहरिया विकास समिति, शाहबाद जिला बांरा

ह.
उप शासन सचिव

परिशिष्ठ–12

विभाग में सृजित एवं पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	सृजित पदों की संख्या	पदस्थापित
1.	शासन सचिव	1	1
2.	आयुक्त	1	1
3.	उपशासन सचिव	1	1
4.	अतिरिक्त आयुक्त	2	2
5.	निदेशक, टीआरआई	1	1
6.	उपनिदेशक	6	5
7.	अधिशाषी अभियन्ता	1	1
8.	मुख्य लेखाधिकारी	1	1
9	परियोजना/उपपरियोजना अधिकारी	5	4

10.	लेखाधिकारी	1	1
11.	सह–आचार्य	1	–
12.	व्याख्याता	1	–
13.	सहायक निदेशक	1	1
14.	सहायक अभियन्ता	1	1
15.	सहायक लेखाधिकारी	2	–
16.	कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	1	1
17.	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी	1	1
18.	निजी सचिव	1	1
19.	खेल अधिकारी	1	1
20.	उप जिला शिक्षा अधिकारी	5	2
21.	कार्यालय अधीक्षक	2	2
22.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	1
23.	निजी सहायक	1	–
24.	प्रकाशन सहायक	1	–
25.	कलाकार	1	1
26.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	–
27.	सहायक सांस्कृतिक अधिकारी	1	–
28	कनिष्ठ अभियन्ता	3	2
29	लेखाकार	3	3
30.	कार्यालय सहायक	3	–
31.	अनुसंधान सहायक	15	14
32.	कनिष्ठ लेखाकार	11	6
33	आशुलिपिक	8	6
34	कम्प्यूटर आपरेटर	1	1
35	रेकार्डिस्ट कम आपरेटर	1	–
36	वरिष्ठ लिपिक	15	10
37	कार्टोग्राफर	2	2
38	कम्पाईलर	9	9
39	कृषि पर्यवेक्षक	2	2
40	डेटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	1
41	टेलीफोन ऑपरेटर	2	2
42	कनिष्ठ लिपिक	34	34
43	इलेक्ट्रीशियन	1	1
44	वाहन चालक	5	4
45	मशीनमैन	2	2
46	जमादार	3	3
47	लाईब्रेरी बॉय	1	–
48	च.श्रे.कर्मचारी	40	36
49	चौकीदार	5	5
50	कुक	1	1
51	बागवान	1	1
52	वेस्ट क्लीनर	1	1
53	फर्राश	3	3
	योग :	217	179

विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र मे संचालित आश्रम छात्रावासों मे। वर्ष 2009–10 में प्रवेशित छात्र/छात्राओं की जिलेवार एवं छात्रावासवार संख्या								
क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	आश्रम छात्रावास का नाम		छात्र क्षमता	स्तर	चालू वर्ष	प्रवेशित सं.
1	बॉसवाड़ा	1.गढ़ी	1	गढ़ी	100	सी.मा.वि.	1.10.88	100
			2	सरेडीबड़ी	100	सी.मा.वि.	23ध11ध89	100
			3	जौलाना (कन्या)	100	सी.मा.वि.	1.7.96	100
		2.कुशलगढ़	4	रामगढ़	100	सी.मा.वि.	11.7.85	100
			5	हिमलाबड़ा	50	मा.वि.	7.7.90	50
			6	कुशलगढ़ (कन्या)	100	सी.मा.वि.	9.9.95	100
			7	छोटी सरवा	50	सी.मा.वि.	1ण4ण97	50
		3.छोटी सरवन	8	छोटी सरवन	100	मा.वि.	1.7.78	100
			9	घोड़ी तेजपुर	50	मा.वि.	14ध11ध89	50
			10	छोटी सरवन (कन्या)	50	मा.वि.	5.12.02	50
		4.बागीदौरा	11	बागीदौरा (कन्या)	50	सी.मा.वि.	10ण8ण04	50
			12	कलिंजरा	100	सी.मा.वि.	1.7.77	100
			13	गांगडतलाई	100	सी.मा.वि.	8.2.86	100
			14	बड़ोदिया	50	सी.मा.वि.	1.4.97	50
			15	सल्लोपाट	50	मा.वि.	1.4.97	50
			16	करजी (कन्या)	50	सी.मा.वि.	12ण7ण06	50
		5.तलवाड़ा	17	आंबापुरा	100	सी.मा.वि.	10.11.89	100
			18	खेड़ा वडली पाड़ा	100	मा.वि.	1.7.85	100
			19	माहीडेम	50	सी.मा.वि.	1.4.97	50
			20	तलवाड़ा	50	सी.मा.वि.	1.4.97	50
			21	प्रतिभावान बांसवाड़ा	50	सी.मा.वि.	16ण8ण97	50
			22	बॉसवाड़ा (कन्या)	100	सी.मा.वि.	10ण7ण95	100
			23	कूपड़ा	50	सी.मा.वि.	1.7.96	50
		6.आनन्दपुरी	24	आनन्दपुरी (कन्या)	100	सी.मा.वि.	15ध1ध87	100
			25	आनन्दपुरी	50	सी.मा.वि.	1.4.97	50
			26	चान्दरवाड़ा (कन्या)	50	सी.मा.वि.	0ध7ध06	50
		7.घाटोल	27	रूपजी का खेड़ा	50	उ.प्रा.वि.	16ध11ध89	50
			28	नरवाली	50	सी.मा.वि.	1.4.97	50
			29	पड़ोली राठौड़	50	मा.वि.	1.4.97	50
			30	बोरदा	50	सी.मा.वि.	28ण7ण06	50
		8.सज्जनगढ़	31	कसारवाड़ी	50	सी.मा.वि.	1.7.90	50
			32	ताम्बेसरा	50	सी.मा.वि.	1.4.97	50
			33	छोटाडूंगरा	50	सी.मा.वि.	1.4.97	50
योग					2250			2250

2.	डूंगरपुर	1.आसपुर	1	रीछा	100	मा.वि.	8ध्78	100
			2	पंचलासा छोटा	50	मा.वि.	7.3.89	50
			3	निठाउवा	50	सी.मा.वि.	26ध्8ध्97	50
			4	आसपुर	50	सी.मा.वि.	26ध्8ध्97	50
			5	पूंजपुर	75	सी.मा.वि.	26ध्8ध्97	75
			6	रामगढ़	50	सी.मा.वि.	26ध्8ध्97	50
			7	आसपुर (कन्या)	50	सी.मा.वि.	7ध्06	85
		2.सागवाड़ा	8	ठाकरड़ा	50	सी.मा.वि.	16ध्9ध्97	50
			9	ओबरी	100	सी.मा.वि.	1ध्91	100
			10	नोकना	50	उ.प्रा.वि.	7ध्89	50
			11	चित्रकूट	50	सी.मा.वि.	8ध्89	50
			12	भीलूड़ा	50	सी.मा.वि.	20ध्11ध्97	50
			13	ओबरी (कन्या)	100	सी.मा.वि.	1.8.91	100
			14	पाडवा	50	सी.मा.वि.	26ध्8ध्97	38
		3.डूंगरपुर	15	फलोज	75	सी.मा.वि.	26ध्8ध्97	75
			16	कहारी	50	उ.प्रा.वि.	1ध्91	50
			17	रघुनाथपुरा	100	सी.मा.वि.	11ध्81	93
			18	मालचौकी	50	उ.प्रा.वि.	11ध्89	50
			19	सूराता	100	सी.मा.वि.	1ध्87	100
			20	प्रतिभावान, डूंगरपुर	50	सी.मा.वि.	7ध्91	50
			21	डूंगरपुर (कन्या)	100	सी.मा.वि.	22ध्8ध्95	100
			22	पालमाण्डव (कन्या)	50	मा.वि.	2.10.03	50
		4.बिच्छीवाड़ा	23	देवलपाल	50	सी.मा.वि.	26ध्8ध्97	50
			24	बिच्छीवाड़ा	50	सी.मा.वि.	12ध्90	50
			25	तलैया	100	मा.वि.	12ध्85	85
			26	माडा	130	सी.मा.वि.	12ध्85	130
			27	बिच्छीवाड़ा (छापी) (कन्या)	100	सी.मा.वि.	30ध्9ध्97	100
			28	गंधवापाल	50	मा.वि.	26ध्8ध्97	50
			29	गामडी अहाड़ा	50	सी.मा.वि.	26ध्8ध्97	40
			30	चुण्डावाड़ा	50	सी.मा.वि.	26ध्8ध्97	44
		5.सीमलवाड़ा	31	डूंका	100	मा.वि.	7ध्85	80
			32	बड़गामा	50	उ.प्रा.वि.	1ध्91	50
			33	झलाप	25	मा.वि.	26ध्8ध्97	25
			34	पीठ	50	सी.मा.वि.	26ध्8ध्97	50
			35	सीमलवाड़ा (कन्या)	100	सी.मा.वि.	22ध्8ध्95	100
			36	सीमलवाड़ा	100	सी.मा.वि.	24ध्9ध्98	100
			37	रास्तापाल	50	सी.मा.वि.	26ध्8ध्97	50
			38	चीखली (कन्या)	50	सी.मा.वि.	9.8.04	85
				योग	2555			2555

3	उदयपुर	1.लसाडिया	1	लसाड़िया	80	सी.मा.वि.	29ध्6ध्81	80
			2	कालीभीत	50	मा.वि.	29ध्1ध्97	50
			3	लसाडिया (कन्या)	50	सी.मा.वि.	1ण्6ण्03	24
		2.कोटड़ा	4	मालवा का चौरा	95	सी.मा.वि.	21ध्4ध्88	95
			5	मामेर	100	मा.वि.	16ध्3ध्78	100
			6	जेड़	50	उ.प्रा.वि.	1ण्6ण्97	50
			7	मेरपुर (कन्या)	40	उ.प्रा.वि.	20ध्3ध्99	39
			8	पानरवा (कन्या)	50	मा.वि.	2ण्8ण्06	49
		3.गोगून्दा	9	समीजा	50	मा.वि.	3.12.04	50
			10	पिपलीखेड़ा (कन्या)	50	सी.मा.वित्र	24.2.2009	50
		4.सलूम्बर	11	सलूम्बर (कन्या)	100	सी.मा.वि.	7ध्01	85
			12	भबराना	100	सी.मा.वि.	10ध्85	100
			13	ईटालीखेड़ा	50	सी.मा.वि.	17ध्8ध्91	50
			14	करावली	50	सी.मा.वि.	17ध्3ध्90	50
			15	जैताणा (कन्या)	50	सी.मा.वि.	8ध्2002	50
		5.झाड़ोल	16	झाड़ोल–फलासिया	100	सी.मा.वि.	2.1.84	100
			17	फलासिया (कन्या)	80	सी.मा.वि.	18ध्12ध्82	80
			18	बाघपुरा	100	सी.मा.वि.	12ण्9ण्97	89
			19	ढीमड़ी	70	सी.मा.वि.	12.12.89	70
			20	ओड़ा	40	मा.वि.	1.2.97	40
			21	नालवा	40	उ.प्रा.वि.	1.8.97	40
			22	गोराणा	40	मा.वि.	27ध्1ध्97	40
			23	डैया	50	मा.वि.	30ध्1ध्97	50
			24	मादड़ी	50	मा.वि.	11ण्2ण्04	50
			25	बिरोठी (कन्या)	50	मा.वि.	29ध्11ध्04	50
			26	अम्बासा (कन्या)	50	उ.प्रा.वि.	89.90	50
			27	अम्बासा	80	उ.प्रा.वि.	89.90	80
		6.खेरवाड़ा	28	छाणी (कन्या)	100	सी.मा.वि.	23ध्12ध्83	105
			29	सरेरा	25	मा.वि.	27ध्1ध्97	25
			30	बावलवाड़ा	50	सी.मा.वि.	1.4.97	46
			31	पाटिया	40	मा.वि.	25ध्2ध्97	40
			32	आडिवली	40	मा.वि.	27ध्1ध्97	31
			33	कनबई (कन्या)	50	सी.मा.वि.	3ण्12ण्04	50
			34	सारोली (कन्या)	50	सी.मा.वि.	21ण्7ण्06	50
			35	बलीचा	50	मा.वि.	4ण्8ण्06	40
		7.ऋषभदेव	36	कोजावाड़ा	50	मा.वि.	5.8.91	50
			37	कल्याणपुर	40	मा.वि.	27ध्1ध्97	40
			38	ऋषभदेव (कन्या)	100	सी.मा.वि.	2.10.97	100
			39	सागवाड़ा की पाल (कन्या)	50	मा.वि.	1ण्8ण्06	50
			40	ढेलाना	50	सी.मा.वि.	5ण्8ण्06	49
			41	टोकर	25	सी.मा.वि.	18ध्2ध्97	25
			42	मौराई पाल	50	सी.मा.वि.	17ध्2ध्07	28
		8.गिर्वा	43	बारापाल	40	मा.वि.	26ण्1ण्97	28
			44	प्रतिभावान फतेह स्कूल, उदयपुर	50	सी.मा.वि.	3ध्90	50
3	उदयपुर	8.गिर्वा	45	प्रतिभावान झामर कोटड़ा,	50	मा.वि.	6ध्91	43
			46	कस्तूरबा (मधुबन) (कन्या)	100	सी.मा.वि.	16ध्11ध्97	98
			47	प्रतिभावान मुख्यालय (कन्या)	50	सी.मा.वि.	10ण्7ण्06	50
			48	उमरड़ा (कन्या)	50	मा.वि.	1.7.02	48

			49	टीडी	50	सी.मा.वि.	2.12.04	50
		9.सराड़ा	50	सराड़ा	50	सी.मा.वि.	10.7.87	50
			51	केजड़	50	सी.मा.वि.	14ध्9ध्91	50
			52	झाड़ोल (सराड़ा)	50	सी.मा.वि.	12.1.98	41
			53	परसाद	50	सी.मा.वि.	3.1.98	50
			54	चावण्ड़ (कन्या)	40	सी.मा.वि.	13ध्10ध्98	40
			55	अदवास (कन्या)	50	मा.वि.	8 / 03	49
			56	सराड़ा (कन्या)	50	सी.मा.वि.	15ध्07ध्2006	50
				योग	3215			3087
4	प्रतापगढ़	1. प्रतापगढ़	1	देवगढ़	80	सी.मा.वि.	15ध्7ध्81	80
			2	देवगढ़ (कन्या)	50	मा.वि.	21ध्7ध्04	50
			3	थड़ा	100	सी.मा.वि.	8.11.87	100
			4	बोरी	80	मा.वि.	15ध्7ध्90	64
			5	धमोत्तर	50	सी.मा.वि.	2.3.97	50
			6	बारावरदा	50	मा.वि.	26ध्5ध्97	50
			7	गन्धेर	50	उ.प्रा.वि.	3.3.97	42
			8	कुलथाना	50	सी.मा.वि.	3.3.97	50
			9	कुलथाना (कन्या)	50	सी.मा.वि.	18ध्7ध्04	23
			10	प्रतिभावान छात्रावास, प्रतापगढ़	50	सी.मा.वि.	15ध्8ध्97	50
			11	प्रतापगढ (कन्या)	100	सी.मा.वि.	20ध्7ध्95	100
			12	अवलेश्वर (कन्या)	50	सी.मा.वि.	21ध्7ध्04	51
			13	प्रतापगढ	50	सी.मा.वि.	21ध्7ध्04	50
			14	लौहारिया (कन्या)	50	उ.प्रा.वि.	7ध्06	50
		2. अरनोद	15	बड़ी सॉखथली (कन्या)	50	उ.प्रा.वि.	7ध्06	50
			16	नागदी	80	मा.वि.	15ध्7ध्90	74
			17	अरनोद	80	सी.मा.वि.	15ध्7ध्90	80
			18	सालमगढ़	50	सी.मा.वि.	3.2.97	50
			19	दलोट (कन्या)	100	सी.मा.वि.	20ध्7ध्96	100
			20	दलोट	50	सी.मा.वि.	12.1.98	50
			21	जांजली	50	मा.वि.	7.11.97	50
			22	चूपना	50	सी.मा.वि.	15ध्7ध्04	50
			23	सांखथली थाना (कन्या)	50	उ.प्रा.वि.	15ध्7ध्04	50
		3.पीपलखूँट	24	पीपलखूँट	130	सी.मा.वि.	15ध्1ध्82	130
			25	घन्टाली	50	सी.मा.वि.	1.4.97	50
			26	डूंगलावानी (कन्या)	50	उ.प्रा.वि.	22ण्7ण्04	50
			27	पीपलखूँट (कन्या)	50	सी.मा.वि.	5ण्10ण्06	50
	प्रतापगढ़		28	सुहागपुरा	100	सी.मा.वि.	15ध्7ध्81	100
			29	सुहागपुरा (कन्या)	50	सी.मा.वि.	15ध्7ध्02	50
			30	रामपुरिया	100	सी.मा.वि.	8.11.83	100
4			31	पण्डावा (कन्या)	50	मा.वि.	1.7.02	33
		4.धरियावद	32	गोठड़ा	80	उ.प्रा.वि.	1.11.79	80
			33	धरियावद (कन्या)	70	सी.मा.वि.	15ध्1ध्88	70
			34	पारसोला	50	सी.मा.वि.	1ण्6ण्98	50
				योग	2200			2127
5	सिरोही	1. आबूरोड़	1	मीनतलेटी	80	मा.वि.	22ध्6ध्79	80
			2	दोयतरा	130	उ.प्रा.वि.	1.10.81	130
			3	गिरवर	130	सी.मा.वि.	1.12.83	130
			4	ओर (कन्या)	130	मा.वि.	1.7.85	107

			5	सियावा	50	उ.प्रा.वि.	13ध7ध88	50
			6	किवरली	50	सी.मा.वि.	1.7.88	50
			7	सांतपुर	100	सी.मा.वि.	11.7.90	97
			8	ओर	25	मा.वि.	1.5.97	25
			9	आमथला	50	सी.मा.वि.	17ध7ध04	23
			10	मानपुर (कन्या)	120	सी.मा.वि.	20ध7ध96	102
				योग	865			802
1	बॉसवाड़ा	तलवाड़ा	1	एकलव्य खेल छात्रावास, लोघा	100	सी.मा.वि.	2ण8ण96	100
2	उदयपुर	खैरवाड़ा	2	जिला स्तरीय खेल खैरवाड़ा	50	सी.मा.वि.	10ध03	50
		गिर्वा	3	संभाग स्तरीय खेल सरदारपुरा	50	सी.मा.वि.	9.9.03	50
योग					200			200
महायोग					11285			11080

अनुसूचित क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावासों की जिलेवार क्षमता/प्रवेशित

जिला	बालक		बालिका		योग		वर्गवार छात्रावास सं.		
	क्षमता	प्रवेशित	क्षमता	प्रवेशित	क्षमता	प्रवेशित	बालक	बालिका	योग
बॉसवाड़ा	1650	1650	600	600	2250	2250	25	8	33
डूॅगरपुर	2005	1935	550	620	2555	2555	31	7	38
उदयपुर	2005	1920	1210	1228	3215	3148	36	20	56
प्रतापगढ़	1430	1400	770	727	2200	2127	21	13	34
आबूरोड़	615	577	250	225	865	802	8	2	10
योग	7705	7482	3380	3400	11085	10882	121	50	171

खेल छात्रावास

	क्षमता	प्रवेशित	बालक
बॉसवाड़ा	100	100	1
उदयपुर	100	100	2

परिशिष्ठ–14

परिशिष्ठ–अ

माडा क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावास

क्र.	जिला	पंचायत समिति का नाम	आश्रम छात्रावास का नाम		वर्ग	छात्रावास क्षमता	अध्ययनरत छात्र/छात्रा	चालू वर्ष
1	अलवर	राजगढ	1ण	राजगढ	छात्रा	100	100	1984–85
		रेणी	2ण	रेणी	छात्रा	100	100	1984–85
		थानागाजी	3ण	थानागाजी	छात्रा	50	50	1987–88
2	भीलवाडा	जहाजपुर	4ण	लुहारीकलां	छात्र	90	90	1983–84
		माण्डलगढ	5ण	श्यामपुरा	छात्र	50	50	1991–92
3	चित्तौडगढ	छोटी सादडी	6ण	धोलापानी	छात्रा	140	123	1982–83
		बडी सादडी	7ण	मुझवा	छात्र	100	100	1989–90
		भेसरोडगढ	8ण	लक्ष्मीपुरा	छात्र	100	52	1989–90

		भेसरोडगढ	9ण	रावतभाटा	छात्रा	50	50	2003–04
4	जयपुर	चाकसू	10ण	ठीकरिया मीना	छात्र	50	50	1983–84
		बस्सी	11ण	झर	छात्रा	50	47	1983–84
		जमवा रामगढ	12ण	दतालामीना	छात्र	50	47	1984–85
		आमेर	13ण	ढण्ड	छात्र	50	37	1983–84
		बस्सी	14ण	जयराम का वास	छात्रा	50	45	2009–10
5	दौसा	लालसोट	15ण	रालावास	छात्र	100	76	1983–84
		बांदीकुई	16ण	भावता भावती	छात्रा	100	67	1983–84
		दौसा	17ण	काली पहाडी	छात्र	100	76	1982–83
		सिकराय	18ण	घूमना	छात्र	50	50	1983–84
		महुवा	19ण	उकरून्द	छात्र	100	48	1989–90
		बांदीकुई	20ण	निहालपुरा	छात्र	50	50	1994–95
		सिकराय	21ण	नान्दरी	छात्रा	50	50	2003–04
		लालसोट	22ण	बिलोनीकला	छात्र	50	35	2003–04
6	झालावाड	बकानी	23ण	पचोला	छात्र	50	50	1984–85
		खानपुर	24ण	मउ बोरदा	छात्र	50	49	1984–85
7	पाली	बाली	25ण	भीमाना	छात्र	100	100	1984–85
		बाली	26ण	दानवरली	छात्र	100	100	1989–90
8	स. माधोपुर	गंगापुरसिटी	27ण	वजीरपुर	छात्र	100	98	1989–90
		स.मा.	28ण	चौथ का बरवाडा	छात्र	100	78	1984–85
9	करौली	सपोटरा	29ण	सपोटरा	छात्रा	100	100	1984–85
		हिण्डोन	30ण	कटकड	छात्र	100	100	1984–85
		टोडाभीम	31ण	नागल शेरपुर	छात्र	100	100	1984–85
		सपोटरा	32ण	करणपुर	छात्र	50	50	1989–90
10	सिरोही	पिण्डवाडा	33ण	मोरस	छात्र	140	140	1983–84
		पिण्डवाडा	34ण	आपरीखेडा	छात्रा	100	100	1989–90
		पिण्डवाडा	35ण	स्वरूपगंज	छात्र	50	50	1989–90
11	बून्दी	नेनवा	36ण	पेच की बावडी	छात्र	50	50	1991–92
12	उदयपुर	गोगून्दा	37ण	रावछ	छात्र	100	50	1987–88
		भीण्डर	38ण	भरडिया	छात्र	100	52	1987–88
		गोगुन्दा	39ण	छाली	छात्रा	50	30	1987–88
13	राजसमन्द	कुम्भलगढ	40ण	केलवाडा	छात्रा	50	35	2006–07
14	कोटा	लाडपुर	41ण	मण्डाना	छात्रा	50	50	2006–07
	योग					3170	2775	

परिशिष्ठ अ

बिखरी क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावास

क.	जिला	पंचायत समिति का नाम	आश्रम छात्रावास का नाम		वर्ग	छात्रावास क्षमता	अध्ययनरत छात्र / छात्रा	चालू वर्ष
1	चित्तौडगढ	छोटी सादडी	1ए	करजू	छात्रा	50	50	2004–05
2	जयपुर	बस्सी	2ए	ग्वालिनी	छात्रा	50	45	2004–05
3	बून्दी	तालेडा	3ए	डाबी	छात्रा	50	16	2003–04
4	उदयपुर	भीण्डर	4ए	भीण्डर	छात्रा	50	49	2006–07
5	राजसमन्द	राजसमन्द	5ए	राजसमन्द	छात्र	50	50	2006–07
6	–''–	खमनोर	6ए	सेमा	छात्रा	50	48	2003–04
7	उदयपुर	गिर्वा	7ए	बम्बोरा	छात्र	50	28	2009–10
	योग					350	286	

सहरिया आश्रम छात्रावासों की सूची

परिशिष्ट ''ब''

क.सं.	आश्रम छात्रावास का नाम	पंचायत समिति	वर्ग	छात्र क्षमता	2009–10 में प्रवेशित छात्र संख्या
1	आगर	शाहाबाद	छात्र	25	23
2	कस्बाथाना	शाहाबाद	छात्र	25	27
3	चौराखाडी	शाहाबाद	छात्र	25	37
4	बमनगवॉ	शाहाबाद	छात्र	50	46
5	देवरी	शाहाबाद	छात्र	65	79
6	खाण्डासहरोल	शाहाबाद	छात्र	25	52
7	राजपुर	शाहाबाद	छात्र	25	66
8	समरानियॉ	शाहाबाद	छात्र	65	81
9	भॅवरगढ	किशनगंज	छात्र	65	75
10	खण्डेला	किशनगंज	छात्र	25	30
11	गरडा	किशनगंज	छात्र	65	56
12	रेलावन	किशनगंज	छात्र	65	38
13	बिलासगढ	किशनगंज	छात्र	65	36
14	बजरंगगढ	किशनगंज	छात्र	65	60
15	किशनगंज	किशनगंज	छात्र	50	56
16	बारॉ	बारॉ	छात्र	65	54
			योग	770	816
1	शाहाबाद	शाहाबाद	छात्रा	65	64
2	केलवाडा	शाहाबाद	छात्रा	65	66
3	घट्टटी	किशनगंज	छात्रा	65	40
4	बारॉ	बारॉ	छात्रा	65	52
			योग	260	222
			कुल योग	1030	1038

अनुसूचित क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालयों की सूची
(वर्ष 2009–10)

क्र.सं.	जिला	आवासीय विद्यालय का नाम	वर्ग	प्रवेशित क्षमता	प्रवेशित संख्या
1.	उदयपुर	कोटडा	बालक	350	156
		सलूम्बर	बालिका	350	222
		खेरवाडा	बालक	350	310
2	बांसवाड़ा	कुशलगढ	बालक	350	350
3	डूंगरपुर	सीमलवाडा	बालक	350	275
4	प्रतापगढ	प्रतापगढ	बालक	350	220
5	सिरोही	आबूरोड	बालक	350	199
योग				**2450**	**1732**

ब. गैर अनुसूचित क्षेत्र (माडा)

माडा क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालय वर्ष 2009–10

क्र.	जिला	आवासीय विद्यालय का नाम	वर्ग	छात्रावास क्षमता	प्रवेश
1।	टोंक	निवाई	छात्रा	350	326
2।	झालावाड	झालरापाटन	छात्र	200	179
3।	दौसा	नया गांव महुवा	छात्र	150	145
		योग		700	650

स. गैर अनुसूचित क्षेत्र (सहरिया)

सहरिया क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	आश्रम छात्रावास का नाम	पंचायत समिति	वर्ग	छात्र क्षमता	2009–10 में प्रवेशित छात्र संख्या
1	आवासीय विद्यालयइ शाहाबाद	शाहाबाद	छात्र	350	258
2	कन्या आवासीय विद्यालय किशनगंज	किशनगंज	छात्रा	200	194
			योग	**550**	**452**

परिशिष्ठ – 17

आश्रम छात्रावासों में स्वीकृत पदों की सूचना दिनांक 31.01.2010

अ. अनुसूचित क्षेत्र

क.सं.	जिला	अधीक्षक	कोच	च.श्रे.कर्मचारी	चौकीदार	रसोईया	स्वीपर	योग
		ग्रेड–पे	ग्रेड–पे	ग्रेड–पे	ग्रेड–पे	ग्रेड–पे	ग्रेड–पे	ग्रेड–पे
		12	10	1	1	1	1	1
		स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत
1	बॉसवाड़ा	34	9	19	25	59	15	161
2	डूॅगरपुर	38	7	16	29	56	14	160
3	उदयपुर	58	21	25	37	68	20	229
4	प्रतापगढ़	34	13	15	21	45	12	140
5	आबूरोड़ (सिरोही)	10	2	4	8	21	6	51
योग		174	52	79	120	249	67	741

ब. गैर अनुसूचित क्षेत्र माडा एवं बिखरी`

क.	जिला	अधीक्षक	कोच	च.श्रे.कर्मचारी	चौकीदार	रसोईया	स्वीपर	योग
1ण	अलवर	3	3	2	2	2		12
2ण	भीलवाडा	2		2		2		6
3ण	चितोडगढ	3	2	3	3	8	3	22
4ण	प्रतापगढ	2	2					4
5ण	जयपुर	6	3	4	4			17
6ण	दौसा	8	2		1	5	1	17
7ण	झालावाड	2		1	1		1	5
8ण	पाली	2		2	2	8	2	16
9ण	स.माधोपुर	2		2				4
10ण	करोली	4	1	4	4	14	4	31
11ण	सिरोही	3	2	2	2	12	3	24
12ण	बून्दी	2	1	1	1	2	4	11
13ण	उदयपुर	5				8	1	14
14ण	राजसमन्द	3	1					4
15ण	कोटा	1						1
	योग	48	15	23	20	61	19	186

स. गैर अनुसूचित क्षेत्र – सहरिया

क.	जिला	अधीक्षक	कोच	च.श्रे.कर्मचारी	चौकीदार	रसोईया	स्वीपर	योग
1ण	शाहबाद	19	10	5	7	1		42

विभाग द्वारा संचालित आवासीय विधालयों में पदों का विवरण

विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय (संविधान की धारा 275(1) के अनतर्गत)

क. सं.	पदनाम	ग्रेड–पे	पे–बैण्ड	ग्रेड–पे	कोटडा	खेरवाड़ा	शाहबाद	कुशलगढ़	सीमलवाड़ा	निवाई (टौंक	आबुरोड़ (सिरोही)	योग
					स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत
1	प्रधानाचार्य	15	9300. 34800	5400	1	1	1	1	1	1	1	7
2	उप प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक	14	9300. 34800	4800	1	1	1	1	1	1	1	7
3	व्याख्याता	13	9300. 34800	4200	5	5	5	5	5	5	5	35
4	अध्यापक द्वितीय श्रेणी	12	9300. 34800	3600	9	9	9	9	9	9	9	63
5	शारीरिक शिक्षक	12	9300. 34800	3600	1	1	1	1	1	1	1	7
6	पुस्तकालयाध्यक्ष	10	5200. 20200	2800	1	1	1	1	1	1	1	7
7	प्रयोगशाला सहायक	12	9300. 34800	3600	2	2	2	2	2	2	2	14
8	अधीक्षक	9	5200. 20200	2400	1	1	1	1	1	1	1	7
9	वरिष्ठ लिपिक	6	5200. 20200	1900				1				1
10	कनिष्ट लिपिक	1	4750.7440	1300	2	2	2	1	2	2	2	13
	योग				23	23	23	23	23	23	23	161

विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय (महाराष्ट्र पैटर्न अनतर्गत)

क. सं.	पदनाम	ग्रेड–पे	पे–बैण्ड	ग्रेड–पे	सलुम्बर	प्रतापगढ़	झालरापाटन	महुवां	किशनगंज	योग
					स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत
1	प्रधानाचार्य	15	9300. 34800	5400	1	1				2
2	उप प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक	14	9300. 34800	4800	1	1	1	1	1	5
3	व्याख्याता	13	9300. 34800	4200	5	5				10
4	अध्यापक द्वितीय श्रेणी	12	9300. 34800	3600	9	9	4	4	4	30
5	शारीरिक शिक्षक	12	9300. 34800	3600	1	1			1	3
6	पुस्तकालयाध्यक्ष	10	5200. 20200	2800	1	1				2
7	प्रयोगशाला सहायक	12	9300. 34800	3600	2	2				4
8	अधीक्षक	9	5200. 20200	2400	1	1				2
9	वरिष्ठ लिपिक	6	5200. 20200	1900		1				1
10	कनिष्ट लिपिक	1	4750.7440	1300	2	1				3
	योग				23	23	5	5	6	62